ISSN-0971-8397

योजना

विशेषांक

अगस्त 2008 विकास को समर्पित मासिक मूल्य : 20 रुपये

अमल में रोज़गार गारंटी कार्यक्रम

उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
1800–11–4000 (निःशुल्क) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
(बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से)
अथवा 011–27662955,56,57,58 (सामान्य कॉल दरें)

YH-8/08/4

योजना

वर्ष : 53 • अंक : 8 अगस्त 2008 श्रावण-भाद्रपद, शक संवत 1930 कुल पृष्ठ : 76

प्रधान संपादक
एस.बी.शरण

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण : **कुसुमलता**

इस अंक में

संपादकीय	-	5
आर्थिक संकेतक	-	6
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के दो साल	रघुवंश प्रसाद सिंह	7
नरेगा के वायदे पर अमल	ललित माथुर	11
नरेगा में भ्रष्टाचार : मिथक और वास्तविकता	ज्यां द्रेज़, रीतिका खेड़ा, सिद्धार्थ	15
राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून एवं पर्यावरण सुरक्षा	सुनीता नारायण	17
ज़रूरी है जनता की नज़र और ग्रामसभा की पकड़	गोपीनाथ घोष	18
बिहार में बुरा हाल	अनिल प्रकाश	21
रोज़गार गारंटी से डेढ़ करोड़ ग़रीबों के खाते खुले	-	23
वनवासियों में जागरुकता का प्रसार	अभय कुमार	25
सवा पांच रुपये से आजीविका	उमा चतुर्वेदी	27
आदिवासियों का सहारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना	उदयसिंह राजपूत	28
अभिलेखों की कालकोठरी	रीतिका खेड़ा	31
सामाजिक लेखापरीक्षण के माध्यम से जवाबदेही	सौम्या किदंबी	37
पारदर्शिता के लिये ज़रूरी सामाजिक अंकेक्षण	गोपीनाथ घोष	39
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर विश्व की नजर	हरेंद्र प्रताप	43
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	49
जहां चाह वहां राह : जड़ी-बूटी का रास्ता	अपराजिता पांडा	53
अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका	रीमा नानावटी	55
भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि से उत्थान	संजय कुमार	60
श्रद्धांजलि : मातहतों को सम्मान दिलाने में आगे थे मानेकशा	-	62
विश्व धरोहर बना शिमला-कालका रेल लाइन	-	63
ख़बरों में	-	64
स्वास्थ्य चर्चा : वर्षा ऋतु की बीमारियां और उनसे बचाव	राकेश सिंह	65
मंथन : निर्णय क्षमता दिलाए सफलता	अखिलेश आर्येन्दु	69
नये प्रकाशन : 'पाठ' और 'कुपाठ' की बीच 'वंदेमातरम्'	विमल कुमार	71

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

कानून को सख़्त बनाएं

आज हर देश को पर्यावरण के बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि दिन-ब-दिन बढ़ता तापमान तथा समुद्र में बढ़ता जलस्तर आने वाले समय में ख़तरे की सूचना दे रहा है। पर्यावरण को बचाना हमारे हाथ में है। इसके लिये हर देश को सख़्त कानून अपनाना होगा। ज़हरीली गैस, कार्बन डाईऑक्साईड, ज़मीन तथा जल को प्रदूषित करने वाली प्लास्टिक की चीज़ें और मलबा जैसी हानि पहुंचाने वाली चीज़ों को उपयोग में न लाकर हमें उसका पर्याय ढूंढना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के लिये कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए।

राहुल पाडवी
नंदुरबार, महाराष्ट्र

करे कोई भरे कोई

योजना का जून अंक पढ़ा। 127 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर के पिघल जाने की भविष्यवाणी एक ऐसी भविष्यवाणी है जिससे समस्त मानव जाति तबाह हो जाएगी। यह जानते हुए भी कि प्रकृति का विकल्प निर्मित नहीं कर सकते, बावजूद इसके हम प्रकृति से छेड़छाड़ जारी रखे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन को इतने नकारात्मक स्वरूप प्रदान करने वाले विकसित राष्ट्र प्रकृति का दोहन कर अपना स्वरूप आज भी आधुनिक कर रहे हैं और विकासशील राष्ट्रों पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं। कमज़ोर राष्ट्रों के लिये दुर्भाग्य की बात यह है कि उन पर 'करे कोई भरे कोई' वाली बात चरितार्थ हो रही है। प्रकृति यह नहीं देखेगी कि नुकसान किन राष्ट्रों ने पहुंचाया है लेकिन इसका ख़ामियाजा तो धरती के सभी प्राणियों को उठाना पड़ेगा।

मिथिलेश कुमार
बलुआचक, भागलपुर, बिहार

घर-घर मुहिम छेड़ी जाए

जलवायु परिवर्तन की दशाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा पर केंद्रित जून अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है जिसने एक विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या के समाधान हेतु हमें हमारे दायित्वों से आगाह किया है। ओजोनक्षरण, हरित गृह प्रभाव, गर्माता वायुमंडल, बढ़ते समुद्र, सूखती नदियां, घटते हिमनद, पारिस्थितिकी असंतुलन, बढ़ता रासायनिक कचरा, रेडियोएक्टिव मृदा-ध्वनि-वायु-जलप्रदूषण आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान संपूर्ण मानव समुदाय की सामूहिक सहभागिता द्वारा ही किया जा सकता है और विकास की कसौटी पर अपने भविष्य को गिरवी होने से बचाया जा सकता है।

आज जलवायु परिवर्तन के जो दूरगामी दुष्परिणाम गोचर हो रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हमें अपने विकास के विकल्पों में नवीनता लानी होगी, रासायनीकरण की जगह विकास का जैविकीकरण करने के लिये प्रौद्योगिकी की ऐसी पद्धतियां विकसित करनी चाहिए, जिनसे न तो प्रगति की प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया प्रभावित हो और न प्राकृतिक शोषण हो। साथ ही प्राकृतिक सुरक्षा के दायित्वों को बढ़ाकर अधिकतम रोज़गार के नये अवसर सृजित किए जाएं ताकि भूमिहीनों, ग़रीबों, बेरोज़गारों को प्राकृतिक दोहन के क्षेत्र से हटा कर पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, उत्पादन एवं विनिर्माण के क्षेत्र में लगाया जा सके, क्योंकि रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए बिना हम ईमानदारीपूर्वक पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। उदाहरणार्थ 1999 में पंचमढ़ी रिजर्व जीव मंडल के नाम से घोषित बुंदेलखंड के पठार से उचित सुरक्षा प्रबंधन के अभाव में प्रतिदिन 25-30 टन लकड़ी काटकर लकड़हारों द्वारा निर्यात की जा रही है जिसके चलते आज यह पठार तेज़ी से वीरान हो रहा है। खास बात तो यह है कि गत 4-5 वर्षों से यहां के पशु-पक्षी भी पलायन कर गए हैं। दूर-दूर तक किसी पशु-पक्षी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। सिर्फ़ लकड़हारे दिखते हैं। अब तो यह क्षेत्र अक्सर सूखे की मार से पीड़ित रहता है।

अत: ज़रूरी है कि विकास की प्रबंध तकनीक को सुदृढ़ किया जाए, संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा अभियान, प्रदूषण हटाओ, समृद्धि लाओ जैसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान चला कर घर-घर मुहिम छेड़ी जाए और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बच्चों/वयस्कों/बुजुर्गों को परिचित कराया जाए, क्योंकि डॉक्टरों को बढ़ाने से बीमारियां कम नहीं होंगी, समुद्र के पानी को फिल्टर करने से समस्त जीवों की प्यास नहीं बुझेगी और न ही सूक्ष्म वैज्ञानिक शोध संपूर्ण प्राणिजगत को संरक्षण दे सकते हैं - इसलिये हम सबका दायित्व है कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिये अपनी विलासी

उपभोग प्रवृत्ति को रोकें, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने वाले जीवों को संरक्षण प्रदान करें और अधिकतम वृक्षारोपण, पर्याप्त जल संरक्षण व न्यूनतम प्रदूषण के सापेक्ष एक ऐसी नवनिर्माण एवं सतत विकास की अवधारणा अपनाएं जिसमें वर्तमान को सुरक्षित तथा भविष्य को सुव्यवस्थित रख कर उन्नति को उत्तरोत्तर आयाम दिए जा सकें।

गजेंद्र सिंह 'मधुसूदन'
कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा, उ.प्र.

एक गंभीर चुनौती

***यो**जना* का जून अंक पढ़ने को मिला। अंक में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर प्रकाशित लेख बहुत ही ज्ञानवर्द्धक लगे। आज हक़ीक़त यही है कि जलवायु परिवर्तन विश्व के सभी राष्ट्रों के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिये जहां एक ओर विध्वंसकारी हथियारों पर रोक लगाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास जारी हैं वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से महाप्रलय की आहट ने आज विश्व को भयभीत कर दिया है।

जलवायु परिवर्तन से विश्व की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में दिन-प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, यह चिंता की बात है। आज एशिया महाद्वीप के सात देशों के सामने जलवायु परिवर्तन के कारण संकट पैदा हो गया है। इस क्षेत्र की एक चौथाई आबादी विनाश और तबाही के कग़ार पर खड़ी है।

एक समय था जब विश्व परमाणु युद्ध से आतंकित था। आज जलवायु परिवर्तन के कारण सामूहिक विनाश की संभावना परमाणु युद्ध से कहीं अधिक है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जलवायु परिवर्तन के दुष्चक्र में फंस गए हैं। जलवायु परिवर्तन ने विश्व के वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों का जितना ध्यान आकर्षित किया है उतना किसी अन्य समस्या ने नहीं।

जलवायु परिवर्तन को जितना विकसित राष्ट्रों ने प्रभावित किया है उतना विकासशील राष्ट्रों ने नहीं। विकसित राष्ट्रों ने पृथ्वी को तो प्रदूषित किया ही है अब अंतरिक्ष को भी प्रदूषित कर रहे हैं। उन्होंने हज़ारों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ा है अपने सेटेलाइट के माध्यम से। दुनिया के कई राष्ट्र ऐसे हैं जो आंख मूंदकर पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं जिससे हिमालय को भी ख़तरों का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाने की योजना बना रखी है जिससे विश्व के पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। भले ही हम जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में एकजुट होकर चिंता व्यक्त करते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम अपनी सुख-सुविधाओं के लिये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिये हमें संपूर्ण पृथ्वी के 33 प्रतिशत भाग पर जंगल लगाना होगा। जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी होगी। पेट्रोल, डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम करना होगा। कारख़ानों से निकलने वाले जहरीले अवशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को जलाशयों, नदियों या समुद्रों में नहीं गिराना होगा। कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग कम करना होगा। कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर देसी खाद का प्रयोग करना होगा। इन सबके साथ जल, थल और वायु में नाभिकीय विस्फोटों पर अंतरराष्ट्रीय कानून बनाकर रोक लगानी होगी तभी हम जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बच सकते हैं।

सत्य प्रकाश
बखां, मीरगंज, गोपालगंज, बिहार

सवाल शेष है

***यो**जना* का हर अंक संग्रहणीय है इसमें दो मत नहीं है, लेकिन पिघलता हिमनद हमें डुबो न दे, इसलिये अपनी एक बात कहना चाहूंगा- कोई व्यक्ति किसी और से मीठी-मीठी बातें कर अपने मकसद को पूरा कर लेता है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन आज तक पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनों, संधि, सम्मेलन, समिति, आयोग आदि गठित, हुए। सभी के द्वारा उपयोगी बातें सामने आईं। लेकिन हममें से कई देश पहले आप, पहले आप का का अलाप लगाते हैं तो कोई देश संधि को मानने से इंकार कर देता है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि फिर वे सब किसे दिखाने के लिये उपयोगी बातों से युक्त समझौते, संधि व सम्मेलन करते हैं। क्या हमारी पृथ्वी से बाहर अन्य लोक हैं, जिनसे कुछ पाने के लिये हम पृथ्वीवासी अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातों का ख़ज़ाना संधि-सम्मेलन के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं?

कुमार दिवाकर
कचहरी हाता, पूर्णिया, बिहार

महाप्रलय की आहट

जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित *योजना* के जून के अंक में छपे सभी लेख बेहद दिलचस्प, सारगर्भित एवं शोधपरक रहे। खासकर अश्विनी कुमार लाल का 'धरती के बढ़ते तापमान का मुक़ाबला' ने सोचने के लिये मज़बूर कर दिया। साथ ही, झरोखा जम्मू- कश्मीर का, स्वास्थ्य चर्चा तथा मंथन ने मन में एक नयी चेतना जाग्रत कर दी।

बेशक ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान की प्रमुख विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्या है। ग्रीन हाउस गैसे पर्यावरण पर ऐसा आवरण बनाती हैं कि सूर्य की गर्मी तो आसानी से आ जाती है पर दुबारा जा नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मानसून की बढ़ती अनिश्चितता, बंजर बनती भूमि, वीरान होते जंगल, सुनामी का क़हर, जल संकट, बाढ़, सूखा गर्म हवाएं, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन धीमी पड़ती नदियों की रफ़्तार कांपती धरती, प्रयलकारी सागर, बदलता मौसम, धुंधला आकाश, खाद्यान्न संकट, ओजोन क्षरण, दरकती धरती, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते रेगिस्तान, पसरती नित नयी बीमारियां, सूखती वनस्पतियां, विलुप्त होती प्रजातियां आदि सभी धरती के बढ़ते तापमान का ही नतीज़ा हैं।

बेशक धरती का बढ़ता तापमान महाप्रलय की आहट है। सच तो यह है कि पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं दिया। विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति का मनमाना दोहन कर मनुष्य ने अपने गर्दन पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी है जिसका भयावह स्वरूप आज हमारे समक्ष है।

इसलिये वैश्विक स्तर पर बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये सभी को आगे आना होगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण और उनका रखरखाव एवं पर्यावरण में जहर घोलते ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ही पृथ्वी के अस्तित्व से प्रश्नचिह्न हटाया जा सकता है।

प्रेमनाथ नागर
ग्रा.-पो. सांता कालिंजर, बांदा, उ.प्र.

आस्था IAS
द्वारा CS(07) में अंतिम रूप से चयनित अपने नियमित छात्रों को हार्दिक बधाई।

Himanshu Shekhar (Rank-481)

Aashish Anan (Rank-720)

Roshan Kumar 1st Rank (JPSC)

IAS-2006 सफलता

Chanchal Meena-IAS
Roll No. 94191

अन्य सफलता

Dhirendra Mani Tripathi-IAS
Roll No. - 316521

Sanjay Kumar - IAS

Vivek Kumar Jain - IAS
Roll No. - 162397

पहले की सफलता

Mukesh Kr. Jha
IAS

Ila G. Parmar,
IAS

Amritendu Sekhar
BPSC

Sunil Kr. Agarwal
IAS

Alka Meena
Raj (PCS) SDM

Sanjay Kumar
IAS

निरंतर जारी रहने वाली श्रृंखला में IAS साक्षात्कार में 20 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। आप भी इस श्रृंखला का अंग बन सकते हैं।

क्रैश कोर्स प्रारम्भ
17 अगस्त, 2008

सामान्य अध्ययन

द्वारा R. Kumar & Team

"हमारे छात्र जानते हैं"

पिछले वर्षों की तरह मुख्य परीक्षा-2007 में लगभग सभी प्रश्न क्लास नोट्स एवं प्रिंटेड नोट्स से आए-

Paper-I (1) a, b (2) a,b (3) a से o तक सभी (4) a,b,c (5) a,c,d,e (6) a,b (7) a,b (8) a,b,c (9) a से e तक (10) n (11) b,c (13) a,b,c,e अर्थात् पूरे प्रश्न पत्र में पूछे गए 53 प्रश्नों में से 7 प्रश्न नोट्स के बाहर से आए।

Paper-II (1) a, b,c (2) a से e तक (3) c (4) a,b (5) a,b,c (6) h को छोड़कर सभी 14 (7) a,b (8) a,b,d (9) c,d (10) a,b (11) a,b,c (12) a,b,e (13) a,b (14) a,b (15) a,b,c,d इनमें भी पूरे प्रश्न पत्र में पूछे गए 64 प्रश्नों में से 40 प्रश्न 2 अंक वाले शामिल, इनमें 12 दुर्लभ प्रश्न तथा 24 बड़े प्रश्नों में सिर्फ एक प्रश्न नोट्स से बाहर

★विज्ञान प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी तथा भूगोल जैसे कठिन खंड के तीन Terinology को छोड़कर सभी प्रश्न 'as it is' क्लास नोट्स से आए।

★सबसे बढ़कर बाजार में जारी किए गए एक Model Test Paper से ही Paper I में तीन प्रश्न (5)a, (8) c (9) a तथा Paper II में 11 प्रश्न (2) a, d f (6) c, i (7) b (8) d (9) c (10) a (11) a, b परीक्षा में पूछे गए।

★निबंध से जुड़ा प्रश्न "भारत में BPO तेजी" सीधे विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्लास नोट्स से आया है।

★सामान्य अध्ययन की तरह वैकल्पिक विषय-इतिहास, हिन्दी साहित्य एवं गणित में भी अधिकांश प्रश्न नोट्स से।

★मुख्य परीक्षा के उपरोक्त सफलता के साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन तथा इतिहास के अधिकांश प्रश्न नोट्स से।

★"हमारी उपरोक्त सफलता हमारे मध्यमार्गी सोच का परिणाम है।" आप भी इस प्रक्रिया का अंग बन सकते हैं...

इन सफलताओं के अलावा ★CS(08) G.S. (Pre.) में 80 से अधिक प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नोट्स एवं क्लास से।
★CS(07) G.S.(M) में आस्था के छात्र द्वारा 384 अंक प्राप्त अन्य छात्र भी 300÷ अंक।
★CS(07) G.S.(M) में 560 अंक के प्रश्न सीधे नोट्स से।

अन्य विषय : इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य एवं गणित

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

आस्था IAS

(A UNIT OF SAMVARDHAN®)
103, Jaina House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27651392 Cell.: 9810664003

YH-8/08/15

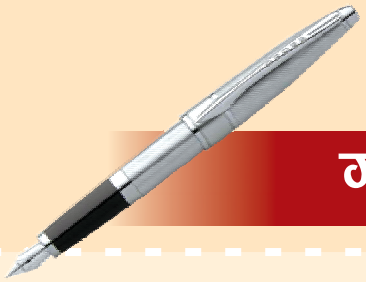

ग़रीबों की जीवनरेखा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा), 2005 को लागू हुए दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। जबसे यह अधिनियम लागू हुआ है, देश के निर्धनतम जिलों में लाखों लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। निर्धारित न्यूनतम वेतन पर 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देने वाला यह कानून, पहला ऐसा कानून है जो दरिद्र ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को विवश करता है। इस वर्ष अप्रैल से यह योजना समूचे देश में चलाई जा रही है।

परंतु, जैसाकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रपट प्रारूप में उल्लिखित है, योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है। इसलिये, कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार का स्रोत कहते हैं, तो कुछ इसे ग्रामीण विकास के लिये उठाया गया सर्वोत्तम कदम मानते हैं। सच्चाई यह है कि योजना में दोनों ही बातें हैं। ऐसे अनेक गांव हैं जहां इसने बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार दिया है और लोक संपत्ति खड़ी की है, वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर चोरी हुई है। इसके क्रियान्वयन के साथ जुड़ी समस्याएं प्रारंभिक समस्याएं हैं। काम के लिये अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का स्तर सुधारने में मदद मिली है। ऐसे अनेक अनुभव हैं जो बताते हैं कि पारदर्शिता संबंधी सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने से भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकता है।

नरेगा के सामाजिक लेखापरीक्षणों से पता चलता है कि अनेक उल्लेखनीय सफलता की कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि राजस्थान में जहां कार्यक्रम के प्रति जागरुकता अधिक है वहां 2006-07 में प्रति ग्रामीण परिवार 77 दिनों का रोज़गार दिया गया था। तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी 81 प्रतिशत की ऊंचाई छू चुकी थी। रपटें बताती हैं कि गबन, मस्टर रोल्स में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के अन्य तरीक़ों को कम किया जा सकता है। सामाजिक लेखापरीक्षण और सामाजिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार का उपयोग करने से भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश हुआ है। इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पहले चलाए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम की अपेक्षा इस योजना में भ्रष्टाचार काफी कम है। विकास कार्यक्रमों पर अब ज्यादा लोगों की नज़र रहती है।

भ्रष्टाचार से निपटने के अलावा, कार्यस्थल पर बच्चों वाली महिलाओं के लिये सुविधाओं का अभाव और दरों की सूची में संशोधन की आवश्यकता जैसी कुछ और चिंताएं भी हैं। इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें से किसी को भी योजना के अनन्य क्रियान्वयन में बाधक बनने का मौका नहीं देना चाहिए। यह योजना उच्च आर्थिक विकास से वंचित रहे लाखों-करोड़ों भारतीयों की जीवनरेखा बन चुकी है। ❑

आर्थिक संकेतक

संकेतक: वार्षिक	इकाइयां	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्तूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.8	105.5	107.3	109	111	112.2	113.7	115.2
जीडीपी वर्तमानै बाज़ार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,02,314	22,78,952	24,54,561	27,54,621	31,49,412	35,80,344	41,45,810	47,13,148	-
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,632	21,976	23,299	25,773	28,684	32,224	36,771	-	-
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.8	31.8	34.3	34.8	-	-
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	24.3	22.8	25.2	28.2	32.2	35.5	35.9	-	-
सकल राजकोषीय हानि	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.4	3.0	2.5
वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एफसी का क्षेत्रवार हिस्सा										
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	जीडीपी का %	23.4	23.2	20.9	21.0	19.2	18.8	18.3	17.8	-
उद्योग	जीडीपी का %	26.2	25.3	26.5	26.2	28.2	28.8	29.3	29.4	-
सेवा	जीडीपी का %	50.5	51.5	52.7	52.8	52.6	52.4	52.4	52.8	-
मूल्य (वार्षिक औसत)										
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूटी 100.00)	अप्रैल 1993=100	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.5	206.1	215.7	-
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्यो. कर्म	जुलाई 2001=100	95.93	100.07	104.05	108.07	112.2	117.2	125.0	132.75	-
कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत										
खाद्यान्न	मिलि. टन	196.8	212.9	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	227.3	228.8
मोटा अनाज	मिलि. टन	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	203.1	212.1	213.4
चावल	मिलि. टन	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	95.7	96.0
गेहूं	मिलि. टन	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	76.8	77.0
दालें	मिलि. टन	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	15.2	15.4
तिलहन	मिलि. टन	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	28.2	29.3
गन्ना	मिलि. टन	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	344.2	350.0
उद्योग और ऊर्जा										
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (मान-100) (वार्षिक औसत)	अप्रैल 1993 = 100	162.69	166.99	176.64	188.97	204.8	221.52	247.05	267.16	-
	% परिवर्तन	5.06	2.64	5.78	6.98	8.37	8.16	11.53	8.14	-
व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन	एमटीओई #	230.9	237.9	246.9	259.2	272.0	283.83	298.55	73.45	-
सार्वजनिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा उत्पादन	मिलि. केडब्ल्यूएच	501.2	517.4	532.7	565.1	594.5	617.5	662.5	704.5	-
विदेश व्यापार										
निर्यात	मिली. अम. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1,03,075	1,26,276	1,55,435	-
आयात	मिली. अम. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,85,624	2,35,868	-
विदेशी मुद्रा भंडार^	मिली. अम. डॉलर	39,554	51,049	71,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	2,99,147	-
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध)	मिली. अम.डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	8,901.0	21,991	32,327	-
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	2,760	2,021	979	11,356	9,311	12,494	7,004	29,096	-
रुपया विनिमय दर	रुपये/अम. डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.29	40.24	-

संकेतक : मासिक																	
मूल्य		मार्च 07	अप्रैल 07	मई 07	जून 07	जुलाई 07	अगस्त 07	सितं. 07	अक्तू 07	नवंबर 07	दिस. 07	जन. 08	फर. 08	मार्च 08	अप्रैल 08	मई 08	जून 08
थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 = 100		209.8	211.5	212.3	212.3	213.6	213.8	215.1	215.2	215.9	216.4	218.2	219.9	225.5	228.5	229.6	
(सभी सामग्रियां) परिवर्तन		6.6	6.3	5.5	4.5	4.7	4.1	3.5	3.1	3.3	3.8	4.5	5.3	7.5	8.04	8.2	
कृषि																	
वास्तविक वर्षा: अखिल भारत	मिलीमीटर	32	27	48	153	259	299	194	75	14	16	19	19	32	37	38	159
सामान्य वर्षा से अंतर	प्रतिशत	14	-20	-31	8	0	-2	14	-22	-49	1	-19	-14	21	-15	-31	22
चावल भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	13.2	13.5	12.6	10.6	-	6.7	-	10.7	10.1	11.2	-	-	13.5	12.6		
गेहूं भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	4.6	11.6	13.3	12.8	-	10.9	-	9.0	8.4	7.4	-	-	5.5	17.5		

निवेश (सीएमआईई कैपएक्सडेटाबेस)		मार्च '01	मार्च '02	मार्च '03	मार्च '04	मार्च '05	मार्च '06	मार्च '07	मार्च '08
परियोजना निवेश	करोड़ रुपये	1,403,025	1,486,938	1,382,122	1,503,040	1,931,500	2,761,339	4,293,108	6,118,218
	परियोजना की संख्या	4,328	5,805	6,942	8,835	9,434	9,688	12,281	14,501

टिप्पणी: (क), % परिवर्तन वार्षिक आधार पर है; (ख) एमटीओई: मिलियन टन तेल का समतुल्य; (ग) ^ भारत सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर); (घ) * यह देश में चल रहे सभी चालू पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत का सकल योग है। ये परियोजनाएं इनमें से किसी भी तीन अवस्थाओं में हो सकती है - घोषित अथवा जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा हो।

स्रोत : योजना आयोग में स्थित i^3 (आई क्यूब) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के दो साल

● रघुवंश प्रसाद सिंह

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून की एक विशेष ख़ासियत यह है कि यह सामाजिक लेखापरीक्षण को केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इसका मूल मकसद परियोजनाओं, कानून एवं नीतियों पर अमल में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पिछले दो साल के अनुभव तथा अमल के दौरान मिली सीख के बल पर नरेगा को ज्यादा प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम लाभार्थियों की आमदनी में बढ़ोतरी करेगा, स्थायी परिसंपत्तियां निर्मित करेगा तथा ग्रामीण भारत के लिये दीर्घकालीन ठोस लाभ अर्जित करेगा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (नरेगा) 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस कानून का लक्ष्य हर वित्तीय साल में प्रत्येक परिवार के ऐसे वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोज़गार सृजन वाला गैर-हुनर काम मुहैया कराना है जो सूखा, वनों की कटाई तथा भू-क्षरण के कारण लगातार पैदा होने वाली ग़रीबी की समस्या के निवारण में मददगार साबित हो ताकि लगातार रोज़गार सृजन की प्रक्रिया जारी रहे।

2 फरवरी, 2006 को लागू इस कानून के प्रथम चरण में यह सुविधा 200 जिलों में उपलब्ध कराई गई थी। 2007-08 में इस कानून का विस्तार 330 अतिरिक्त जिलों में किया गया जबकि बाक़ी जिलों को इसमें शामिल करने की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को जारी की गई।

नरेगा का महत्व

नरेगा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसका संचालन अनेक स्तरों पर होता है। यह संवेदनशील वर्गों को ऐसे वक़्त में रोज़गार उपलब्ध कराता है जब उसके दूसरे साधन कम हो गए हों या वे अपर्याप्त हों। जिससे वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध होता है। इससे विकास की प्रक्रिया में समानता का आयाम जुड़ता है। यह काम पाने के कानूनी अधिकार, रोज़गार की मांग करने का अधिकार तथा समय-सीमा में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये सरकार को जवाबदेह बनाकर मज़दूरी प्राप्ति के योजनागत कार्यक्रम के लिये अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक ढांचा भी निर्मित करता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण तथा स्थायी परिसंपत्ति के सृजन पर ज़ोर देने के कारण इसमें

खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास के लिये इंजन बनने की भी संभावना है। अंततः विकेंद्रीकरण के इर्द-गिर्द निर्मित इसका संचालन संबंधी स्वरूप तथा स्थानीय समुदाय के प्रति इसकी समानांतर जवाबदेही कारोबार का नया तरीक़ा प्रस्तुत करती है और पारदर्शिता तथा बुनियादी जनतंत्र के सिद्धांतों से संचालित प्रशासनिक सुधार का एक मॉडल भी उपलब्ध करती है। इस मायने में नरेगा की संभावना बुनियादी मज़दूरी सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्रिय करने सहित जनतंत्र को बदलाव संबंधी अधिकारिता प्रदान करने के एक व्यापक क्षेत्र तक कायम है।

कानून की विशेषताएं

अधिकार पर आधारित ढांचा

- गांव के जो वयस्क लोग गैर-हुनर वाले काम करने के इच्छुक हैं वे लिखित अथवा मौखिक रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज़ कराने का आवेदन कर सकते हैं।
- ग्राम पंचायत उनकी दरख़्वास्त की उचित जांच-पड़ताल के बाद जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड बिना कोई शुल्क लिये जारी किया जाएगा और उस कार्ड पर घर के सारे वयस्क लोगों के नाम होंगे।
- जॉब कार्ड वाले परिवार ग्राम पंचायत के पास रोज़गार के लिये दरख्वास्त देंगे, जिस दरख्वास्त पर काम पाने के समय और अवधि का जिक्र रहेगा।

समय-सीमाबद्ध गारंटी

- ग्राम पंचायत रोज़गार संबंधी लिखित दरख्वास्त की तारीख़ के साथ प्राप्ति रसीद जारी करेगी। इस रसीद की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उसे काम नहीं दिया जाता है तो उसे नक़द दैनिक बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बेरोज़गारी भत्ते के भुगतान की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी।
- आमतौर पर काम गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाएगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मज़दूरी दी जाएगी।
- मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी दर के आधार पर किया जाएगा। मज़दूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा और किसी भी हालत में एक पखवारे के भीतर।

महिलाओं के अधिकार

जितने लोगों को काम दिया जाएगा उनमें से कम से कम एक तिहाई महिला होनी चाहिए।

कार्यस्थल पर सुविधा

कार्यस्थल पर पालना, पीने के पानी तथा शेड की सुविधा देनी होगी।

विकेंद्रित प्रशिक्षण

- परियोजनाओं की रूपरेखा ग्राम सभा द्वारा तैयार होनी है। कुल काम के 150 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं को परियोजना की योजना बनाने तथा उस पर अमल में मुख्य भूमिका निभानी है।

श्रम बहुल निर्माण कार्य

- श्रम और सामग्री का अनुपात 60:40 का रखना होगा। ठेकेदारों एवं श्रमिक की जगह मशीनरी के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित है।

सार्वजनिक जवाबदेही

- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) कराया जाना है।
- जवाबदेही वाली अमल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये शिकायत निवारण तंत्र कायम किया जाएगा।

पारदर्शिता

मांग करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने पर स्कीम से संबंधित सारे लेखाओं तथा रिकार्डों की प्रति किसी भी इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुमत काम

- जल संरक्षण
- सूखा रोकनेवाला काम (पौधा रोपण तथा वनीकरण सहित)
- सिंचाई नहर
- लघु सिंचाई, बागवानी तथा भूमि विकास। यह भूमि अनुसूचित जातियों, अनु. जनजातियों/ ग़रीबी रेखा से नीचे/आईएवाई तथा भूमि सुधार के लाभार्थियों की होनी चाहिए।
- पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार
- बाढ़ नियंत्रण
- भूमि विकास
- ग्रामीण संपर्क मार्ग

धन की व्यवस्था

केंद्र सरकार निम्नलिखित मदों की लागत का ख़र्च उठाएगी :

- गैर-हुनरमंद श्रमिकों की मज़दूरी की पूरी लागत ।
- कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मज़दूरी की सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत।
- केंद्र सरकार द्वारा तय प्रशासनिक ख़र्च। इसमें प्रोग्राम अफसर, उनके सहायक कर्मी तथा निर्माणस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के लिये दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते शामिल हैं।
- राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी परिषद का ख़र्च।

राज्य सरकार निम्नलिखित मदों की लागत का भार उठाएगी

- कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मज़दूरी की सामग्री की लागत का 25 प्रतिशत।
- राज्य सरकार द्वारा समय पर मज़दूरी अर्जन वाला काम उपलब्ध न कराने पर दिया जानेवाला बेरोज़गारी भत्ता।
- राज्य नियोजन गारंटी परिषद का प्रशासनिक ख़र्च।

अब तक के परिणाम

नरेगा पर अमल के दो साल पूरे होना इस कार्यक्रम का औचित्य साबित करता है। इससे यह बात भी साफ है कि रोज़गार की प्रकृति मौसमी है और इसके तहत होने वाले काम, स्थानीय खेती के तरीक़े तथा रोज़गार के वैकल्पिक स्वरूपों के अनुसार अलग-अलग किस्म के हैं। इसलिये सारे जॉब कार्डधारी परिवारों के लिये पूरे 100 दिन के काम की मांग करना ज़रूरी नहीं है।

इस तरह नरेगा के तहत श्रमबल में जिलावार और राज्यवार पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सारे जिलों में एक ही तरह की श्रमिक मांग और मांग का स्तर नहीं होता। प्रथम चरण के जिलों में 150 जिलों का चुनाव अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति की आबादी के आधार पर किया गया था और प्रति श्रमिक खेती की उत्पादकता तथा खेतिहर मज़दूरी की दर का ख्याल नहीं रखा गया था। इन जिलों में ज्यादा रोज़गार की मांग की संभावना है। जो जिले अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित हैं वहां नरेगा के तहत कम रोज़गार की मांग की संभावना है, क्योंकि वहां खेती तथा गैरखेती संबंधी अन्य ग्रामीण गतिविधियों के कारण रोज़गार की काफी संभावना है। इस तरह यह बात काफी साफ है कि नरेगा 'ग़रीबी के भूगोल' का ख्याल रखता है क्योंकि यह अति उपेक्षित इलाकों में अधिक रोज़गार पैदा करता है। 2008 की जनवरी के मध्य तक इसके महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं :

- **ग्रामीण श्रमिक बल के लिये वर्द्धित रोज़गार सुअवसर**

इस कार्यक्रम पर अमल के रुख से नरेगा के मकसद का औचित्य सिद्ध होता है। इसका मकसद रोज़गार तथा रोज़गार सृजन के सुअवसर में वृद्धि करना रहा है। 2006-07 में 200 जिलों में 90 करोड़ 50 लाख श्रम दिवस तथा इस साल फरवरी तक 330 जिलों में 119 करोड़ 78 लाख श्रम दिवस सृजित हुए। एसजीआरवाई की तुलना में यह उल्लेखनीय वृद्धि है। एसजीआरवाई के तहत पूरे देश के लिये औसत 85 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए थे।

- **समावेशी विकास**

अ) ग्रामीण ग़रीबों तक पहुंच

117.54 प्रतिशत बीपीएल परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि नरेगा का लाभ ग्रामीण ग़रीबों को मिला है। 2006-07 में यह संख्या 127 प्रतिशत रही। 2007-2008 के फरवरी तक की अवधि में 118 प्रतिशत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को यह लाभ मिला। इनमें से 610 प्रतिशत राजस्थान, 28 प्रतिशत महाराष्ट्र तथा 19 प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा रहा। बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में ग्रामीण बीपीएल परिवारों को इसका लाभ अपर्याप्त रूप से मिला। वहां इसका उपयोग 100 प्रतिशत से नीचे रहा।

ब) महिला श्रमबल की भागीदारी का वर्द्धित अनुपात 2006 के मार्च से 2007 के अप्रैल तक 41 प्रतिशत रही। यह भागीदारी 2007 के अप्रैल से 2008 की फरवरी तक की अवधि में बढ़कर 42.18 प्रतिशत हो गई। तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सर्वाधिक (82 प्रतिशत) रहा। उसके बाद राजस्थान का स्थान (70 प्रतिशत) रहा। एसजीआरवाई के तहत महिला श्रमबल की 25 प्रतिशत भागीदारी की जगह यह भी एक महत्वपूर्ण वृद्धि मानी जाएगी।

लेकिन पश्चिम बंगाल (17 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (14 प्रतिशत), झारखंड (23 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (23 प्रतिशत) तथा बिहार (27 प्रतिशत) जैसे राज्यों में महिलाओं की भागीदारी कम रही।

स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों का रोज़गार में कुल हिस्सा 2006-07 में 62 प्रतिशत रहा (अनु. जाति 25.3 प्रतिशत तथा अनु. जनजाति 36.5 प्रतिशत और 2008 की जनवरी तक यह हिस्सा 58 प्रतिशत रहा (अनु. जाति 27 प्रतिशत तथा अनु. जनजाति 31 प्रतिशत)। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा झारखंड सहित 14 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से उनका हिस्सा ज्यादा रहा।

- **न्यूनतम मज़दूरी का प्रभाव**

खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ी है। महाराष्ट्र में न्यूनतम मज़दूरी 47 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई है। इसी तरह बिहार में 68 रुपये से 77 रुपये, कर्नाटक में 62 रुपये से 74 रुपये, पश्चिम बंगाल में 64 रुपये से 74 रुपये, मध्य प्रदेश में 58 रुपये से 67 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 65 रुपये से 75 रुपये, नगालैंड में 66 रुपये से 100 रुपये, जम्मू-कश्मीर में 45 रुपये से 70 रुपये तथा छत्तीसगढ़ में 58 रुपये से 66 रुपये तक हो गई है।

- **अधिक मज़दूरी का अर्जन**

नरेगा के लिये निर्धारित धन का साठ प्रतिशत से अधिक का भुगतान श्रमिकों को मज़दूरी के रूप में किया गया। 2007-08 वित्तीय वर्ष के फरवरी माह के अंत तक कुल 12,692 करोड़ 65 लाख रुपये ख़र्च किए गए, जिसमें से 8,593 करोड़ 53 लाख (68 प्रतिशत) मज़दूरी के रुपये में भुगतान किया गया।

- **उत्पादक परिसंपत्ति का सृजन**

2006-07 में क़रीब 8 लाख निर्माण कार्य हाथ में लिये गए। इनमें से 5 लाख 30 हज़ार काम जल संरक्षण, सिंचाई, सूखा रोकने तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों से संबंधित थे। 2007-08 में क़रीब 15 लाख 5 हज़ार निर्माण कार्य हाथ में लिये गए, जिनमें से 9 लाख 54 हज़ार से ज्यादा जल संरक्षण, सिंचाई, सूखा रोकने तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक एवं जीविकोपार्जन का संसाधन आधार तैयार हुआ है।

- **प्रशिक्षण**

2006-07 में 20 लाख पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों, 58,016 सरकारी पदाधिकारियों तथा 28,701 निगरानी तथा अनुश्रवण कमेटियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 2007 के नवंबर तक 32 लाख 41 हज़ार पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों, 1,75,745 सरकारी पदाधिकारियों तथा निगरानी एवं अनुश्रवण कमेटियों के 2,39,474 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

ग्राम विकास मंत्रालय ने निगरानी प्रशिक्षण कार्यशाला (पीअर लर्निंग वर्कशॉप) आयोजित किया। इसमें राज्य के अधिकारियों, सामाजिक संगठनों तथा पेशेवर लोगों को सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यस्थल के प्रबंधन तथा मेटों की तैनाती का प्रशिक्षण दिया गया।

- **वित्तीय समावेश**

संस्थागत खातों से मज़दूरी के भुगतान की व्यापक प्रणाली बनाने के मकसद से सभी राज्यों से यह सिफ़ारिश की गई है कि वे डाकघरों तथा बैंक खातों के जरिये मज़दूरी का भुगतान करने की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने बैंकों एवं डाकघरों में श्रमिकों के बचत खातों के जरिये मज़दूरी का भुगतान करना शुरू कर दिया है। राज्यों को चाहिए कि अपने मज़दूरों की मज़दूरी के भुगतान के लिये बैंकों एवं डाकघरों का एक नेटवर्क बनाएं।

आज तक 96 लाख डाकघर एवं बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

महत्वपूर्ण क्षेत्र

कार्ययोजना के महत्वूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं। ये उपाय इस कार्यक्रम के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये किए गए हैं। ग्रामीण श्रमिकों के बीच कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये सूचना, शिक्षा तथा संचार (इनफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (आईईसी) का ज्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा होने पर ही श्रमिकों द्वारा अधिक से अधिक काम की मांग होगी। इस दिशा में विविध पहलें की गई हैं। इनमें सारे सरपंचों का एक दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण, हर पखवाड़े रोज़गार दिवस का आयोजन, ग्राम सभा, स्थानीय भाषा के समाचारपत्र, रेडियो, टीवी, फिल्म तथा स्थानीय सांस्कृतिक मंच शामिल हैं। वॉल पेंटिंगों, पर्चों, स्थानीय भाषा में ब्रोशरों, कार्यकर्ताओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिये सुगम पुस्तिकाओं के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाई जाती है। योजना की कोटि

भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उचित समय पर निर्माण कार्य शुरू होने से भी इसकी मांग की समय पर पूर्ति होगी। यह मकसद तभी पूरा होगा जब हर गांव के लिये परियोजना का आधार पहले से तैयार रहेगा। यह तैयारी तकनीकी एवं प्रशासनिक मंजूरी के साथ होनी चाहिए। प्रभावकारी ढंग से योजना बनाने से काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

जॉब कार्डों, प्रामाणिक दैनिक श्रमिक पंजियों के रखरखाव, राज्य सरकारों द्वारा दैनिक पंजियों के 100 प्रतिशत सत्यापन के अनवरत अभियानों, बाहरी एजेंसियों द्वारा दैनिक पंजियों का औचक नमूना लेकर सत्यापन तथा उन्हें नरेगा वेबसाईट पर डाले जाने से पारदर्शी रक्षोपाय की व्यवस्था करना सिद्धांत रूप से तय है। मज़दूरी का पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने के काम को बैंकों और डाकघरों में मज़दूरों के बचत खातों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था करके प्रोत्साहित किया जाता है तथा थ्रिफ्ट एवं लघु बचतों के लिये उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

इसके लिये प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है। *www.nrega.nic.in* नामक वेबसाइट नेटवर्क ऑन-साइन मानिटरिंग तथा प्रबंधन, आंकड़ों में पारदर्शिता तथा सभी तरह की जानकारियां आम लोगों को पाने में सुगमता के ख्याल से विकसित किया गया है। इससे आंकड़े पारदर्शी तरीक़े से तथा आम लोगों को सुलभ हो जाते हैं और समान रूप से सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम स्तरीय परिवार संबंधी आंकड़ों के आधार की आंतरिक जांच की व्यवस्था की गई है ताकि उसे प्रामाणिक प्रक्रिया के अनुरूप रखा जा सके। सभी निम्नलिखित महत्वपूर्ण मापदंडों का सार्वजनिक हित की दृष्टि से अनुश्रवण किया जाता है :

(क) श्रमिकों के अधिकार संबंधी आंकड़े तथा दस्तावेज़ जैसे पंजीकरण, जॉब कार्ड, दैनिक मज़दूरी पंजी

(ख) निर्माण कार्यों का चयन तथा अमल संबंधी आंकड़ा, जिसमें स्वीकृत एवं मंजूरी प्राप्त निर्माण कार्य, निर्माण कार्य की अनुमानित लागत, अमल वाले निर्माण कार्य तथा पैमाइश का विवरण शामिल हो

(ग) मांगे गए तथा उपलब्ध कराए गए रोज़गार का विवरण

(घ) वित्तीय संकेतक यथा - उपलब्ध धन, ख़र्च धन तथा धन के उपयोग से संबंधित निर्माण ढांचों का विवरण, ताकि मज़दूरी के रूप में भुगतान की गई राशि, सामग्रियों एवं प्रशासनिक ख़र्चों का आकलन किया जा सके।

चूंकि एमआईएस सभी महत्वपूर्ण आंकड़ा वेब पर डालने की सुविधा प्रदान करता है और यह आंकड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर आधारित है, इसका पारदर्शिता कायम करने के ख्याल से ज्यादा महत्व है, क्योंकि इससे रिकार्डों के पुनर्सत्यापन की सुविधा मिल जाती है और नरेगा के लिये बने कानून के तहत निर्धारित किसी भी मापदंड पर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। सारे जॉब कार्ड तथा दैनिक पंजी विवरणिका नरेगा वेबसाईट पर डाली जा रही है। यहां अभी तक 2,43,25,982 जॉब कार्ड तथा 32,96,448 दैनिक पंजियां उपलब्ध हो चुकी हैं।

अनवरत मॉनिटरिंग एवं निगरानी की प्रक्रिया के तहत बाहरी एवं आंतरिक एजेंसियों द्वारा कार्यस्थलों पर जाकर सत्यापन का काम किया जाता है। केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषदों का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर प्रथम चरण वाले नरेगा के अमल वाले सभी जिलों और दूसरे चरण के 113 जिलों का दौरा कर चुके हैं। ग्राम विकास मंत्रालय अपने एरिया अफसर के माध्यम से इसकी सख्त निगरानी कराता रहता है। यह काम आंतरिक निगरानी के सिलसिले में कराया जाता है। नरेगा के तहत राज्यों को ब्लॉक स्तर पर 100 प्रतिशत सत्यापन, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 2 प्रतिशत सत्यापन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए। मार्गनिर्देश के अनुसार, इस योजना के तहत हर मज़दूरी संबंधी निर्माण कार्य के लिये एक स्थानीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की जाएगी, जिसमें गांव के लोग भी शामिल होंगे। यह समिति काम की प्रगति तथा उसकी गुणवत्ता पर भी नज़र रखेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून की एक विशेष ख़ासियत यह हैं कि वह नरेगा की धारा 17 के तहत सख्त जन निगरानी के लिये सामाजिक लेखापरीक्षण को केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इसका मूल मकसद परियोजनाओं, कानून एवं नीतियों पर अमल में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सामाजिक लेखापरीक्षण के साथ-साथ समानांतर लोक जवाबदेही प्रणाली तथा एमआईएस की भी व्यवस्था है। चूंकि यह नयी अवधारणा है और राज्यों, खासकर गांवों तथा पंचायतों के स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षण की व्यवस्था असामान्य बात है, इसलिये मंत्रालय की कोशिश है कि सामाजिक लेखापरीक्षण की कानूनी व्यवस्था के साथ-साथ वह भी राज्य के ऐसे कामों पर निगरानी रखे तथा राज्यों को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद करे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) ने राज्यों के लिये एक पुस्तिका तैयार की है। यह कानून पारदर्शिता तथा स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक जानकारी देने पर भी ज़ोर डालता है। इस कानून की धारा 11(1एफ) के तहत वार्षिक रिपोर्ट संसद तथा राज्य विधान मंडलों में पेश की जानी है। नरेगा पर अमल की 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संसद में पेश की जा चुकी है।

स्थानीय समाधान तथा कार्यस्थल पर नया कुछ करने के सुझावों से नरेगा को पूरे देश में लागू करने की चुनौती का सामना करने में मदद मिली है। नरेगानेट ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू ज्ञान बढ़ाने वाली पहल है ताकि स्थानीय समाधानों की जानकारी दूसरे क्षेत्रों को भी मिल सके। इस नेटवर्क का मकसद ज्ञान भंडार का सृजन करना तथा एक-दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना है। यह परस्पर बातचीत का एक मंच है, जहां से विचारों, अनुभवों तथा मतों का समाज के सभी वर्गों के बीच तथा चारों दिशाओं में फैलाव होगा। इस ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना तथा व्यापक स्तर पर उपलब्ध समाधान संबंधी ज्ञान का मांग के आधार पर पेशकश करना है।

नागरिक समाज द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिये हाल ही में एक पुरस्कार (रोज़गार जागरण पुरस्कार) की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार का मकसद राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा पर प्रभावी अमल में उल्लेखनीय एवं असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करना है।

पिछले दो साल के अनुभव तथा अमल के दौरान मिली सीख के बल पर नरेगा को ज्यादा प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम लाभार्थियों की आमदनी में बढ़ोतरी करेगा, स्थायी परिसंपत्तियां निर्मित करेगा तथा ग्रामीण भारत के लिये दीर्घकालीन ठोस लाभ अर्जित करेगा। ❑

(लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

नरेगा के वायदे पर अमल

● ललित माथुर

आलोचनाओं के बावजूद राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून को एक अग्रणी कानून के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे मज़दूरी से जुड़े नियोजन कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। नरेगा वास्तव में पहला ऐसा ग़रीबों के प्रति प्रतिबद्धता वाला ठोस कार्यक्रम है जिससे वे अपनी गरिमा पर आंच आए बिना जीविकोपार्जन की उम्मीद कर सकते हैं और इसकी मांग अपने एक अधिकार के रूप में कर सकते हैं। इस कानून की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें 100 दिनों के काम की गारंटी की व्यवस्था है। विकास के इतिहास में इससे पहले इस तरह की कोई इतनी महत्वपूर्ण पहल नहीं की गई थी। मज़दूरी से सीधा मिलने वाला लाभ ग़रीब परिवारों के लिये काफी महत्व का है।

वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी क्षमता असाधारण है। एनआरइजीए (नरेगा) की अनोखी विशेषता भारत में विकासात्मक परिदृश्य में बदलाव का द्वार खोलने के उल्लेखनीय मौके पैदा करने में निहित है। यह खासियत इस पर अमल के दो साल के दौरान ही प्रकट होने लगी थी।

पारदर्शी प्रक्रिया

सहभागिता की प्रक्रिया वाले किसी सरकारी कार्यक्रम में शायद पहली बार पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव हो पाई है। यह सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसके संचालन को सूचना प्राप्ति के अधिकार के तहत डालकर उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नरेगा के तहत ऐसी व्यवस्था है। ऐसे सामाजिक लेखा परीक्षण के फलस्वरूप ऐसे अनेक अविश्वसनीय उदाहरण कायम हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि गांव-दर-गांव में भ्रष्ट अधिकारियों को वह राशि वापस करनी पड़ी है जिसका उन्होंने गबन कर लिया था। सार्वजनिक सभाओं में विधायकों तथा अन्य राजनीतिज्ञों ने उन लोगों से पल्ला झाड़ लिया जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिये मिली राशि का गबन कर लिया था। अधिकतर ऐसे उदाहरण खासकर आंध्र प्रदेश में देखने में आए हैं जहां सामाजिक लेखापरीक्षण को इस कार्यक्रम पर अमल का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया है। इस तरह का दृष्टिकोण, सूचना का अधिकार कानून के इस्तेमाल सहित हर क्षेत्र में देखने को मिला है।

साथ ही प्रशासन एवं समुदाय के बीच की साझेदारी सफल रही और ऐसा संभव भी पाया गया। अधिकांश स्वयंसेवी संगठन, ग्रामीण समूह तथा मज़दूरी करने वाले श्रमिक अनेक राज्यों में एकजुट हुए हैं जिससे इस कार्यक्रम पर सफलतापूर्वक अमल संभव हो सका है - सामंतशाही व्यवस्था और आप ही 'माई-बाप' की पूर्व से कायम मानसिकता से मुक्ति की दिशा में एक भारी बदलाव कहा जाएगा। यह

भावना ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बावजूद अभी तक हावी रही है। इस कार्यक्रम पर अमल से हम विकेंद्रित शासन व्यवस्था कायम करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।

एक उत्साहवर्द्धक बात यह है कि इस कार्यक्रम को किसी भी हालत में अधिकतर मामलों में साझेदारी के साथ अनेक जिलों में लागू किया जा सकता है। वास्तव में अनेक समूहों, गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की नज़र में नरेगा सार्थक सामाजिक सेवा का एक माध्यम है जिसके आधार पर ग्रामीण ग़रीब मज़दूरी अर्जन के रोज़गार के लिये एकजुट हो सकते हैं। इससे सामुदायिक संगठनों और गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों का विकास योजनाओं में सरकार के साथ सहयोग करने से भी काम करने की क्षमता बढ़ेगी।

ग्रामीण इलाकों में ग़रीबों के लिये पूंजीनिर्माण

इसका महत्वपूर्ण पक्ष कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण के मामले में इसका अकाट्य महत्वपूर्ण योगदान है। इस कानून में ही उन कार्यों की सूची शामिल है जिनके लिये इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। सारे कार्य परिसंपत्ति के सृजन तथा जल संरक्षण पर केंद्रित हैं। देहाती निर्माण कार्यों की आम समझ के विपरीत पहले साल के निर्माण कार्यों से प्राप्त अनुभव से मालूम हुआ है कि 8.3 लाख कार्यों में से, जिन पर 9,000 करोड़ रुपये ख़र्च हुए, 75 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण के लिये ढांचा बनाने, लघु सिंचाई के लिये तालाब खोदने, सामुदायिक कुआं बनाने, भूमि का विकास करने, बाढ़ नियंत्रण, पौधा रोपण तथा ऐसे ही कार्य हैं जबकि इससे पहले ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर होने वाला ख़र्च मानसून की वर्षा में बह जाता था। इन कार्यों से हुए लाभ में 12 करोड़ घनफुट (क्यूबिक) मीटर क्षमता की जलसंग्रह क्षमता, 3 लाख किलोमीटर नाले तथा जल जमाव वाले इलाकों में तटबंधों का निर्माण, साढ़े तीन लाख हेक्टेयर में पौधारोपण तथा उतनी ही भूमि का विकास शामिल है। इन कार्यों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की स्थिति से निबटने तथा अर्द्ध-मरूभूमि वाले क्षेत्रों में हुए कार्य भी शामिल हैं। जबकि एक साल की रिपोर्ट से ज्यादा उपलब्धि का अंदाज नहीं लगता, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे साल भी यही स्थिति कायम रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेगा परियोजनाएं मूल्यवान हैं और देहाती इलाकों के विकास के लिये एक सामयिक पहल हैं। इन कार्यों को पूरा करने की कोई निर्धारित समय-सीमा भी नहीं है।

नरेगा परियोजनाओं की एक विशेषता यह भी है कि इस कार्यक्रम के फलस्वरूप अर्जित परिसंपत्तियों का सीधा लाभ ग़रीबों को मिलेगा। ऐसा इसलिये होगा क्योंकि इस कानून में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि इसके तहत जिन-जिन कामों को कराने की इज़ाज़त होगी उनका लाभ ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। जिस तरह महाराष्ट्र में रोज़गार गारंटी योजना से 1990 के दशक में बागवानी क्रांति हुई थी उसी तरह नरेगा ग़रीबों की ज़मीन पर उत्पादकता क्रांति पैदा कर सकता है। यह जानकार क्षेत्रों में भी पता नहीं है कि ग़रीब लोगों के पास डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि है और यह स्थिति वास्तव में बागवानी, खेती, समन्वित कृषि प्रणाली तथा पौधा रोपण के लिये समन्वित विकास पैकेज़ की शुरुआत करने का संकेत देती है। अनेक जगहों पर ऐसी कोशिश की जा चुकी है, परंतु यह कोशिश छोटे स्तर पर हुई है, न कि योजनाबद्ध एवं समन्वित तरीक़े से। इस बात में कभी कोई संदेह नहीं रहा कि रोज़गार गारंटी कार्यक्रम में सामाजिक न्याय के साथ विकास के हथियार के रूप में भारी संभावनाएं भी निहित हैं।

अधिकारिता

सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी प्रभाव की बात यह है कि ग़रीबों की अधिकारिता की प्रक्रिया नरेगा के इर्द-गिर्द विकसित हो रही है। यह प्रक्रिया देश के अनेक हिस्सों में शुरू हो चुकी है जहां ग़रीब परिवार अपने अधिकार पर ज़ोर डालने और न्यूनतम मज़दूरी की मांग करने, उच्च दर से मज़दूरी के लिये मोलभाव करने तथा अनिच्छुक एवं आनाकानी करने वाले प्रशासन से बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने में समर्थ रहा है।

नरेगा वास्तव में देशभर के ग़रीबों को एकजुट करने में प्रेरक साबित हुआ है। संभवत: इतिहास में पहली बार तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर यात्राओं, अभियानों, सभाओं, विचार-विमर्शों, जागरुकता तथा अन्य प्रयासों से ऐसा संभव हुआ है। रोज़गार गारंटी के प्रति जागरुकता, परिवारों पर मज़दूरी के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप बच्चों को स्कूल जाने के अवसर मिले और परिवार में पौष्टिकता की स्थिति में भी सुधार हुआ है, इसने महाजनों पर निर्भरता कम की है, भारी ग़रीबी की स्थिति में कमी लाई है और मज़दूरों का पलायन कम हुआ है। इन सब बातों से ग़रीबों में आत्मविश्वास बढ़ा है। इससे सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवनयापन का आधार बना है।

स्पष्ट रूप से रोज़गार गारंटी से ऐसे बदलाव शुरू हुए हैं जो पूर्व की स्थिति से गुणात्मक स्तर पर भिन्न हैं। इससे विकास का नया प्रतिमान कायम होगा। हालांकि यह बदलाव व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है और इसका प्रभाव अलग-अलग जगह पर भिन्न-भिन्न रहा है। लेकिन यह तो इस कार्यक्रम के लागू होने का दूसरा ही साल है, फिर भी इससे स्थिति में अंतर आने लगा है। अब चुनौती इस बात की है कि किस बेहतर तरीक़े से इस कार्यक्रम पर आगे अमल किया जाए ताकि नरेगा के लागू करते समय किया गया वायदा पूरा हो। इसकी कुछ प्राथमिकताएं स्वयंसिद्ध हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षण की अनिवार्यता

सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही कायम करने के लिये सामाजिक लेखा परीक्षण (सोशल ऑडिट) एक प्रभावकारी औज़ार के रूप में उभर कर सामने आया है। हर जगह ऐसे लेखापरीक्षण की ज़रूरत है। अभी तक सिर्फ़ एक राज्य आंध्र प्रदेश इस मामले में सक्रिय रहा है और उसने राज्य तंत्र को इस काम में लगाने की पहल की है। विशेषकर इस कार्यक्रम का विवरण (रिकार्ड) प्राप्त करने के लिये प्रशासन को जिम्मेवार बनाया गया है। प्रशासन उसकी छानबीन करेगा, गांव में रिकार्ड की पुन: जांच की व्यवस्था करेगा, संबंधित परिवारों की दैनिक मज़दूरी के भुगतान की सूची का सत्यापन करेगा, ख़र्च की संबंधित अनुमानित लागत को देखेगा तथा अंत में अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा के सामने पेश करेगा। राज्य सरकार ने इस काम के लिये टीमें गठित करने का भी निर्देश दिया है और इसकी समीक्षा तथा निरीक्षण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिये कहा है।

इस टीम में सरकारी अधिकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। गैरसरकारी

प्रतिनिधियों में गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा दैनिक मज़दूरों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये सारे सामाजिक लेखापरीक्षक (सोशल ऑडिटर) कहलाएंगे। इन लोगों को औपचारिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह साधारण प्रणाली से भिन्न व्यवस्था होगी और भागीदारी पर आधारित विकास के बारे में एक सफल प्रयोग होगा।

इसी तरह के पथ का सभी राज्यों को अनुसरण करना चाहिए अन्यथा, जैसा कि राजस्थान तथा अन्य जगहों पर हुआ है, सामाजिक लेखापरीक्षण प्रक्रिया का प्रतिरोध किया जाएगा और यहां तक कि उसे निष्प्रभावी बना दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी शुरू में इस प्रक्रिया का प्रतिरोध किया गया था, क्योंकि कई मौकों पर प्रशासन खुद इस मामले में ग़लत साबित हुआ था। लेकिन, चूंकि इस दिशा में पहल सरकार की तरफ से हुई थी इसलिये अधिकारियों द्वारा कोई टकराव अथवा अड़चन नहीं डाला गया। अब इस प्रक्रिया का न सिर्फ़ स्वागत हो रहा है बल्कि इसे अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम यह है कि अन्य सरकारी कार्यक्रमों के सामाजिक लेखापरीक्षण की भी मांग की जाने लगी है और इस मामले में नरेगा टीम को विशेषज्ञ माना जाने लगा है।

इस मामले में आंध्र प्रदेश अपवाद है और कोई दूसरा राज्य सामाजिक लेखापरीक्षण की व्यवस्था करने के प्रति इच्छुक नहीं दिख रहा है। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा कि अन्य राज्यों से भी ऐसे ही निर्देश जारी करने की उम्मीद की जाए, इसलिये भारत सरकार की ओर से ऐसा निर्देश जारी किए जाने ज़रूरी हैं। साथ ही, राज्यों को इस मद में धन तभी जारी किया जाए जब सामाजिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट में राज्यों का कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया जाए। ऐसी शर्तें असामान्य नहीं हैं। पहले भी ऐसी शर्तें लगाई जा चुकी हैं जबकि सैद्धांतिक रूप से धन नहीं जारी किए जाने से वे लोग प्रभावित होंगे जिन्हें इस कार्यक्रम से फायदा होने वाला है। यदि प्रभावित होने वाली राशि मोटी होगी तो आमतौर पर राज्य ही इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगेगा।

सामाजिक लेखापरीक्षण की व्यवस्था के लिये सिर्फ़ निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिये एकमुश्त व्यवस्था भी ज़रूरी है, जिसमें सोशल ऑडिट की क्षमता का निर्माण, व्यक्ति विशेष के समूहों का पता लगाकर उन्हें प्रशासन के साथ काम से जोड़ने, लगातार नज़र रखने तथा काम की समीक्षा के लिये खासकर ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों एवं गांवों में व्यवस्था विकसित करना तथा उसको उपयोग में लाना शामिल हैं। इसके लिये सावधानीपूर्वक योजना बनाने, उसके संचालन के काम को पर्याप्त रूप से दूसरे को सौंपने, उसके संचालन में लचीलापन लाने और ज़रूरी संसाधनों की व्यवस्था करना भी ज़रूरी है।

योजना और तालमेल

कृषि के विकास की धीमी दर (मात्र 2.6 प्रतिशत) को लेकर हर तरफ चिंता व्याप्त है। इसका समाधान देहाती इलाकों में पूंजीगत निवेश करने के निर्देश से संभव माना गया है। इस तथ्य की चर्चा 2008-09 के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट में भी की गई है। इस मामले में नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम लोगों ने गौर किया है कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है।

हमें इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि पहले दो साल की उपलब्धि बिना किसी विस्तृत कार्ययोजना के हासिल हुई है। वह भी योजना, उस पर अमल तथा उसके पर्यवेक्षण की किसी महत्वाकांक्षी व्यवस्था के बिना। यह बात सही है कि इसके लिये दिशानिर्देश तथा मार्गदर्शन थे, परंतु उनको समर्थन देने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। इसलिये उन पर अनुसरण की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इस तथ्य पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी ज़ोर डाला गया है।

रोज़गार गारंटी के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में ग्रामीण इलाकों के योगदान को बढ़ावा देने की पूर्व अनिवार्य शर्त का मतलब एक ठोस एवं प्रभावकारी प्रणाली का सृजन एवं उसका उपयोग करना है- खासकर जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत तथा गांव के स्तर पर। वास्तव में 90 के दशक के सामुदायिक विकास के विफल प्रयोग के बाद इस प्रकार की कभी कोशिश ही नहीं की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम जिलों में अनेक स्कीमों पर प्रभाव डाल सकता है। इन स्कीमों में जल संभरण से लेकर शिल्पियों के लिये साझा सुविधा केंद्र निर्माण, सिंचाई से लेकर गांव की नालियों तथा जलापूर्ति के काम शामिल हैं। इसलिये यह उपयुक्त होगा कि नरेगा की निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों को अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे पास एक एकीकृत प्रणाली उपलब्ध हो सके (ऐसा समय-समय पर उद्योगों में भी किया जाता है ताकि आईटी उपकरणों और सॉफ्टवेयर में हो रहे बदलाव का लाभ मिल सके)।

ब्रिटिश शासन ने अपने राजस्व संग्रह प्रशासन के लिये एक परिष्कृत प्रणाली कायम की थी। इस प्रणाली का विस्तार एक-एक भूखंड, प्रत्येक सिंचाई स्रोत तथा यहां तक कि गांव के एक-एक ताड़ के पेड़, दैनिक वर्षा तथा जन्म-मृत्यु तक कर दिया गया था। व्यापक निगरानी एंव पर्यवेक्षण की व्यवस्था में वार्षिक जमाबंदी को भी शामिल कर लिया गया था तथा राजस्व संग्रह के लिये विशेष अभियान चलाए गए थे।

इसलिये हमें आज विकास संबंधी प्रशासन की प्रणाली कायम करने पर धन लगाने की ज़रूरत है। साथ ही इसके विवरण प्राप्ति पर भी नज़र रखनी है, भले ही वह एक लंबी प्रक्रिया हो। समय की मांग है कि हम ऐसा करें, संभवत: ऐसा करना अधिक समयोचित होगा। समान रूप से ज़रूरी और त्वरित ज़रूरत यह व्यवस्था करने की भी है कि इस कार्यक्रम पर अमल के कामों में तालमेल हो ताकि ग्रामीण इलाकों में जो भी निर्माण कार्य शुरू हो वह नरेगा की सूची में शामिल हो। इससे उन कार्यों से अधिक लाभ मिलेगा और परिणाम भी अनुकूल होगा। सूखा राहत, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले निर्माण कार्यों में ऐसा तालमेल सुनिश्चित किया जाता है। इस तालमेल से राज्य सरकारें, गांव, ब्लॉक और जिला प्रशासन अवगत हैं। आपात स्थिति में जो चीज़ें मान्य हैं वे सामान्य स्थिति में सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा। तथापि यह ज़रूरी है और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि नरेगा का विभिन्न विभागीय योजनाओं के साथ तालमेल कायम किया जा सके। इन विभागीय योजनाओं में जलापूर्ति, खेती, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, वन, मछलीपालन तथा हथकरघा शामिल हैं, ताकि इन कार्यक्रमों के ठोस परिणाम निकल सकें। इन कार्यक्रमों पर निगरानी रखने तथा उनकी समीक्षा के कामों में भी तालमेल कायम करने की ज़रूरत है।

उपकरणों को सुदृढ़ करना

नरेगा की क्षमता का लाभ उठाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि उस पर अमल के ढांचे को पर्याप्त रूप से मज़बूत नहीं किया जाएगा, खासकर पंचायतों एवं ब्लॉकों में।

महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों में से यह एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश है। इससे पहले के अनेक रोज़गार सृजन संबंधी कार्यक्रमों के मूल्यांकनों का भी यही निष्कर्ष है। अभी नरेगा के लिये आवंटन का 4 प्रतिशत (हाल ही में उसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है) प्रशासन पर ख़र्च किया जा सकता है। इसी राशि में से सामाजिक लेखापरीक्षण तथा निर्माण स्थल पर सुविधा उपलब्ध कराने के मदों पर भी ख़र्च किया जाएगा। यह राशि अभी भी अपर्याप्त है और इसमें और बढ़ोतरी की जानी चाहिए। चूंकि ऐसे ख़र्च एक जिले के अनेक ब्लॉकों, पंचायतों और गांवों से जुड़े हुए हैं, इसलिये आवंटन के लिये एक उपयुक्त पैमाना कायम किया जाना चाहिए। यह पैमाना डीआरडीए के प्रशासनिक ख़र्चे की पद्धति के आधार पर परंतु उससे अलग हटकर कायम किया जाना चाहिए। यह बड़ी दुखद स्थिति होगी कि इतनी अनुपम पहल सिर्फ़ इसलिये विफल हो जाए कि हम इसके प्रबंधन पर ख़र्च के मामले में दूरदर्शिता से काम नहीं ले सके।

प्रत्येक हितधारी के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन का भी उतना ही महत्व है। नरेगा के लिये खासकर ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्य के आयाम तथा प्रक्रिया के मद्देनज़र इसके प्रति भिन्न प्रकार की समझ विकसित करने की ज़रूरत है जो पिछले विकास कार्यों से प्राप्त अनुभव के दायरे से अलग होगी। इसके लिये सही पाठ्यक्रम तथा स्थिति के अनुकूलन कार्यक्रम पर अमल एक विशाल काम है।

रोज़गार गारंटी की पेचीदगी तथा इसके आकार को ध्यान में रखते हुए इस पर विस्तृत विचार-विमर्श करना ज़रूरी है क्योंकि इसका विस्तार 330 जिलों से बढ़ाकर पूरे देश में कर दिया गया है, जिससे इसके जिलों की संख्या बढ़कर क़रीब दुगनी हो गई है। इसलिये हर कार्य के लिये नवीन नहीं तो विस्तृत व्यवस्था तो ज़रूरी ही है। इसका संचालन सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अकेले नहीं कर सकता। इसके लिये ज़रूरी है कि बड़े पैमाने पर सरकार से बाहर के संगठनों के साथ और सरकारी ढांचे के भीतर, सहयोग कायम किया जाए तथा उनकी दक्षता, अनुभव तथा सूझबूझ का लाभ उठाया जाए।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट प्रावधान के बावजूद, सरकार के अग्रणी कार्यक्रम के रूप में रोज़गार गारंटी की घोषणा, प्रचार तथा भाषणों के बावजूद जो कमी खटक रही है वह है उसके प्रति आस्था एवं विश्वास की। इसको प्राथमिकता देने की भावना, यहां तक कि उसकी पहचान करने की भावना का भी अभाव है। यह कार्यक्रम अलग-थलग पड़ गया है और ग्राम विकास मंत्रालय का कार्यक्रम भर बन कर रह गया है। इसकी जगह इसके साथ भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरह व्यवहार होना चाहिए था और हरित क्रांति की तरह इसके प्रति भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी। वास्तव में यह कार्यक्रम उससे भी अधिक मान्यता पाने का हक़दार है। ❑

(लेखक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के पूर्व महानिदेशक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के पूर्व वित्तीय सलाहकार हैं। ई-मेल : lalitmathur45@yahoo.com)

Now Delhi in Patna *Admission open...*

IAS/PCS

सामान्य अध्ययन + इतिहास

By : MEDIUM : हिन्दी + ENGLISH

शैलेन्द्र सिंह

With Proven Capacity

RENOWNED FOR ANALYTICAL APPROACH

Features:-
- व्याख्यान पर बल
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स
- Regular Test
- Regular Debate
- Answer Formating
- साक्षात्कार (Interview)

New Batch : 1st week of every month

अन्य विषय : निबंध / साक्षात्कार

THE ZENITH

An Innovative Institute for I.A.S.

G-4, Chandrakanta Apartment, Opp. Bata, Pandui Kothi Lane, Boring Road, Patna-800001,
Mob. : 9431052949 / 9835490233 E-mail : thezenithias@rediff.com

YH-8/08/6

नरेगा में भ्रष्टाचार : मिथक और वास्तविकता

● ज्यां द्रेज़
रीतिका खेड़ा
सिद्धार्थ

नरेगा से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। इसके साथ ही जहां कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिले, वहां त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (नरेगा) 2 साल पहले 200 जिलों में लागू किया गया था। बीती अवधि में इसे अनेक प्रक्रियाजन्य समस्याओं से जूझना पड़ा, हालांकि नरेगा के मार्गनिर्देश काफी सटीक थे। इससे यह अपनी मौलिक अनुकूल प्रकृति से अथवा अपनी सफल होने की संभावना से विचलित नहीं हो सका। परंतु, इसने जांच के दौरान महालेखा परीक्षक को इस बात के लिये पर्याप्त आधार प्रदान कर दिया कि वे इसको संदेह के घेरे से निकालने के लिये नैदानिक उपाय करने की मांग कर सकें।

मीडिया रिपोर्ट के विपरीत नरेगा के बारे में महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मसौदे में धन के व्यापक घोटाले के किसी प्रमाण का कोई उल्लेख नहीं है और न ही यह निष्कर्ष है कि नरेगा 'विफल' रहा। रिपोर्ट में मुख्य रूप से प्रक्रिया संबंधी खामियों तथा उनको दूर करने के रचनात्मक उपायों का उल्लेख है। नरेगा के पूरे देश में विस्तार के कुछ ही सप्ताह पहले यह रिपोर्ट आई।

प्रश्न उठता है कि क्या नरेगा का धन वास्तव में ग़रीबों तक पहुंच पाया है? इस सिलसिले में हम 'दैनिक मज़दूरी भुगतान के सत्यापन' के ताज़ा निष्कर्षों की चर्चा करेंगे। सत्यापन का काम जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद के तालमेल के साथ पूरा किया गया था। सर्वेक्षण दल में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दूसरी जगहों के पूरी तरह से प्रशिक्षित छात्रों को शामिल किया गया। दैनिक मज़दूरी सूची जहां-तहां से नमूने के तौर पर सर्वेक्षण से पहले लिये गए विवरण के आधार पर तैयार की गई थी, ताकि उसमें सुधार करने की नाममात्र भी गुंजाइश न रहे। जांचकर्ताओं के साक्षात्कार और विशेष रूप से तैयार मज़दूरी की सूची में श्रमिकों से पूछताछ कर इस बात की पुष्टि की गई कि काम के दिन और उन्हें दी गई मज़दूरी सही है कि नहीं।

दैनिक मज़दूरी की सूची का सत्यापन राजस्थान में सूचना के अधिकार अभियान की पृष्ठभूमि में विकसित प्रणाली के आधार पर किया गया। यह सीखने की प्रक्रिया और पारदर्शिता विकसित करने का एक सुअवसर भी रहा, ताकि लोक निर्माण योजनाओं (यथा मज़दूरों की सूची, जॉब कार्ड की नियमित व्यवस्था तथा सामाजिक लेखापरीक्षण) के लिये रक्षोपाय किए जा सकें। इनमें से अनेक का उल्लेख पहले से ही नरेगा के संचालन संबंधी मार्गनिर्देश तथा कानून में है। राजस्थान से इसके काफी अनौपचारिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए जिनसे ये रक्षोपाय काफी हद तक भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार साबित होंगे। हम लोगों ने अन्यत्र भी इस जानकारी का उल्लेख किया है। (*दि हिंदू*, 13 जुलाई, 2007)

सत्यापन की यह नयी श्रृंखला मई-जून, 2007 में झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी, जहां हमलोगों को दो साल पहले 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में व्यापक भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले थे। उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उस समय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिये आवंटित धन के गबन पर कोई नियंत्रण नहीं था हालत इतनी ख़राब थी कि हममें से एक व्यक्ति को यह टिप्पणी करने पर मज़बूर होना पड़ा कि यह लूट फॉर वर्क प्रोग्राम है। (*टाइम्स ऑफ इंडिया*, 2 जुलाई, 2005)

उसी जिले में इस साल अनेक स्रोतों से हमलोगों को यह बात सुनने को मिली कि नरेगा के लागू होने से भ्रष्टाचार की वारदात में भारी कमी आई है। यह दैनिक मज़दूरों की सूची के सत्यापन कार्य का परिणाम है। हमने ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के जहां-तहां से 9 नमूने लिये। उनकी जांच से पता चला कि मज़दूरों की सूची के अनुसार, 95 प्रतिशत मज़दूरी का भुगतान किया गया। भुगतान वास्तव में संबंधित मज़दूरों को ही मिला है। पड़ोस के कोरिया जिले में भी इसी तरह का सत्यापन किया गया। वहां नरेगा कार्यक्रम के भुगतान में सिर्फ़ 5 प्रतिशत की गड़बड़ी पाई गई।

झारखंड में अचानक चयनित पांच जिलों में दैनिक मज़दूरों की सूची का सत्यापन किया गया। वहां नरेगा के निर्माण कार्यों में 33 प्रतिशत गड़बड़ी पाई गई। स्पष्टत: यह गड़बड़ी पूरी तरह से अमान्य है, परंतु यह उच्च आंकड़ा भी इस दावे को उचित नहीं ठहराता कि नरेगा कोष का बड़ा हिस्सा ग़रीबों तक नहीं पहुंचा। झारखंड में पूर्व के वर्षों की तुलना में भ्रष्टाचार में धीरे-धीरे कमी आई है। पहले आमतौर पर यही तथ्य उजागर हुआ था कि दैनिक मज़दूरों की सूची ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक नकली होती थी।

इसके बाद हम लोग जुलाई-अगस्त 2007 में तमिलनाडु के विल्लूपुरम जिले में नरेगा के सामाजिक लेखापरीक्षण के सिलसिले में गए। वहां हमें नरेगा में भ्रष्टाचार को फैलने से रोकने के गंभीर प्रयासों के अनेक उदाहरण मिले। उदाहरण के लिये तमिलनाडु सरकार ने दैनिक मज़दूरों की सूची तैयार करने का विशेष तरीक़ा निकाला है। मज़दूरों को हर दिन अपनी हाज़िरी के तौर पर दैनिक मज़दूरी की सूची में दस्तख़त करना पड़ता है अथवा अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कार्यस्थल पर न सिर्फ़ नरेगा के मार्गनिर्देश के अनुरूप आम लोगों की जांच के लिये मज़दूरों की सूची उपलब्ध रहती है, बल्कि वास्तव में हर दिन इसे बड़ी संख्या में लोग देखते भी हैं। इस तथा अन्य तरीकों से त्रुटिहीन प्रणाली कायम करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। दुर्भाग्यवश, धन के दुरुपयोग की मात्रा तय करना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि विल्लूपुरम सामाजिक लेखापरीक्षण में सुनियोजित दैनिक मज़दूरी सूची का सत्यापन शामिल नहीं है।

बाद में आंध्र प्रदेश के संक्षिप्त दौरे से नरेगा में भ्रष्टाचार रोकने की विभिन्न पहलों को देखने तथा उन पहलों को सराहने का सुअवसर मिला। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने नरेगा की सारी मज़दूरी का भुगतान डाकघर के माध्यम से करने के साहसिक उपाय किए हैं। यह अमल वाली एजेंसी से भुगतान वाली एजेंसी को पृथक रखने का एक उदाहरण है। नरेगा के मार्गनिर्देश में भी ऐसी ही सिफ़ारिश है। इस प्रणाली से अमल वाली एजेंसी को दैनिक मज़दूरी की सूची में गड़बड़ी के लिये किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि भुगतान उनकी पहुंच से बाहर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने सामाजिक लेखापरीक्षण का एक संस्थागत ढांचा भी खड़ा कर दिया है, जिसमें भागीदारी वाली प्रक्रिया के आधार पर नरेगा के रिकार्डों के नियमित सत्यापन की व्यवस्था है। अपने संक्षिप्त दौरे तथा सामाजिक लेखापरीक्षण के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि ये रक्षोपाय काफी प्रभावकारी हैं। जबकि छोट-मोटे भ्रष्टाचार (जैसे पोस्ट मास्टरों द्वारा घूस लेना) सामाजिक लेखापरीक्षण के कारण पनपे हैं। व्यापक घोटाले का कोई प्रमाण नहीं मिला जबकि कुछ साल पहले तक आंध्र प्रदेश में लोक निर्माण कार्यों में धोखाधड़ी व्यापक स्तर पर कायम थी।

भारी मानसिक आघात

इन अपेक्षाकृत उत्साहजनक जानकारियों के बाद उड़ीसा में हमलोगों को तब भारी मानसिक आघात लगा जब अक्तूबर 2007 में अकस्मात 30 चुनिंदा कार्यस्थलों पर, जो तीन जिलों (बोलांगीर, बाउध और कालाहांडी) में फैले हुए थे, दैनिक मज़दूरों के रजिस्टर का सत्यापन किया गया। इस जांच-निष्कर्ष की ख़बर अन्यत्र भी छपी थी। (*दि हिंदू*, 20 नवंबर, 2007)। संक्षिप्त जांच के दौरान हमलोगों ने पाया कि उड़ीसा में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में (जिनमें निजी ठेकेदार लगे होते हैं, व्यापक स्तर पर दैनिक मज़दूरों से काम लिया जाता है और रिश्वतखोरी संस्थागत रूप ले चुकी है, यही भ्रष्टाचार की 'परंपरागत प्रणाली' की जगह पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली में बदलाव शायद ही शुरू हो पाया है। रक्षोपाय में पारदर्शिता को निहित स्वार्थी तथ्यों ने विफल बना दिया है तथा जो प्रणाली कायम भी है उसमें सत्यापन का काम वस्तुत: मुश्किल है। बोलांगीर और कालाहांडी में बदनाम 'पीसी सिस्टम' लागू है (इसमें विभिन्न पदाधिकारी इन योजनाओं के लिये आवंटित राशि में एक निर्धारित प्रतिशत की मांग करते हैं) और इसमें नरेगा के लिये आवंटित राशि का क़रीब 22 प्रतिशत ख़र्च हो जाता है। उम्मीद की किरण यह है कि इस भ्रष्टाचार से ग्रस्त क्षेत्र में भी अनुकूल बदलाव के कई संकेत मिले। जब कभी वहां जांच एवं नियंत्रण की व्यवस्था लागू की जाती है तो निहित स्वार्थी तत्वों के लिये भुगतान एवं काम में गड़बड़ी करना कठिन हो जाता है और भ्रष्टाचार कम हो जाता है। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अभियान तेज़ किया गया था। यह कदम नरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद उठाया गया था।

इसके बाद दिसंबर 2007 में हमलोगों ने हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की राह पकड़ी। वहां दो जिलों - कांगड़ा एवं सिरमौर की स्थिति में भारी विरोधाभास था। हमने नरेगा सहित सार्वजनिक कार्यों में भारी पारदर्शिता पाई। दैनिक मज़दूरी रजिस्टर तथा नरेगा से संबंधित अन्य रिकार्ड आम लोगों के देखने के लिये ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध थे- कई जगह कंप्यूटरीकृत रूप में। एक अपवाद मिंटा ग्राम पंचायत के अलावा हर जगह दैनिक मज़दूरों की सूची तथा श्रमिकों से पूछताछ की बातों में प्राय: समानता थी।

सिरमौर में दैनिक मज़दूरों की सूची में गड़बड़ी पाई गई। कुछ मामलों में योजना के उपादानों में अवैध रूप से बढ़ोतरी दर्शाई गई थी जिसका उसके लिये निर्धारित राशि से कोई तालमेल नहीं था। राशि के घोटाले के भी कई मामले सामने आए।

नरेगा के लिये आवंटित राशि की और व्यापक छानबीन की ज़रूरत है, परंतु छोटे स्तर की जांच का भी अच्छा परिणाम निकलता है। दैनिक मज़दूरों की हाज़िरी रजिस्टर तथा सत्यापन फार्म आग्रह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये रिकार्ड उन लोगों के पढ़ने के लिये उपयोगी साबित होंगे जो यह सोचते हैं कि नरेगा का धन व्यवस्थित ढंग से बर्बाद किया जा रहा है। इसी तरह लोगों का कथन भी इसके पक्ष में है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इन बातों से द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता कि किस तरह नरेगा के नियोजन से उनको इज्ज़त के साथ जीविकोपार्जन, बच्चों के पालन-पोषण तथा उन्हें स्कूल भेजने में मदद मिली है।

इन निष्कर्षों की विविधता से एक सबक भी मिला है। नरेगा से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। इस उपाय पर अमल का तरीक़ा स्वत: इसके कानून तथा मार्गनिर्देशों में निहित है जिससे पारदर्शिता संबंधी रक्षोपाय संभव है। इसके साथ ही जहां कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायत मिले, वहां त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। समय का तकाज़ा है कि हम धैर्य न खोएं। ❑

(लेखकगण जीबी पंत सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।
ई-मेल : jaandaraz@gmail.com एवं reetika.khera@gmail.com)

रोज़गार गारंटी कानून एवं पर्यावरण सुरक्षा

● सुनीता नारायण

अस्सी के दशक के मध्य में पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल जब महाराष्ट्र की रोज़गार गारंटी योजना के सूत्रधार की खोज में निकले तो मैं भी उनके साथ हो ली। इस खोज में हमने स्वयं को सचिवालय में फाइलों से अटे धूलभरे दफ़्तर में पाया। वहां हमारी मुलाक़ात श्री वीएस पागे से हुई। वे छोटी कद-काठी के बहुत ही मृदुभाषी इंसान थे। उन्होंने हमें बताया कि सन् 1972 में जब राज्य में भीषण सूखा पड़ा था और लोग पलायन पर मज़बूर थे, तब यहां एक ऐसी कार्ययोजना तैयार की गई जिसकी मूल भावना थी ग्रामीण इलाकों में रोज़गार पैदाकर भुगतान के लिये बड़े शहरों के व्यवसायियों पर दायित्व डालना। ये रोज़गार कानूनन गारंटी से युक्त थे। यह पहल ग़रीबी हटाने के ध्येय को लेकर निर्मित रोज़गार अधिकार संपन्नता की ओर पहला कदम थी, चूंकि काम स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध था अत: लोगों को रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर नहीं भागना पड़ा।

संकट के ऐसे दौर में रोज़गार सृजन की इस पहल से अनिल न केवल उत्साहित थे बल्कि एक और बड़ा पर्यावरण पुनर्निर्माण का लाभ वे इसमें देख पा रहे थे। इसी दौरान हम अण्णा हजारे से मिलने राले गांव सिद्धि गए थे। वहां उनके निर्देशन में पहाड़ियों की परिधि में पानी रोकने और ज़मीनी जल पुनर्भरण के उद्देश्य से छोटी खाइयां निर्मित की जा रही थीं। वहां हमें प्याज की भरपूर पैदावार देखने को मिली। इसकी वजह थी सिंचाई की बढ़ी हुई मात्रा। पागे साहब भी अनिल के इसमें निहित पर्यावरण लाभ के विचार से सहमत तो थे किंतु उन्होंने बताया कि चूंकि योजना संकट के दौर का सामना करने के लिए बनाई गई थी, अत: जिला प्रशासन ने ज्यादातर मामलों में पत्थर तोड़ने, सड़कें बनाने और सार्वजनिक निर्माण के कार्य करवाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया।

अगले कुछ वर्षों में इस श्रमधन का उपयोग प्राकृतिक आस्तियों के निर्माण के लिये किए जाने के विचार ने महाराष्ट्र में ज़ोर पकड़ा। अब मिट्टी और पानी को बचाने की ओर ध्यान केंद्रित हुआ। इस दिशा में चेक डैम निर्माण, खेतों में मिट्टी उपचार, पहाड़ियों में खाई रचना और पौधरोपण के कार्य होने लगे। महाराष्ट्र रोज़गार योजना की तर्ज़ पर बनाए गए केंद्रीय रोज़गार कार्यक्रम ने भी अनुसरण करते हुए कुछ मामलों में पर्यावरण पुनर्निर्माण की गरज से एक न्यूनतम प्रतिशत पौधरोपण पर ही ख़र्च करने की व्यवस्था अनिवार्य कर दी।

इसी दौर में देश ने जीवित रहने वाले सार्थक पौधरोपण या ऐसे तालाब निर्मित करने का कौशल भी सीखा जो हर बारिश में गाद से न भर जाएं। प्रशासक एनसी सक्सेना ने आकलन किया कि रोपा गया हर पौधा अगर जीवित रह पाए तो हर गांव में इतने पेड़ होंगे कि प्रत्येक गांव के नज़दीक एक अच्छा-खासा जंगल होगा जो अब तक वास्तव में सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित था। अनिल ने बाद में लिखा भी था कि ये सब किस तरह अनुत्पादक रोज़गार निर्माण से सिद्धहस्त हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हर वर्ष सिर्फ़ पौधरोपण जोकि प्रतिवर्ष रोपों के पशुओं द्वारा खा लिये जाने या मर जाने के कारण उन्हीं गड्ढों को बार-बार खुदवाए जाने से शाश्वत होता जा रहा था।

इस प्रशासकीय खेल ने ग्रामवासियों को नयी चेतना दी और उन्होंने नाजुक प्रकृति की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाने का प्रण लिया। स्थानीय लोगों की राय ली जाने लगी। इसके फलस्वरूप उन्हें इसके सीधे फायदे भी मिलने लगे। चरनोई पेड़-पौधे, जलस्रोत आदि पुनर्जीवित हुए। प्रशासकीय अमला-वन विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग गांवों के लिये जो योजनाएं बनाता था वे उतनी उपयोगी नहीं होती थीं। यह वह दौर या जब विकास के लिये प्रयोगधर्मिता की शुरुआत हुई। मध्यप्रदेश के गांवों में वाटर शेड्स बनाने के लिये मात्र एक एजेंसी को माध्यम बनाने का प्रयोग हुआ। इस दौर के ही अध्ययनों से खुलासा हुआ कि भूमि और जलस्रोतों के बेहतर उपयोग के द्वारा गांवों में आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी भी इसी भवना से तैयार की गई है और इसमें पिछली योजनाओं को अपेक्षा बेहतर प्रावधान किए गए हैं जैसे प्राकृतिक आस्तियों के निर्माण (मिट्टी और जल के बचाव) पर ख़र्च के महत्व को प्रतिपादित किया जाना और इस हेतु ग्रामीण स्तर पर योजना बनाने को अनिवार्य किया जाना एवं चुनी हुई पंचायतों को लोक निर्माण कार्यों के लिये शासकीय विभागों से वरीयता देते हुए उत्तरदायी बनाना। लेकिन योजना प्रारंभ होने के दो वर्ष बाद भी एक सवाल मुंह बाए खड़ा है। क्या इससे स्थितियों में वास्तव में कोई परिवर्तन हुआ है ?

तपती गर्मी के मौसम में राजस्थान प्रवास के दौरान मैंने महिलाओं के एक झुंड को ग्रामीण सौ दिनी योजना (स्थानीय लोग इसे यही कहते हैं) के अंतर्गत कार्य पर लगे पाया। वे तपते सूरज के नीचे तालाब की खुदाई कर रही थीं। देखरेख कर रहे इंजीनियर ने बताया कि पंचायत की सलाह पर तालाब में जमा मिट्टी को हटाकर दीवारों का निर्माण किया जाना है। हर महिला

(शेष पृष्ठ 47 पर)

ज़रूरी है जनता की नज़र और ग्रामसभा की पकड़

● गोपीनाथ घोष

वास्तविक लोकतंत्र की बहाली के लिये आवश्यक है कि जनता को उसका मालिकाना हक़ सौंपा जाए

2 फरवरी, 2006 को अस्तित्व में आया राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून पहले चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007-08 के दूसरे चरण में इसे देश के और 130 नये जिलों में लागू किया गया। यूपीए सरकार के घोषणानुसार अप्रैल 2008 से यह कानून समूचे देश में लागू है। इस कानून के क्रियान्वयन के लिये केंद्र सरकार ने एक नियमावली बनाई है। केंद्र के अनुरूप सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में भी इसके लिये नियमावली बनानी है। केंद्र एवं झारखंड सरकार की नियमावली के अध्याय 10 एवं 11 में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने का उल्लेख है। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में जाने के पहले नियमावली एवं विशेषकर अध्याय 10 एवं 11 को जानना अति आवश्यक है। नियमावली के अनुसार, सामाजिक लेखा परीक्षण करने का प्रावधान ग्रामसभा को दिया गया है लेकिन झारखंड में सामाजिक लेखा परीक्षण के संबंध में किसी को कोई जानकारी या समझ नहीं थी। कई प्रगतिशील जनसंगठनों तथा गैरसरकारी संगठनों की पहल से सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की समझ लोगों में आई। सामाजिक लेखापरीक्षण के प्रति जन-जागरुकता लाने में मज़दूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) एवं परिवर्तन जैसी संस्थाओं ने अग्रणी भूमिका अदा की। राजस्थान के डूंगरपूर एवं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिलों में संपादित राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रम के बाद झारखंड के रांची जिले में भी सामाजिक लेखा परीक्षण एवं जनसुनवाई का आयोजन संपन्न हुआ।

झारखंड में कार्यरत कई संगठनों ने मिलकर एक साझा मंच, 'झारखंड नरेगा वॉच' का गठन किया और इसी मंच के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षण एवं जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक लेखापरीक्षण के लिये वर्ष 2007 के प्रथम माह से ही कवायद शुरू हो गई थी। कई बैठकों के बाद सामाजिक लेखापरीक्षण की तिथि तय हुई और आयोजन को प्रभावी व सफल बनाने के लिये जिला उपायुक्त के सहयोग से ज़रूरी सूचनाएं जुटाई गईं। इसके लिये रांची जिले के चार प्रखंडों (मांडर, अनगड़ा, खूंटी व कांके) के कुल 15 पंचायतों का चयन किया गया। इन 15 पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षण का कार्य करने के लिये योजनाओं का चयन एवं उससे संबंधित सभी सूचनाओं (मस्टर रोल, मापी पुस्तिका, खरीदे गए सामग्री का बिल-वाउचर, कार्यादेश, प्राक्कलन, ग्राम सभा का अनुमोदन या ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रतिलिपि इत्यादि) को पूर्व में ही इकट्ठा किया गया।

सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया 6 मई से 24 मई, 07 तक निर्धारित की गई। इस अंकेक्षण कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के प्रतिनिधि एवं देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए 300 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंकेक्षण में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, केरल विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं का भी विशेष योगदान रहा। प्रक्रिया की जानकारी देने के लिये प्रो. ज्यां द्रेज़, अरुणा राय, एनी राजा, निखिल डे, गिरीश भुगड़ा, बलराम, गुरजीत, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय से करुणा एवं सौम्या जी ने भी भाग लिया। तमाम प्रतिभागियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 13 मई से 15 मई, 2007 तक पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र ब्राम्बे, रांची में हुआ।

इन सभी प्रशिक्षित प्रतिभागियों को 15 समूहों में बांटकर सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसुनवाई के लिये 15 पंचायतों में भेजा गया जहां सभी ने ग्राम सभाओं के साथ मिलकर सामाजिक लेखापरीक्षण के दायित्व को जिम्मेदारी से निभाया। सभी 15 समूहों ने कुल 88 योजनाओं का सामाजिक लेखापरीक्षण किया और लेखापरीक्षण में कई अनियमितताओं को पकड़ा, जिन्हें जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने तथ्यों के साथ जिला एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखा। इनमें से प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

- मज़दूरी बकाया मुद्दा महत्वपूर्ण समस्या के

रूप में उभर कर आई।

- सभी कार्यस्थलों के निरीक्षण के दौरान मज़दूरों ने मज़दूरी बकाया का ज़िक्र किया। कहीं 15 दिन का बकाया तो कहीं तीन महीने से मज़दूरों को मज़दूरी का भुगतान नहीं हुआ।
- तय मज़दूरी दर अर्थात न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान का मुद्दा भी सभी जगहों पर देखने को मिला।
- एक ही व्यक्ति के नाम से दो-दो रोज़गार कार्ड देखने को मिला।
- कार्य के दौरान आकस्मिक दुर्घटना में घायल मज़दूरों के इलाज का कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला।
- दवाई एवं प्राथमिक उपचार डिब्बा उपलब्ध होने के बावजूद किसी भी कार्यस्थल पर मज़दूरों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी।
- प्राक्कलन में अलग-अलग प्रकार की मिट्टी एवं विभिन्न स्तर पर अलग-अलग दर होने के बावजूद किसी भी मज़दूर को प्राक्कलन के आधार पर मज़दूरी का भुगतान नहीं किया गया।
- मस्टर रोल एवं रोज़गार कार्ड में सभी जगह भारी पैमाने पर फर्ज़ी हाजरी पाया गया।
- डाकघर में मज़दूरों के बचत खाता खोलने के नाम पर पोस्ट मास्टर ने 70 रुपये से 150 रुपये तक की रिश्वत ली।
- कई कार्यस्थलों पर सूचनापट्ट नहीं थे।
- बिना किसी ठोस कारण के आधे से अधिक कार्य महीनेभर से भी अधिक दिनों तक बंद पाए गए।
- सभी कार्यस्थलों पर विकलांग व्यक्तियों को किसी प्रकार का कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया न ही विकलांग व्यक्तियों के नाम से कोई जॉबकार्ड आवंटित किया गया।
- महिलाओं के नाम से भी रोज़गार कार्ड देखने को नहीं मिला।
- एक वर्ष बीतने के बावजूद अनेक परिवारों को रोज़गार कार्ड से वंचित रखा गया। काम मांगने पर भी काम नहीं दिया गया, न ही उनका आवेदन स्वीकार किया गया।
- बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार परिवारों को नियमित रूप से छला जा रहा है।
- लगभग सभी कार्यस्थलों पर मज़दूरों का रोज़गार कार्ड अभिकर्ता के पास पाया गया।
- खूंटी प्रखंड के शिलादोन पंचायत के लटरजंग गांव में 7 फरवरी को काम आरंभ किया गया जबकि रोज़गार कार्ड अप्रैल महीने में आवंटित किया गया।
- अनगड़ा प्रखंड के टांटी पंचायत के नवाडिया गांव में कुछ निर्माण का काम अधूरा एवं बंद पाया गया। कुल 1,19,400 रुपये प्राक्लन राशि में अब तक 26,000 रुपये का काम हुआ। इसमें मात्र 19,500 रुपये का भुगतान किया गया और बाक़ी का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है।
- अनगड़ा प्रखंड के सुरसा पंचायत के सारलू गांव में बबिता कुमारी के नाम एवं हस्ताक्षर से मस्टर रोल संख्या 51890 में 6 दिन की मज़दूरी का भुगतान दिखाया गया जो कि सरासर फ़र्ज़ी है क्योंकि बबिता कुमारी कक्षा 6 की नियमित छात्रा है और वह मज़दूरी नहीं करती है।
- लगभग सभी जगह परिवार के मुखिया के नाम से मस्टर रोल में नामांकन किया गया लेकिन घर के अन्य सदस्यों ने भी काम किया जिसका ज़िक्र मस्टर रोल में नहीं मिला। खासकर महिलाओं की मज़दूरी का भुगतान भी उसी परिवार के मुखिया के नाम से दर्शाया गया।
- एक ही मस्टर रोल में एक से अधिक बार एक व्यक्ति का नाम आमतौर पर कई जगहों पर पाया गया।
- खूंटी प्रखंड के मुरही पंचायत के बड़कारगी गांव से लोग पलायन कर बाहर चले गए। यहां पर मज़दूरों की तालाब निर्माण कार्य की मज़दूरी बकाया है। विभाग द्वारा समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण वहां काम बंद हो गया और मज़दूरों के व्यापक दबाव के कारण अभिकर्ता खुदिया मुंडा ने अपनी निजी ज़मीन बंधक रखकर मज़दूरों की आंशिक मज़दूरी का भुगतान किया।
- खूंटी प्रखंड के शिलादोन पंचायत के ग्राम कुमकुमा में एक साथ तीन (1 तालाब एवं 2 सिंचाई कूप) योजनाओं का अनुमोदन प्रखंड से किया गया। जबकि वहां किसी प्रकार के काम की मांग मज़दूरों द्वारा नहीं की गई, न ही ग्राम सभा से योजनाओं की स्वीकृति ली गई। यह बिचौलियों एवं सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का परिणाम दिखा।
- शिलादोन पंचायत के चुकडू गांव में ग्राम सभा द्वारा कई योजनाओं का प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर किया गया। लेकिन प्रखंड कार्यालय से अन्य योजनाओं को प्राथमिकता दी गई एवं ग्राम सभा के निर्णयों का घोर उल्लंघन हुआ।
- शिलादोन पंचायत के ही कारगे गांव में मापी पुस्तिका (एमबी) में फ़र्ज़ी मापी दर्शा कर अभियंता एवं पंचायत सेवक ने घर बैठे ही 100 चौका अधिक मिट्टी कटाई के पैसों की निकासी कर ली।
- शिलादोन पंचायत के ही रेमाता गांव में 10 महिलाओं ने अलग-अलग दिन मज़दूरों को पानी पिलाने का काम किया था। इन सभी की हाजिरी भी बनाई गई लेकिन किसी को मज़दूरी का भुगतान नहीं किया गया और उन्हें बताया गया कि प्राक्कलन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कानून का सीधा उल्लंघन है। पूरे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान कहीं पर भी बुनियादी सुविधा, जैसे बच्चों के लिये पालना घर, मज़दूरों के विश्राम के लिये छायादार जगह, पानी एवं प्राथमिक उपचार डिब्बा देखने को नहीं मिला।
- शिलादोन पंचायत के ग्राम सौदाग में एक नये तालाब का प्राक्कलन 31,660 रुपये का तैयार किया गया। लेकिन इस तालाब के निर्माण का काम किसी नयी जगह के बजाय पुराने तालाब में ही कर दिया गया। नये तालाब के काम की जानकारी ग्राम सभा के पास नहीं थी। अभियंता, पंचायत सेवक एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से पुराने तालाब में ही थोड़ा ख़र्च कर पूरे पैसे को लूटने का पर्दाफ़ाश सामाजिक लेखापरीक्षण दल ने किया।
- खूंटी प्रखंड के तिलमा गांव में बिरसा मुंडा की ज़मीन पर तालाब निर्माण का काम चल रहा था। सामाजिक लेखापरीक्षण टीम के गांव में पहुंचने के एक दिन पहले 23,733 रुपये का एक चेक जो 30 मार्च 2007 को निर्गत किया गया था जिसे 17 मई 2007 को बिरसा मुंडा ने प्राप्त किया।

20 मई, 2007 के दिन सभी 15 पंचायतों में जन सुनवाई हुई जिसमें हज़ारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रखंड, जिला एवं राज्यस्तरीय प्रतिनिधियों ने भी जन सुनवाई

में उपस्थित होकर सामाजिक लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन एवं जन समस्याओं से अवगत हुए। इन जन सुनवाइयों में कई अनियमितताओं को ठीक करने के लिये मौके पर कार्रवाई भी की गई। इसके दूसरे दिन अर्थात 21 मई, 2007 को चारों प्रखंड कार्यालयों में सामाजिक लेखापरीक्षण का काम किया गया। इसमें पंचायतस्तरीय प्रतिवेदन एवं जन समस्याओं को सुना गया। इस प्रखंड स्तरीय सामाजिक लेखापरीक्षण के कार्यक्रम में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जन सुनवाई में मौके पर ही तमाम शिकायत एवं समस्याओं पर अमल करने हेतु आदेश दिया गया। साथ ही साथ लेखापरीक्षण से संबंधित समस्त दस्तावेज़ उपायुक्त को सौंप दिए गए। सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तमाम अनियमितताओं को ठीक करने हेतु कई सुझाव केंद्रीय टीम एवं झारखंड नरेगा वॉच ने राज्य सरकार को दिया।

- 15 महीने बीतने के बावजूद राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को लागू करने के लिये किसी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है जिसके कारण राज्य में क़रीब 6 हज़ार पद रिक्त हैं। उन्हें तत्काल भरने की कार्रवाई की जानी चाहिए।
- इस प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि समय पर मापी न होने एवं मापी में अनियमितता के कारण मज़दूरों की परेशानी बढ़ी। अलग-अलग प्रकार की मिट्टी एवं अलग-अलग स्तर के हिसाब से जो मज़दूरी दर तय की गई है वह मज़दूरों को नहीं दी जा रही है। उसके लिये एक टाईम मोशन स्टडी कर पूरे राज्य में एक प्रकार की दर तय की जाए।
- मज़दूरी भुगतान में विलंब, कम मज़दूरी एवं मज़दूरी नहीं मिलने के उदाहरण सामाजिक लेखापरीक्षण में सभी जगहों पर देखने को मिले। इसे ठीक करने के लिये सभी मज़दूरों का बैंक या डाकघर में बचत खाता खोलने का आदेश तत्काल दिया जाए और प्रत्येक मज़दूर का खाता खुलवाया जाए तथा फंड फ्लो सिस्टम को नियमित किया जाए।
- पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण इस कानून को लागू करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सभी गांवों में ग्राम सभा के बदले अभिकर्ता समिति ज्यादा ताक़तवर दिखी। निर्णय तथा निगरानी में प्रत्येक ग्रामसभा की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिये सभी तथ्यों, जैसे मस्टर रोल, मापी पुस्तिका की प्रतिलिपि, हाजिरी बही, प्राक्कलन, कार्यादेश, सूचनापट्ट आदि को सभी कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया जाए, ताकि निगरानी समिति तथा अन्य नागरिकों को आसानी से कार्य की विस्तृत जानकारी मिल सके।

केंद्रीय टीम एवं झारखंड नरेगा वॉच द्वारा सौंपे गए सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पर रांची के उपायुक्त ने त्वरित पहल करते हुए एक 15 सदस्यीय जांच समिति गठित की। जांच समिति ने सात दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को दे दी। जांच समिति के प्रतिवेदन पर उन्होंने सोलह कर्मचारियों एवं पांच पदाधिकारियों के खिलाफ़ मामला दर्ज़ किया। मुख्य डाक प्रबंधक से संबंधित डाक विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। रांची जिला उपायुक्त ने अन्य विभागों के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया। जोन्हा पोस्ट मास्टर, खूंटी के दो अभियंता एवं कुछ पंचायत सेवकों को भी निलंबित किया गया।

इसके बाद 23 मई, 2007 को झारखंड की राजधानी रांची में सामाजिक लेखापरीक्षण के प्रतिवेदनों, निष्कर्षों एवं सुझावों पर गंभीरता से विचार करने के लिये एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, झारखंड सरकार, राष्ट्रीय नरेगा परिषद के सदस्य, योजना आयोग के सदस्य, राज्य के सभी उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बुद्धिजीवी एवं नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सामाजिक लेखापरीक्षण प्रक्रिया के प्रतिवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए झारखंड सरकार ने इस संबंध में कई निर्देश जारी किए। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भी कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, झारखंड सरकार प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षण कराने का आदेश दिया।
- अभिकर्ता शब्द कहीं भी नहीं लिखा जाए क्योंकि इस कानून में कोई भी ठेकेदार नहीं हो सकता है। सभी कार्यस्थल पर बच्चों के लिये पालना घर, पानी पिलाने हेतु मज़दूरों को रखा जाए।
- सभी नियुक्तियों को 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए।
- सभी मज़दरों के बकाया मज़दूरी का भुगतान अविलंब किया जाए।

24 मई, 2007 को नरेगा परिषद के सदस्य एवं झारखंड नरेगा वॉच के संयोजक मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के साथ सामाजिक लेखापरीक्षण के सभी प्रतिवेदनों के साथ, भविष्य में संपादन करने हेतु नयी रणनीति पर विचार-विमर्श किया। सामाजिक लेखापरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जनचेतना तो बढ़ती ही है, जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करने में जनभागीदारी अति आवश्यक है और यह नीचे की सभी इकाइयों में तभी स्थापित होगी जब ग्राम सभा एवं जनता के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिये ज़रूरी है कि निरंतर सामाजिक अंकेक्षणों के आयोजन किए जाएं जिनमें ग्रामीण जनता अपनी पूर्ण भागीदारी के साथ योजनाओं का भौतिक सत्यापन करें। वास्तविक लोकतंत्र की बहाली के लिये आवश्यक है कि जनता को उसका मालिकाना हक़ सौंपा जाए। सामाजिक लेखापरीक्षण इस अर्थ में सबसे कारगर औज़ार है जो देश की ग़रीब और वंचित जनता को उसका मालिकाना हक़ लोकतांत्रिक चेतना के साथ वापस लौटाता है। ❑

(लेखक झारखंड में राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कार्यक्रम पर अध्ययन कर रहे हैं)

बिहार में बुरा हाल

● अनिल प्रकाश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के आने के बाद बिहार के ग्रामीण ग़रीबों में आशा का संचार हुआ। वे यह सोचने लगे थे कि अब उन्हें ट्रेनों की छतों पर लदकर काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब, असम या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। अपने गांव-घर में ही सम्मानजनक रोज़गार उन्हें मिल जाएगा। लेकिन प्रशासनिक तंत्र का ग़रीब विरोधी और असंवेदनशील रवैया तथा राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं की अनिच्छा के कारण उनके सपने चकनाचूर हो गए लगते हैं। खुद बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े ही सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं। वर्ष 2007-08 में दिसंबर 2007 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सौ दिनों का रोज़गार 0.98 प्रतिशत (कुल 23,044 परिवारों) को ही दिया जा सका। अरवल जिले में 5.4 प्रतिशत निधि का उपयोग कर के रोज़गार हेतु मात्र 1.6 लाख कार्यदिवस सृजित किए गए।

रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लखीसराय जिले में लगभग 82 प्रतिशत निधि ख़र्च करके 57 लाख कार्यदिवस सृजन किए गए। इसी प्रकार नवादा जिले में कोष उपयोग दर सबसे अधिक 87.33 रही। पूरे राज्य के स्तर पर कोष उपयोग दर 41.11 प्रतिशत रही। ये आंकड़े बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के हैं, लेकिन बिहार के ग्रामीण अंचलों में जाने पर दूसरी ही हक़ीक़त का पता चलता है। लखीसराय जिले में ग्रामीणों की यह आम शिकायत है कि यहां नरेगा का काम मज़दूरों के बजाय बड़ी मशीनों से कराया गया। फ़र्जी बिल बनाए गए और कई लोगों ने इस पैसे से महंगी गाड़ियां तक ख़रीद ली। ये बातें अख़बारों के स्थानीय संस्करणों में छप भी चुकी हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी कई स्तरों पर उठाई जा रही है। बिहार के अधिकांश पंचायतों में पंचायत भवन बन गए हैं और उन पर पंचायत भवन का बोर्ड लगा दिया है। यहां पंचायत का सचिवालय है। लेकिन यहां पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, नरेगा के प्रभारी कर्मचारी या मुखिया सप्ताह में एक या दो दिन मुश्किल से एक-दो घंटों के लिये दिखलाई पड़ते जाते हैं। जहां ग्रामीण श्रमिकों में जागरुकता और अधिकार बोध ज्यादा दिखाई देता है वहां राशि ख़र्च ही नहीं की जाती। जहां जागरुकता का अभाव है वहां कागज़ पर ख़र्च दिखा दिया जाता है और राशि दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों के बीच बंट जाती है। अफसोस की बात है कि इन बातों की चिंता न तो बिहार के सत्ता पक्ष को है और न विपक्ष को। चूंकि बिहार के समाज में जागरुकता थोड़ी ज्यादा है, कुछ जनसंगठन सक्रिय हैं और स्थानीय मीडिया इन प्रश्नों पर संवेदनशील रहता है इसलिये बातें प्रकाश में आ जाती हैं।

ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को लागू करने के लिये जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बार-बार यह आंकड़ा दिखलाते हैं कि जॉब कार्ड मांगने वाले बहुत कम लोग आते हैं और जिनका जॉब कार्ड बन भी जाता है उनमें से अधिकांश काम मांगने ही नहीं आते। जबकि हक़ीक़त यह है कि ग्रामीण श्रमिकों का जॉब कार्ड बनवाने और उसके बाद काम पाने के लिये सिफ़ारिश और बेगारी करनी पड़ती है। अधिकांश जगहों पर नरेगा से संबंधित कर्मचारी या मुखिया को घूस देकर भी जॉब कार्ड या काम पाया जा सकता है। जो मुखिया ईमानदारी दिखलाने की कोशिश करते हैं उनके यहां नरेगा के लिये फंड भेजने में कोताही की जाती है और नियमकायदों का हवाला देकर वहां का फंड रोकने और तरह-तरह से परेशान करने की कोशिश होती है। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल पंचायत में युवा आदर्शवादी मुखिया मोहन मुकुल उदाहरण इसके हैं जिन्हें काम की तत्परता और कर्मठता के लिये बार-बार परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी जिले के रजवाड़ा पंचायत के जनपक्षी सरपंच भूषण ठाकुर को भी इसलिये झूठे मुक़दमें में फंसाया गया, क्योंकि उन्होंने 'जनता की पंचायत' लगाकर जन सुनवाई करवाई और ग़रीबों को नरेगा, इंदिरा आवास योजना तथा ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को उज़ागर करने का अवसर प्रदान किया। वहां जन दबाव में घूस के पैसे लौटाए जाने लगे थे। मुशहरी प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी उनसे इतने खफ़ा हो गए कि उन्होंने उसके बारे में जिला पंचायत अधिकारी को मिथ्या रिपोर्ट भेज दी। जिला पंचायत अधिकारी ने बिना जांच-पड़ताल के आनन-फानन में सरपंच भूषण ठाकुर को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया कि क्यों नहीं उन्हें सरपंच पद से हटाने के लिये आयुक्त को अनुशंसा भेजी जाए। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भूषण ठाकुर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त जयलाल राम मीणा से मिले और मामले की जांच की मांग की तो आयुक्त ने तत्परता से कार्रवाई की और जिला पंचायत अधिकारी को न केवल नोटिस वापस लेनी पड़ी बल्कि उन्होंने भूषण ठाकुर से माफ़ी भी मांगी। बदनाम प्रखंड विकास अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। न तो हर जगह डॉ. हेम नारायण विश्वकर्मा, वासुदेव साह, सुनौना सहनी और चंदन जैसे सजग तत्पर और ईमानदार सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता मिलते हैं और न तत्परता से निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले उच्चाधिकारी।

बिहार में रोज़गार गारंटी योजना के तहत महिलाओं के लिये रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद यह बात यहां के प्रशासनिक तंत्र के सोच में ही नहीं है। पाति भाई दिल्ली, पंजाब, मुंबई या असम में हाड़-तोड़ मेहनत करके दो-चार पैसे का जुगाड़ करते हैं। इसके लिये बार-बार प्रताड़ना और अपमान झेलते हैं और गांव में उनकी जवान पत्नी या बहन के

पास बकरी चराने, घास छिलकर बेचने या सूअर चराने के सिवा कोई काम नहीं। नरेगा में जॉब कार्ड बनाने या उनके लिये रोज़गार की उपयुक्त व्यवस्था की कोई योजना कहीं दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार विकलांगों के लिये भी नरेगा के तहत आमतौर पर कोई उपयुक्त काम सृजित नहीं किया जाता। बिहार में नरेगा के तहत मुख्यतया तालाबों की उड़ाही का काम होता है, लेकिन अभी यहां हजारों तालाब ऐसे हैं जो बाढ़ में आई गाद के कारण मिट्टी से भर गए, लेकिन उनकी खुदाई नहीं की गई है। जबकि नरेगा के मद के काफी पैसे हर साल बिना उपयोग के लौट जाते हैं। तालाबों में जल का संचय होने से भूजल स्तर नीचे नहीं जाता। बिजली डीजल के पंपों से सिंचाई के लिये पानी अत्यधिक दोहन के कारण बाढ़ग्रस्त इलाकों में बरसात के बाद के महीनों में भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है। इस लेखक ने खगड़िया जिले में खुद अपनी आंखों यह देखा समझा है। उत्तर बिहार में तालाबों की एक शृंखला है। उन तालाबों के किनारे-किनारे कभी मिट्टी के जल निकास नाले बने थे। लेकिन ये नाले अब भर गए हैं तो कहीं सड़क, नहर आदि के अवरोध के कारण बंद हो गए हैं। इनके पुनरुद्धार का काम बहुत जरूरी है। लेकिन अब तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है।

उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से निकलती हैं और बाढ़ के समय यहां के खेतों में उपजाऊ मिट्टी बिछा देती हैं। लेकिन नदियों पर बने तटबंधों के कारण नदी में सारी गाद जमा हो जाती है और नदियों का तल बहुत ऊंचा हो गया है। तटबंध बेकार हो गए हैं। हर साल बाढ़ के समय सैकड़ों स्थानों पर तटबंध टूटते हैं, विनाश लीला दिखाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग पर बिहार सरकार ने नदियों की उड़ाही की योजना बनाई है, लेकिन इसके अमल की गति काफी धीमी है। अगर नदियों की उड़ाही का काम श्रम शक्ति से ईमानदारी से कराया जाए तो हर साल बाढ़ की विभीषिका भी घटेगी और दसियों लाख लोगों के लिये रोज़गार का भी सृजन होगा। नरेगा के मद के पैसे को भी यदि इस काम में लगाया जाए तो पैसे बिना ख़र्च किए लौटाने की नौबत नहीं आएगी। नरेगा एक उपयोगी और जनपक्षी योजना है। इसे ईमानदारी से और संपूर्णता से लागू करने की ज़रूरत है। ❑

(लंखक मुजफ्फरपुर स्थित पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

अमल में रोज़गार गारंटी कार्यक्रम

स्मार्ट बनेगा जॉब कार्ड

ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत लाभान्वितों का लेखा-जोखा तैयार होगा

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत मिले वाला जॉब कार्ड अब रंगीन होगा। इसमें कार्डधारी परिवार का फोटो होगा और साथ ही काम की प्रकृति और मजदूरी का पूरा ब्यौरा रहेगा। जॉब कार्ड 36 पृष्ठों का होगा और इसकी कीमत पौने छह रुपये होगी। इसे बनाने का ख़र्च योजना के फंड से किया जाएगा। नये मॉडल के बारे में सभी जिलों को निदेश भेजे जा चुके हैं।

जॉब कार्ड बहुरंगी होगा और इसका आकार ए-4 कागज़ की मोटाई का अंतिम फ़ैसला बिहार सरकार करेगी। इस कार्ड में पंजीकृत परिवारों के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। मिसाल के तौर पर इसमें मस्टर रोल संख्या, मज़दूरी, बेरोज़गारी भत्ता, डाकघर और बैंक की खाता संख्या आदि का विवरण होगा। कार्ड में पंजीकृत परिवारों के वयस्कों का फोटो, मतदाता सूची और मतदाता पहचानपत्र संख्या का भी जिक्र होगा।

कार्ड में परिवार में सदस्यों की संख्या के साथ साथ रोजगार कार्ड संख्या, गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला का कोड नंबर भी दर्ज होगा। नये जॉब कार्ड में परिवारों द्वारा मांगे गए काम की प्रकृति, उनको दिया जाने वाला काम और उस तारीख का भी जिक्र होगा जिस दिन काम दिया गया। इस कार्ड को बनाने में आनेवाले ख़र्चों को वैट और अन्य करों से मुक्त रखा जाएगा।

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। इसकी फंडिंग के लिये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा देय राशि का अनुपात 90:10 है। अप्रशिक्षित कामगारों पर आनेवाले सारे ख़र्चों का वहन भारत सरकार करती है और अर्द्धप्रशिक्षित या प्रशिक्षित कामगारों के संदर्भ में केंद्र सरकार 25 प्रतिशत खर्च का वहन करेगी।

बेरोज़गारी भत्ते का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बेरोज़गारी भत्ता तब दिया जाता है, जब निर्धारित अवधि में पंजीकृत व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना देशभर में लागू हो चुकी है और यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है।

बिहार के कई जिलों में निर्धारित अवधि में पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलने की शिकायत आई है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को रोज़गार दिया भी गया उसके परिश्रमिक वितरण में अनियमितताएं पाई गई। बहुत सारे जिलों में तो योजना के मानदंडों पर खरे उतरने वाले लोगों को रोज़गार तक उपलब्ध नहीं हो पाया। ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में हो रही इस गड़बड़ी की वजह से लोगों में इस योजना के प्रति असंतोष भी दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोगों को इस योजना से लाभ भी पहुंचा है। ❑

रोज़गार का लेखा-जोखा

(संख्या लाख में)

कुल व्यक्ति	855.1 लाख
अनुसूचित जाति	390.44 (45.66 प्रतिशत)
अनुसूचित जनजाति	21.02 (2.46 प्रतिशत)
महिलाएं	227.62 (26.62 प्रतिशत)
अन्य	443.64 (51.88 प्रतिशत)
कुल फंड	1525.31 करोड़ रुपये
कुल खर्च	1050.78 करोड़ रुपये
कुल कार्य	90510

रोज़गार गारंटी से डेढ़ करोड़ ग़रीबों के खाते खुले

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना देश के डेढ़ करोड़ ग्रामीण ग़रीबों को बैंकों में अपना खाता खोलने का अवसर मुहैय्या करा चुकी है। इस वक्त देश के 330 जिलों के तीन करोड़ 37 लाख परिवारों को इस योजना में काम मिल चुका है। ग्रामीण बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के अलावा इस योजना से ग्रामीण विकास का ज़रूरी एजेंडा भी पूरा हो रहा है। जल संरक्षण और भूमि विकास के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने मंत्रालय की निष्पादन समीक्षा समिति की दो दिवसीय बैठक के बाद कहा कि इस वर्ष 36 लाख परिवारों को पूरे के पूरे 100 दिन काम मिला। कुल 17.76 कार्ययोजनाएं ली गईं और इनमें 8 लाख से अधिक कार्ययोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। राज्यों से कार्ययोजनाओं के चयन और सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिये ग्रामसभाओं को प्रभावी ढंग से चलाने को कहा गया है। अब तक देश की 80 हज़ार ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा-परीक्षा कराई जा चुकी है।

राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के लिये पुरस्कार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के इरादे से सरकार ने एक पुरस्कार योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना (एनआरईजीए) की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एनआरईजीए की स्थिति पर लोकसभा में दिए एक बयान में बताया कि समुदाय आधारित संगठनों को जागरुकता, सृजन, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और सामाजिक संगठनों के किए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिये 'रोज़गार जागरुकता पुरस्कार' नाम से एक पुरस्कार योजना शुरू करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आईआईटी और आईआईम के निदेशकों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से भी एनआरईजीए की निगरानी व मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया है और इस संबंध में इन संस्थानों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पिछले साल इन कार्यक्रम के तहत 330 जिलों में क़रीब तीन करोड़ 37 लाख ग्रामीण परिवारों को को रोज़गार उपलब्ध कराया गया और हरेक परिवारों को साल के दौरान औसतन 42 दिन का रोज़गार मिला है। मंत्रालय ने सीएजी से शुरुआती चरण में एनआरईजीए की निष्पादन लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया था जिसके आधार पर सीएजी ने 68 जिलों के 128 से अधिक प्रखंडों व 513 ग्राम पंचायतों में निष्पादन लेखा परीक्षा की है। लेखापरीक्षा के नतीज़ों पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है और साथ ही ज़रूरी सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

एनआरईजीए के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिसमें क़रीब 50 फीसदी कार्य जल संरक्षण से संबंधित थे। साल 2007-2008 के दौरान केंद्र ने इस योजना के लिये 12,610 करोड़ रुपये जारी किए थे और मार्च 2008 तक कुल 15,678 करोड़ रुपये खर्च होने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के मज़दूरों को मज़दूरी का भुगतान बैंक और डाकघरों के खातों के माध्यम से करने का फ़ैसला किया है और इसके लिये श्रमिकों के खाते बैंकों और डाकघरों में खोलने के लिये समुचित कारवाई करने का निर्देश राज्य सरकारों को दिया गया है। ❑

पाठकों का संपादक

प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इसका सामाजिक दायित्व महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत पाठकों के साथ इसके संवाद और उनके प्रति जवाबदेही से होनी चाहिए। योजना अपने 51 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में पहली बार पाठकों का संपादक नियुक्त करने की घोषणा करती है।

इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की प्रक्रिया को संरचनात्मक स्वरूप देना, यथार्थता, सत्यापन और मानकों में सुधार के लिये एक नयी, स्पष्ट द्रष्टव्य संरचना तैयार करना और योजना तथा उसके पाठकों के बीच जुड़ाव को सुदृढ़ बनाना है।

हमारा आशय पाठकों के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ संप्रेषण के नये मार्ग तलाश करना है ताकि योजना का कार्य और निष्पादन, पाठकों की इच्छाओं, सरोकारों, विचारों और सुझावों के अनुरूप हो सके। इसका दूसरा मकसद पाठकों के हितार्थ और स्वयं अपने लिये भी योजना के विकास के रास्ते तैयार करना है। पाठकों द्वारा बताई गई अहम त्रुटियों को सुधारना भी हमारा प्रयास रहेगा।

इसकी प्रेरणा हमें अंग्रेजी दैनिक *दि हिंदू* से मिली है जिसने 2006 में ब्रिटेन के दैनिक पत्र *गार्जियन* की अनुकरणीय प्रथा और अनुभव का अनुसरण करने का कदम उठाया।

पाठकों के संपादक से

दूरभाष: 011-23717910
011-230966 विस्तार 2508
(सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय में)

ई-मेल: readerseditor@yahoo.com

डाक का पता: पाठकों का संपादक,
कमरा नं. 506, योजना भवन,
नयी दिल्ली-110001 पर
संपर्क किया जा सकता है।

हमारे प्रबुद्ध पाठकों से आग्रह है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाए और सुझाव दें ताकि हम योजना को और सुरुचिपूर्ण बना सकें। संपर्क करते समय अथवा पत्र लिखते समय अपना पूरा पता, फोन नंबर और ई-मेल पता अवश्य दें।

उद्यमशीलता | विश्वसनीयता | संवेदनशीलता

निर्माण IAS

Give the best ... Take the best

हिन्दी माध्यम का उभरता सर्वश्रेष्ठ संस्थान

by **कमल देव (K.D.)**

स्थापना वर्ष के परिणाम ने इसे प्रमाणित कर दिखाया

हमारे सफल अभ्यर्थी

SAROJ KUMAR

Rank **22nd** हिन्दी माध्यम में प्रथम स्थान

G.S. पढ़ाने में कमल सर और उनकी टीम का विकल्प नहीं है।

NEELIMA

Rank **23rd** हिन्दी माध्यम में द्वितीय स्थान

G.S. QIP Class मैने निर्माण में किया और उत्तर लेखन प्रभावी बना।

Neelima

इतिहास

Ranjit Kumar 100th Rank

Krishan Gopal 142nd Rank

R.K. Kedia 377th Rank

Ajay Jadeja 402nd Rank

Nimba Ram 470th Rank

Ranjeet Kumar 471st Rank

सामान्य अध्ययन

Amit Kr. 89th Rank

Ajay Kr. Ojha 310th Rank

Deepak Sharma 359th Rank

Mayank Sharma 417th Rank

Bhanu Chand 645th Rank

Anita Meena 679th Rank

सफलता की प्रथम सीढ़ी यह विश्वास है कि 'मैं कर सकता हूँ'

सा. अध्ययन

इतिहास

गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम मुख्य परीक्षा हेतु बैच शीघ्र प्रारंभ अगस्त माह

पत्राचार पाठ्यक्रम

आपके भविष्य निर्माण के हमारे आधार

- परिष्कृत लक्ष्यभेदी अध्ययन सामग्री
- परीक्षापयोगी विषय वस्तुओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण
- विशेषज्ञों से व्यक्तिगत संपर्क की सुलभता
- प्रश्नों की विविधता एवं बदलते स्वरूप के अनुसार अध्यापन
- उत्तर लेखन पर विशेष बल
- तथ्य व विश्लेषण की समन्वयात्मक शैली विकास का अभ्यास

सफलता के लिए मजबूत नींव आवश्यक है और नींव का निर्माण हम करते हैं।

12 Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9, # 9891327521, 47058219

YH-8/08/16

वनवासियों में जागरुकता का प्रसार

● अभय कुमार

जनपद सोनभद्र में वनवासियों के विकास की मुख्य समस्या अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव के कारण ही जनपद सोनभद्र का अधिकांश क्षेत्र विकास कार्यों में काफी पिछड़ा है। शिक्षा के अभाव के कारण ही यह क्षेत्र अज्ञानता, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास के गढ़ बना हुआ है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोग अशिक्षा के कारण ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। ये योजनायें निम्न हैं:

- राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- छात्रवृत्ति योजना
- रिक्शा मालिक बनाओ योजना
- कनहर सिंचाई परियोजना
- ग्रामीण आवास योजना
- मत्स्य पालन योजना
- सड़क निर्माण योजना
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना

इन योजनाओं के बारे में लोग ठीक-ठीक जानकारी भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस वजह से वे इन योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अत: प्रत्येक शिक्षित नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि यदि उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की, योजनाओं की जानकारी है तो वह ग्राम के विकास के लिये उन अशिक्षित लोगों को योजनाओं के लाभ के बारे में बताए एवं इससे फायदा उठाने के लिये जागरूक करे। इन योजनाओं के तौर-तरीकों, नियमों इत्यादि को विस्तारपूर्वक सरल रूप में बताएं और उन्हें इन योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ का फायदा उठाने के लिये अग्रसित करें। तभी उस क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सकता है।

शिक्षा के बिना हर काम अधूरा है। इसके लिये सबको एकसाथ मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार को शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये जगह-जगह उचित स्थानों पर ग्राम के विकास के लिये पुस्तकालय बनवाने की ज़रूरत है। जिससे कि लोग पुस्तकालय से शिक्षा का फायदा उठा सकें और अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठा सकें।

सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत पिछड़ा जनपद है। यहां की भौगोलिक अवस्थिति के कारण अधिकांश आबादी पहाड़ों, जंगलों पर रहने को मज़बूर है। कृषि योग्य भूमि की कमी है। अत: अधिकांश लोग मज़दूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विकास योजनाओं की जानकारी उन

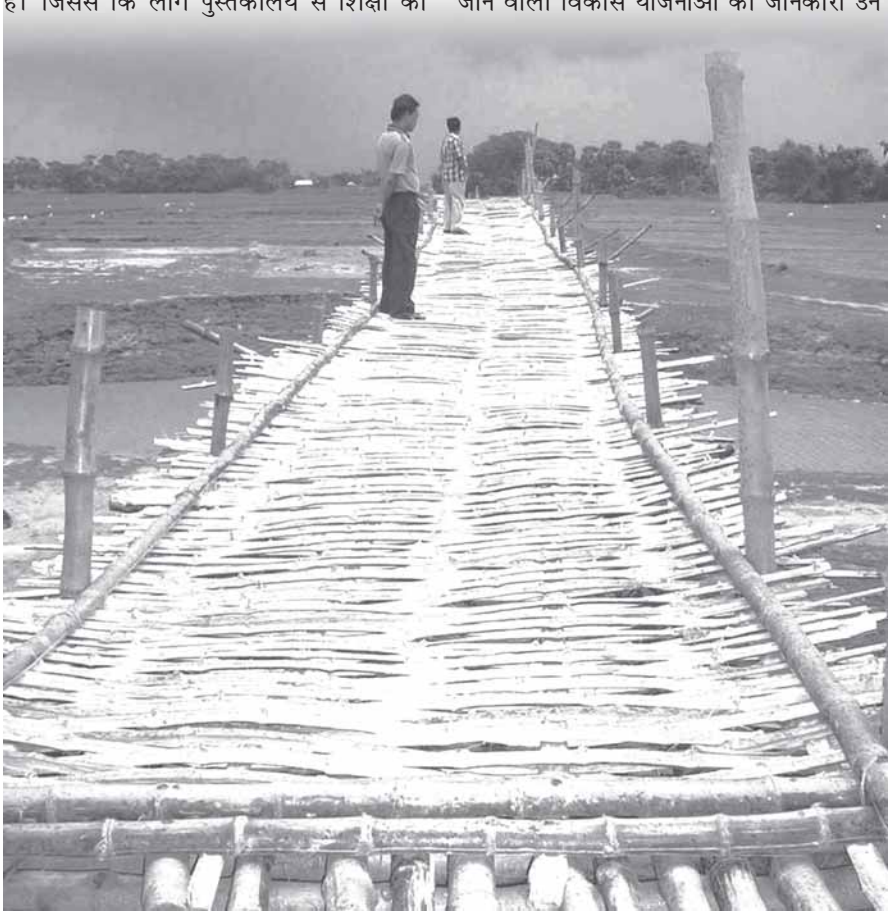

तक नहीं पहुंच पाने के पीछे एक प्रमुख कारण समय से सूचना प्राप्त न होना भी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

भारत सरकार द्वारा सितंबर 2005 में संसद से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का अकुशल श्रमिक के रूप में रोज़गार प्रदान करने की गारंटी दी गई। तदुपरांत भारत सरकार द्वारा मार्ग निर्देशिका प्रसारित की गई और 2 फरवरी, 2006 से इसे देश के 200 जिलों में लागू किया गया। मई 2007 में इसे देश के 330 जिलों में विस्तारित किया गया और अप्रैल, 2008 से यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 22 जिलों में यह योजना चलाई गई थी।

यह अधिनियम पूर्व की तमाम योजनाओं से इसलिये भिन्न है कि अन्य योजनाएं रोज़गार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कानूनी हक़ नहीं प्रदान करती थीं और इसके लिये संबंधित अधिकारी पर पूर्णरूप से जबाबदेही सुनिश्चित नही की जा सकती थी जबकि यह अधिनियम रोज़गार को सुनिश्चित किए जाने का दायित्व न्यायिक रूप से स्थापित करता है। माना कि यह रोज़गार गारंटी वाला कोई नया कानून नहीं है। इस तरह का प्रयास 1976 में महाराष्ट्र सरकार कर चुकी है जो आज तक चल रहा है किंतु तब से लेकर अब तक अन्य राज्यों में इस तरह के अधिनियम नहीं बनाए गए। भारत सरकार का यह प्रयास भारत के संपूर्ण राज्यों में रोज़गार गारंटी अधिनियम में एकरूपता प्रदान करने और उसे समान रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोज़गार गारंटी अधिनियम के अपेक्षित सामाजिक लाभ निम्न हैं:

- रोज़गार गारंटी कानून गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण का अवसर प्रदान करता है।
- रोज़गार गारंटी कानून ग्रामीण परिवारों को ग़रीबी तथा भुखमरी से बचाने में मदद करता है।
- रोज़गार गारंटी कानून के द्वारा भारत के अधिकांश ग़रीब परिवारों को ग़रीबी रेखा से ऊपर उठने का मौका मिला।
- अपेक्षानुसार इससे गांव से शहरों की ओर रोज़गार की तलाश में होने वाले पलायन में कमी आ रही है।
- इससे मज़दूरों को अपनी मज़दूरी तय करने में मोल-भाव से मौका मिलेगा।
- रोज़गार गारंटी कानून महिलाओं को सबल एवं स्वावलंबी बनाएगा।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में अधिकांश मज़दूर अशिक्षित व अनपढ़ हैं। फलस्वरूप कि वे अपना आवेदन स्वयं करने में असक्षम हैं। परिणाम यह होता है कि यहां के प्रधान व सचिव इनका गलत तौर-तरीक़े व नियमों से कर इनके कार्यों व मज़दूरी का हरण कर लेते हैं तथा कार्य भी यहां के सचिव एवं प्रधान अपने लोगों से मनमाने ढंग से करवाते हैं। मज़दूरों से अधिक दिन कार्य लिया जाता है परंतु कार्य दिखाते कम हैं।

मज़दूरों एवं ग्रामीणों का अपने अधिकरों के बारे में जानकारी न होने के कारण ही उनका हर स्तर पर शोषण होता है। जैसे- न्यूनतम मज़दूरी मज़दूरों को न मिलना। कार्यस्थल पर कोई सुविधा न होना, जॉब कार्ड में ग़लत प्रविष्टि करना, जॉब कार्ड मज़दूरों से 10 रुपये में ख़रीदना। मज़दूरों को उनके द्वारा किए कार्यों की मज़दूरी का कम पैसा देकर, मज़दूरों से ज्यादा पैसे की मज़दूरी पर अंगूठा लगवाना, साल-सालभर तक मजदूरों के द्वारा किए गए कार्यों की मज़दूरी न मिलना, मज़दूरों के कार्य स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर कुछ भी पैसा मुहैया नहीं कराया जाना इत्यादि।

जनपद सोनभद्र के कई क्षेत्रों में कुछ कार्य मशीनों से कराया जा रहा है और उनका कार्य गलत तरीक़े से मज़दूरों के जॉब कार्ड पर चढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि मटेरियल सप्लाई में भी सोनभद्र के अधिकांश क्षेत्रों में ठेकेदारी का कार्य बड़े पैमाने किया जाता है। यहां मज़दूरों का बनाया गया जॉब कार्ड भी मज़दूरों को नहीं दिया जा रहा है। यहां के प्रधान व सचिव उनके जॉब कार्डों को वह खुद ही रख ले रहे हैं जिससे मज़दूरों का शोषण हो रहा है। यहां प्रधान व सचिव मजदूरों को धमकाते व डराते भी हैं ताकि वे उनके द्वारा किए जा रहे गड़बड़ियों की कहीं और शिकायत न कर सकें। मज़दूरों को कार्य पर आने की सूचना भी नहीं दी जा रही है।

सोनभद्र के क्षेत्रों में पंचायत मित्रों की भी एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि पंचायत मित्रों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सोनभद्र के इलाके में प्रधान हमेशा मज़दूरों तथा ग्रामीणों के सामने पैसे के लिये रोता रहता है तथा पैसे की कमी व समस्याएं मज़दूर को सुनाता रहता है जिसकी वजह से ग्रामीण व मज़दूरों का कार्य करने का मनोबल दिन-प्रतिदिन टूटता नज़र आ रहा है।

यहां के कई क्षेत्रों में योजना निर्माण का कार्य भी प्रधान व सचिव खुद ही मिलजुलकर कर ले रहे हैं जिससे की ग्रामीणों को कुछ मालूम भी नहीं चल पा रहा है कि गांव के विकास के लिये क्या-क्या होने वाला है।

यहां सोनभद्र के कई क्षेत्रों में निमार्ण कार्य में लगे मज़दूरों के सामने प्रतिदिन नई समस्याएं आती जा रही हैं। वे यह हैं कि यहां के प्रधान मज़दूरों के जॉब कार्ड अपने पास जमा करवा ले रहे हैं और कारण पूछने पर कहा जा रहा है कि उस पर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर होने हैं। पर कारण कुछ और ही प्रतीत होता है। ''न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी'', मतलब न लोगों के पास जॉब कार्ड होगा न वे बेरोज़गारी भत्ते की मांग करेंगे। इन क्षेत्रो में लगे मज़दूरों व ग्रमीणों से सुनने को मिलता है कि यदि वे प्रधान द्वारा जमा किए गए अपना जॉब कार्ड वापस मांगते हैं तो उन्हें अपमानजनक शब्द सुनने पड़ते हैं।

यहां के कुछ क्षेत्रों में मज़दूरों की मज़दूरी को लेकर भी कई समस्याएं हैं। जैसे - कुछ स्थानों पर मज़दूरों को मज़दूरी कम मिली है तो कई स्थानों पर मज़दूरी बकाया है।

उपरोक्त सभी समस्याओं व कार्य की स्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहां पर लोगों में ग्रामीणों व मज़दूरों में जागरुकता फैलाने की ज़रूरत है तथा उनको अपने हक व अधिकार के लिये अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकेगा जिससे की वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित न रह सकें।

लोगों में जागरुकता का प्रकाश फैलाने से ही एक ग्राम, जिला, राज्य व देश का विकास हो सकता है अन्यथा नहीं।

इसलिये आज हमें आज अपने राष्ट्र के विकास के लिये सभी को यह बताना होगा कि

'' सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें '' ❑

(लेखक सोनभद्र, उत्तर प्रदेश स्थित ग्रामीण विकास परियोजना नामक स्वयंसेवी संगठन से संबद्ध हैं)

सवा पांच रुपये से आजीविका

● उमा चतुर्वेदी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम में ऐसे कई पहलू दिखाई देते हैं जिनके आधार पर इस कानून को 'हक़ का कानून' कहने में कोई मतभेद नहीं है। गारंटी अधिनियम की रूपरेखा तैयार करते वक़्त देश में विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं की राय ली गई जिसके तहत इस कानून में शासन और समुदाय दोनों के बीच पारदर्शिता और सामंजस्य बनाए रखने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया को भी स्थान दिया गया ताकि शासन और समाज में वैचारिक मतभेद समाप्त होकर सार्वजनिक रिश्तों का आयाम बना रहे और समुदाय इसे अपना बुनियादी अधिकार मानकर इस कानून के क्रियान्वयन में 100 प्रतिशत अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि कहा जाए तो राज्य ने इस कानून के क्रियान्वयन हेतु बड़ी शिद्दत और प्रतिबद्धता के साथ इसे लागू किया। यह कहा जाना कदाचित अनुचित नहीं है कि राज्य सरकार ने व्यवस्थागत पहलुओं पर जमकर मेहनत की। इसी के साथ सरकारी वक्तव्यों से भी यह ज्ञात हुआ कि शासन की मंशा हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम देने की भरसक कोशिश रही। अत: सरकारी प्रयास को नज़रअंदाज करना कदाचित उचित नहीं है। किंतु, ज़मीनी स्तर पर प्रदेश में जन संगठनों और स्वैच्छिक रूप से कार्य कर रहे लोगों के जो दो वर्ष के अनुभव सामने आए हैं उन अनुभवों को आधार मानकर कहा जा सकता है कि रोज़गार गारंटी अधिनियम और क्रियान्वयन की व्यवस्था में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। जहां करोड़ों रुपये व्यय होने के बावजूद लोगों के रोज़गार की मांग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, वहीं ग्राम सभाओं में होने वाले सामाजिक लेखापरीक्षण को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। परिणाम यह है कि प्रदेश का एक हिस्सा आज भी भूखा है और दाने-दाने को मोहताज है। अगर ग्राम सभाओं और समुदाय की बात को सामने रखा जाए तो ज़मीन पर मज़दूरों के यही सवाल सामने आते हैं कि भारत में सदैव से संयुक्त परिवार प्रथा चली आई है और संयुक्त परिवार में चार से चालीस सदस्य होते हैं जिनका खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। तो एक जॉब कार्ड से चालीस सदस्यों की खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। रोज़गार गारंटी कानून के प्रावधान इस संदर्भ में स्पष्ट बयान करते हैं कि माता-पिता और दो बच्चों को प्रत्येक इकाई को एक परिवार माना जाएगा और उन्हें एक जॉब कार्ड निर्गत किया जाएगा। स्पष्टत: इस बारे में जानकारी का अभाव है और विभ्रम को दूर करने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। ग्राम सभाओं का अनुभव कहता है कि इस कानून में प्रत्येक एकक परिवार को 100 दिन का नहीं, 365 दिन की मज़दूरी दी जाए तो आजीविका को सुनिश्चित जा सकती है। जबकि रोज़गार गारंटी कानून 100 दिन की मज़दूरी की गारंटी देता है। श्योपुर जिले के ब्लॉक विजयपुर के विस्थापित सहरिया गांव की ही बात करें तो यहां प्रति हितग्राही बमुश्किल 10 दिन की भी मज़दूरी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में परिवार का गुज़ारा कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा? इन मज़दूरों का यह भी कहना है कि अगर हम कानून के क्रियान्वयन पर सवाल न उठाकर यह मान लें कि हमारी सरकार ने हमें 100 दिन की मज़दूरी दे भी दी है तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम मज़दूरी दर किसी भी स्थान पर 79 रुपये से ज्यादा नहीं है। प्रशासन की इस बात को हक़ीक़त मानें तो प्रति परिवार को यदि 100 दिन का रोज़गार मिल भी जाता है तो 100 दिन की न्यूनतम राशि 7,900 प्रति चार सदस्यीय परिवार को एक वर्ष में मिलती है, तो चार सदस्यीय परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिस्से में मात्र 5.25 रुपये की राशि आती है। इससे एक व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

श्योपुर जिले की रोहणी नामक ग्राम की ग्राम सभा में जो अनुभव सामने आए वे यह थे कि मज़दूरों ने 40 दिन से भी अधिक कार्य किया। इसके आज 14 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी लोगों को उनका मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ है। इस ग्राम के सामाजिक अंकेक्षण में समुदाय का सुझाव आया कि मज़दूर की मज़दूरी किसी एजेंसी या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भुगतान न कराकर मज़दूरों के बैंक में खाते खुलवाकर खातों में ही जमा कराई जाए जिससे मज़दूर को पूरा मेहनताना मिल सकें। इससे देश के एक बड़े हिस्से को भूखा सोने से बचाया जा सकता है और ऐसे क्रियान्वयन से समाज के ढांचे में विकास के नये पहलुओं और नये आयामों से जोड़ा जा सकता है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस कानून की भावना और क्रियान्वयन की व्यवस्था में तालमेल बैठाने के लिये अभी सुधारात्मक रवैये के पहलू पर ध्यान दे। ❑

(**लेखिका** राइट टू फूड कंपेन **नामक स्वयंसेवी संगठन से संबद्ध हैं**)

आदिवासियों का सहारा
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना

● उदयसिंह राजपूत

ग़रीबी, बीमारी, भूखमरी, बेरोज़गारी और पलायन की मार झेल रहे आदिवासी समुदाय के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना एक सहारा बनकर उभरी है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 20.3 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है जो अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अभावपूर्ण जीवन जी रही है। रोटी के अभाव मे भूखे पेट सोना, इलाज के अभाव में अकाल ही काल की गोद में समा जाना आदिवासी क्षेत्रों की कड़वी सच्चाई है। अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था जोकि पूर्णत: वनों पर आधारित थी, के छिन्न-भिन्न हो जाने से वे दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। घने जंगल एवं वन्य प्राणी जिनसे वे मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े थे और जो उनके जीवनयापन के आधार थे, अब नष्ट हो गए हैं। इस प्रक्रिया से जहां एक ओर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा वहीं दूसरी ओर आदिवासी और ज्यादा ग़रीब एवं असहाय हुए हैं। उनकी हस्तकला क्षीण हो गई है, संगीत और नृत्य जो उनके आनंद एवं उत्सव के साधन थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते। 60 वर्षों के विकास के प्रतिफल में यदि आदिवासियों को कुछ मिला है तो वह है विस्थापन और पलायन। विस्थापन विकास के नये मंदिरों से उपजी समस्या है जिसने पलायन को और अधिक बढ़ाया है।

आदिवासी क्षेत्रों मे कृषि जोत का छोटा आकार, अनुपजाऊ भूमि, सिंचाई स्रोतों एवं बिजली का अभाव, स्थानीय श्रम की अनुपलब्धता एवं ऋणग्रस्तता आदि के कारण प्रतिवर्ष यह समुदाय छह या सात माह के लिये रोज़गार की तलाश में पास के राज्यों में पलायन करता है। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली हेतु जून 2003 में किए गए एक सर्वे के अनुसार, संपूर्ण झाबुआ जिले से क़रीब 27,007 परिवार स्थायी रूप से पलायन कर गए थे। दिनेश पाटीदार एवं ज्ञान प्रकाश (2004) ने इंदौर शहर पर आधारित प्रवासी आदिवासी श्रमिकों के अध्ययन में बताया कि अकेले इंदौर शहर में प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की संख्या 44,694 थी जोकि कुल नगरीय जनसंख्या का 3.46 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर आज से चार वर्ष पूर्व तक प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की 75 प्रतिशत आबादी वर्ष में छह या सात माह अपने घर-परिवार को छोड़कर काम की तलाश में पलायन कर जाती थी।

पलायन के कारण एक तरफ तो आदिवासी समुदाय को कई समस्याओं यथा - पशुधन, गहने एवं भूमि को बेचना या गिरवी रखना, अपनों से दूर होना, जहां काम मिला उस व्यवस्था द्वारा शोषण आदि का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी और शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन भी बाधित होता है। बच्चे स्कूल छोड़कर माता-पिता के साथ पलायन कर जाते हैं और जब गांवों में बुजुर्गों के अलावा कोई बचता ही नहीं तो योजनाओं का क्रियान्वयन भी काग़ज़ों पर चलना स्वाभाविक है।

पलायन एवं बेरोज़गारी की समस्या एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। इस समस्या से आदिवासी समुदाय को निजात दिलाने के लिये विगत छह दशकों से सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएं कृतसंकल्प हैं किंतु इन सब के बावजूद पलायन एवं बेरोज़गारी का आंकड़ा आदिवासी समुदाय के संदर्भ में सदैव उल्लेखनीय बना रहा है।

क़रीब दो साल पहले एक और सरकारी प्रयास राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम, 2005 के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अधिनियम को लागू हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और इस दौरान कई प्रकार के अनुभव हमारे सामने आए हैं। इन्हीं अनुभवों में से एक है मध्यप्रदेश का पिछड़ा एवं आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड का कचराखादन गांव जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की क्रियान्विति की एक सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह गांव छह फलियों - हिंगार, परमार, डामर, पटेल, नवापाड़ा तथा हिंगाड़ से मिलकर बना है। गांव में तीन इजीएस स्कूल, एक प्राथमिक, एक माध्यमिक स्कूल तथा दो आंगनवाड़ियां हैं। ग्राम पंचायत कचराखादन तीन गांवों - जम्मूणियां, सापरी और कचराखादन की सम्मिलित पंचायत है। गांव में स्वयंसेवी संस्था संपर्क ने जलग्रहण परियोजना के अंतर्गत कार्य किया तथा गांव में चार महिला स्वसहायता समूह बनाए हैं जो अब भी सशक्त हैं। यूनीसेफ के माध्यम से संस्था ने गांव में 25 सौर लाईट लगाई हैं।

पंचायत सचिव कहते हैं कि, इस वर्ष राष्ट्रीय

निबंध प्रतियोगिता

योजना उपभोक्ता मामले मंत्रालय के साथ मिलकर हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है।

इसका विषय है 'बच्चों के लिये हानिकर खाद्य व्यापार'। विजेता प्रतिभागियों को उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :

प्रथम पुरस्कार	5,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	3,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार	2,000/- रुपये
10 सांत्वना पुरस्कार	1,000/- रुपये

अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है

उपरोक्त पुरस्कार विजेताओं सहित 50 प्रतिभागियों को *योजना* की एक वर्ष की वार्षिक सदस्यता दी जाएगी।

इस प्रतियोगिता में योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके संबंधियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। खास तौर पर, छात्रों एवं लोक सेवा प्रतिस्पर्द्धियों और महिलाओं को इसमें भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिये प्रविष्टियां ई-मेल, साधारण डाक/पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा भेजी जा सकती है। कृपया प्रतियोगिता के लिये भेजे जाने वाले लेख के लिफ़ाफ़े पर निबंध प्रतियोगिता लिखें। **योजना कार्यालय में प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर, '08 कर दी गई है।** आयोजकों का निर्णय अंतिम होगा। अपनी प्रविष्टियां इस पते पर भेजें:

संपादकीय कार्यालय
योजना
कमरा सं 538
योजना भवन, संसद मार्ग
नयी दिल्ली - 110001
ई-मेल का पता: yojanaessay@live.com

ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लागू होने के कारण पंचायत में सम्मिलित तीनों गांवों की 75 प्रतिशत आबादी को काम मिला है और मात्र 25 प्रतिशत आबादी ने ही पलायन किया है। गांव की झंगुड़ी, दहमा, फुंदी और दाफुबाई कहती हैं, कि हमें 90 से 100 दिन के बीच काम मिला है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें पहली बार पुरुषों के बराबर काम दाम (मज़दूरी) मिला है। भूरा भाई, धन्ना भाई, कांजी भाई और रतन भाई कहते हैं कि पहले सरपंच अपने क़रीबियों या रिश्तेदारों को ही काम देता था पर अब हम सब को काम मिल रहा है। रायचंद, खुशाल एवं गट्टु भाई कहते हैं कि इस वर्ष हमने पलायन नहीं किया क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के द्वारा गांवों में काम मिल गया है। जिनके घर में काम करने लायक एक से ज्यादा व्यक्ति हैं उन सभी को रोज़गार दिया गया है। शम्भू भाई कहते हैं कि पहले जो बोलता था उसी को काम मिलता था किंतु अब जॉब कार्ड है तो सभी को रोज़गार मिल रहा है, साथ ही पहले मज़दूरी भी कम देते थे किंतु अब 63 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मज़दूरी मिल रही है। हरू एवं राधु भाई कहते हैं कि इस वर्ष गांव में मज़दूरी मिलने के कारण हम हमारे परिवार, समुदाय एवं गांव से दूर नहीं हुए हैं। हम खुश हैं क्योंकि मज़दूरी मिलने के साथ-साथ जो भी कार्य किया उससे हमारे गांव का विकास हुआ है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस वर्ष किसी को भी स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा। रमेश भाई कहते हैं कि कई लोगों को 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी मज़दूरी दी जा रही है क्योंकि जो लोग पलायन कर गए हैं उनके काम के दिन बाकी हैं।

इस सफलता और खुशहाली की कहानी के पीछे स्वयंसेवी संस्था संपर्क का महत्वपूर्ण योगदान है जो आदिवासियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने, उनमे मोल-तोल की ताक़त पैदा करने तथा सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकार को बार-बार दोहरा रही है। आदिवासी समुदाय की सजगता, आपसी सहयोग, पंचायत प्रतिनिधियों की निष्ठा एवं स्वयंसेवी प्रयास से उपजी यह कहानी एक ग्राम पंचायत की है। यदि यह सफल कहानी न केवल झाबुआ वरन संपूर्ण राष्ट्र की बने तो न गांव से शहरों की ओर पलायन होगा, न भूख से मौतें होंगी, न आदिवासी बनियों के ऋणी होंगे, न कोई बच्चा पलायन के कारण स्कूल छोड़ेगा और न ही योजनाओं में भ्रष्टाचार होगा। ❑

(लेखक आईसीएसएसआर, उज्जैन में शोध अध्येता हैं।
ई-मेल : sr_uday20@rediffmail.com)

G.S.
IAS 2008-09

D.KUMAR'S

ORIGIN
IAS STUDY CENTRE

भारतीय अर्थव्यवस्था

सामान्य अध्ययन का सबसे लोकप्रिय खण्ड, जिसका लाभ हजारों विद्यार्थियों ने उठाया है और सफल हुए हैं। आर्थिक अवधारणाओं एवं मुद्दों के गहन एवं व्यापक विश्लेषण के कारण न सिर्फ सामान्य अध्ययन बल्कि निबन्ध, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषयों में सन्निरहित आर्थिक प्रकृति के प्रश्नों के हल में गुणात्मक लाभ महसूस किया गया है।

सांख्यिकी
श्री बी. नारायण

प्रवेश जारी

105, Ist Floor, Satija House Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47042504, 9313586488, 9871008602

YH-8/08/10

अभिलेखों की कालकोठरी

● रीतिका खेड़ा

बड़े पैमाने पर सरकारी राशि के गबन के आरोपों को लेकर उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, पिछले कुछ महीनों से लोगों की गहन विवेचना का विषय बना हुआ है। इन आरोपों के चलते एक दुखद प्रश्न यह खड़ा होता है कि नरेगा के सुचारू संचालन के लिये जो व्यापक पारदर्शी सुरक्षा उपाय बनाए गए थे, उड़ीसा में उनकी किस प्रकार अवहेलना की गई। पश्चिमी उड़ीसा के तीन जिलों, बोलनगीर, बौध और कालाहांडी में नरेगा के सर्वेक्षण पर आधारित पूर्व की एक रिपोर्ट में इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। यह सर्वेक्षण दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने जीबी पंत समाज विज्ञान संस्थान (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) की पहल पर स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से किया था। प्रस्तुत आलेख में उड़ीसा में नरेगा के अभिलेखों में जो जोड़-तोड़ किया गया है उसका विवरण देने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार अधिनियम के पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन को धता दिया गया है। जॉब कार्ड, मस्टर रोल (हाजिरी रजिस्टर) और निगरानी एवं सूचना प्रणाली का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर, हम बौध जिले की बढ़ीगाम पंचायत में खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़े के एक मामले से कर रहे हैं। सर्वेक्षण के कुछ दिनों पहले ही यहां पर सर्वेक्षण दलों को एक फ़र्जी हाजिरी रजिस्टर का पता चला था, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक सारे नाम मनगढ़ंत थे।

बढ़ीगाम पंचायत में फर्जी हाजिरी रजिस्टर प्रकरण का विस्तृत अध्ययन

उपर्युक्त सर्वेक्षण के एक अंग के रूप में अतार्किक रूप से चयनित 30 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में से एक-एक कार्य स्थल के हाजिरी रजिस्टरों का सत्यापन किया गया। बढ़ीगाम ग्राम पंचायत (बौध जिला) में 'इच्छापुर हगुरीमुंडा तालाब का सुधार' इसी तरह के कार्यस्थल का एक नमूना है। जिला प्रशासन ने हमें 28 सितंबर, 2007 को जो हाजिरी रजिस्टर दिया था, उसके अनुसार इस परियोजना पर तीन 'पखवाड़ों' में काम किया गया था। ये तारीखें थीं 12 से 24 मई, 28 मई से 9 जून और 12 से 24 जून। परंतु सर्वेक्षण दल को ग्राम पंचायत कार्यालय से जो असली हाजिरी रजिस्टर मिले उनसे चौथे हाजिरी रजिस्टर (25-30 जून की अवधि का) की मौजूदगी की भी जानकारी मिली। आगे की पूछताछ से शीघ्र ही पता चल गया कि चौथा हाजिरी रजिस्टर फर्जी था। बढ़ीगाम में हमने श्रमिकों से पूछा कि उन्हें कितनी बार पैसे का भुगतान किया गया है। श्रमिकों द्वारा भुगतानों की संख्या, चार हाजिरी रजिस्टरों में दी गई जानकारी के मुक़ाबले, लगातार एक कम ही बताई जाती रही। किसी भी श्रमिक ने यह नहीं बताया कि उसको कई हफ़्तों की मज़दूरी का एक साथ भुगतान किया गया है। उदाहरण के लिये उन्होंने बताया कि उन्हें दो बार भुगतान किया गया था (उनका मतलब था कि उन्होंने दो अलग-अलग हफ़्तों में काम किया था।) जबकि हाजिरी रजिस्टरों में उन्हें तीन बार काम करते दिखाया गया था। प्रमाण के तौर पर अनादि को स्पष्ट याद है कि उसे केवल दो बार भुगतान किया गया था- पहली बार 1,000 रुपये और फिर बाद में 1,600 रुपये। जो राशि बताई गई वह पहले तीन हाजिरी रजिस्टरों के आंकड़ों से मिलती-जुलती थी। 1,082 और 1,628 रुपये। उसने तीसरी बार भुगतान (420 रुपये) किए जाने से इंकार किया। यदि चौथा हाजिरी रजिस्टर (जिसमें उसका नाम दर्ज़ है) अधिकृत और सही होता तो भुगतान का दावा सही माना जा सकता था।

चौथे हाजिरी रजिस्टर के फ़र्जी होने के बारे में और भी अनेक संकेत मिले हैं। इसमें कुछ ऐसे श्रमिकों के नाम भी दर्ज़ हैं, जिन्हें दो दिन काम पर दिखाया गया है लेकिन जब उन श्रमिकों से पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ़ इंकार किया। उदाहरणार्थ मगुनी कन्हार को फ़र्जी हाजिरी रजिस्टर में दो दिनों की अल्पावधि के लिये काम करते दिखाया गया था। परंतु मगुनी ने इससे साफ़ इंकार किया। फ़र्जी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज़ एक और नाम है- नेपू प्रधान, जो अपने हस्ताक्षर का नमूना देने के लिये जूझती रही और अंततः उसे पूरा नहीं कर सकी। उसने सफाई दी कि वह अभी लिखना-पढ़ना सीख रही है। परंतु हाजिरी रजिस्टर में उसके नाम के आगे साफ-सुथरे हस्ताक्षर किए हुए हैं, जोकि नमूने के हस्ताक्षर से पूर्णतया भिन्न हैं।

इस कार्यस्थल के पूर्ण होने के ऑनलाइन अभिलेखों में सिर्फ़ तीन हाजिरी रजिस्टर ही दिखाए गए हैं जो हाथ से तैयार उन हाजिरी रजिस्टरों से मेल खाते हैं जिनकी फोटो कॉपी सर्वेक्षण दल ने शुरू में ही कराई थी। चौथा हाजिरी रजिस्टर निगरानी एवं सूचना प्रणाली (एमआईएस) में दिखाई नहीं देता और न ही इस हाजिरी रजिस्टर का कोई अता-पता जॉब कार्डों में मिलता है जबकि बढ़ीगाम के जॉब कार्ड बहुत सलीके से संधारित हैं और आमतौर पर पहले तीन हाजिरी रजिस्टरों से मेल खाते हैं।

जिस दिन (11 अक्तूबर, 2007) हमने यह सब पूछताछ की, जिलाध्यक्ष (सुश्री शालिनी पंडित) ने मामले की आगे की जांच के लिये गांव का दौरा किया। पंचायत अधिशासी अधिकारी (पीईओ), कनिष्ठ अभियंता (जेई), ग्राम श्रमनेता (वीएलएल) और पंचायत सचिव (पीएस) के सामने श्रमिकों से किए गए सवाल-जवाब से इस बात की पुष्टि हो गई कि चौथा हाजिरी रजिस्टर सही नहीं था।

जिलाध्यक्ष ने जब ग्राम पंचायत की बैंक पासबुक देखी तो उन्हें पता चला कि कार्य जून 2007 के अंत में पूर्ण होना दिखाया गया था और फ़र्जी एमआर 25-30 जून की अवधि का था तथा 10,480 रुपये (वह राशि जो फ़र्जी एमआर के अनुसार, कुल भुगतान की गई राशि के समानार्थी थी) बैंक से 26 सितंबर, 2007 को निकाली गई थी जोकि तथाकथित भुगतान के तीन महीने बाद की तारीख है। इससे और भी पक्का हो गया कि चौथा एमआर फ़र्जी है।

प्रकटत: दोषी कर्मचारियों ने 26 सितंबर को यह मानकर पैसा निकाला था कि स्वीकृत राशि से बचाई गई राशि को हजम करना ज्यादा सुरक्षित था। 28 सितंबर को जब हमने अभिलेख मांगे तो वे घबरा गए और अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिये फ़र्जी हाजिरी रजिस्टर तैयार कर डाला।

जिलाध्यक्ष ने गबन की गई राशि को तुरंत वापस करने को कहा। पीईओ ने एक घंटे के भीतर ही नक़द पैसे वापस कर दिए। भ्रष्टाचार की शिकायत के ख़िलाफ़ त्वरित कार्रवाई का यह दुर्लभ और स्वागत योग्य प्रकरण था। बाद में पीईओ को निलंबित कर दिया गया और उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही शुरू कर दी गई।

उड़ीसा में नरेगा की पारदर्शिता संबंधी सुरक्षा उपायों का खुल्लम-खुल्ला धोखाधड़ी पर आधारित अपवंचना का यह चरम उदाहरण है। इस तरह के अपवंचन को संभव बनाने वाली कुछ मामूली तरक़ीबों का विवरण नीचे दिया गया है। इन सबसे जो बात उभर कर सामने आती है वह यह कि नरेगा के अभिलेखों में 'सामंजस्य' बिठाने (अर्थात हेराफेरी) के अनेक सुरक्षित भूल-भुलैया हैं। इसमें हाजिरी रजिस्टर की विशेष भूमिका है। इन अभिलेखों का सत्यापन करना कठिन होता है और इससे व्यापक गबन का रास्ता खुल जाता है।

जॉब कार्ड

इस कथा की पहली कड़ी जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड का मुख्य उद्देश्य नरेगा के अंतर्गत श्रमिकों के कार्यदिवसों की संख्या और अर्जित पारिश्रमिक के विवरण का लिखित अभिलेख यानी 'एक रोज़गार पासबुक' के तौर पर काम करना है। यह पासबुक श्रमिकों के पास ही रहती है। कालाहांडी की मधुरपुर पंचायत के नरेगा श्रमिक सुरेंद्र नाइक इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। उनके पास अपना जॉब कार्ड नहीं था। इसलिये जब उनसे उनके जॉब कार्ड में फ़र्जी प्रविष्टियां किए जाने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह अपने कार्ड में की जाने वाली प्रविष्टियों पर कड़ी नज़र रखते हैं।

परंतु लगता है कि इस पहले कदम पर ही उड़ीसा के कदम डगमगा गए हैं। कम से कम तीन तरह से जॉब कार्डों की अभिकल्पना दोषपूर्ण है, इसका वितरण अपूर्ण है और जॉब कार्डों की देखभाल ठीक से नहीं की जाती।

वितरण

पहली समस्या जॉब कार्डों के वितरण की है। कार्यान्वयन के दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि पंजीकरण सभी ग्रामीण परिवारों के लिये खुला है। उड़ीसा में जॉब कार्डों का वितरण अपूर्ण रहा है। इसका एक आंशिक कारण यह है कि पंजीकरण के पात्र कौन लोग होंगे, इस बारे में स्पष्टीकरण का अभाव है। यह दुविधा न केवल श्रमिकों के बीच है बल्कि सरकारी कर्मचारियों में भी इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। जब हमने सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों से नरेगा कार्यों में पंजीकरण के मानदंड के बारे में प्रश्न किए तो विभिन्न कर्मचारियों ने अलग-अलग जवाब दिए।

जॉब कार्ड वितरण में भ्रम की स्थिति के लिये कुछ हद तक एमआईएस के उपयोग की भी भूमिका हो सकती है। उड़ीसा में नरेगा से संबंधित सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराने में इसी (एमआईएस) का उपयोग होता है। एमआईएस का इस बात पर ज़ोर रहता है कि जॉब कार्डों की गिनती करने के लिये उसी कोडिंग प्रणाली का उपयोग होना चाहिए जो 2002 में बीपीएल (ग़रीबी रेखा से नीचे) की जनगणना के लिये की गई थी। बीपीएल जनगणना भारत सरकार ने राशन कार्ड वितरण करने के लिये कराई थी। जॉब कार्डों की गिनती के लिये अपनाए जाने वाले इस नियम से संबंधित निर्देश को लगता है उड़ीसा के कुछ भागों में गलत समझ लिया गया। लोगों ने समझा कि केवल बीपीएल कार्डधारक ही जॉब कार्ड के हक़दार हैं। कुछ स्थानों में यह समझा गया कि जिनके पास किसी भी तरह का राशन कार्ड (बीपीएल, एपीएल या अन्य) है, वे नरेगा के अंतर्गत पंजीकृत हो सकते हैं। कभी-कभी इस निर्देश का यह मंतव्य भी निकाला गया की यदि एक संयुक्त परिवार का एक ही राशन कार्ड है तो उस परिवार को एक ही जॉब कार्ड मिलना चाहिए। जबकि कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक एकक परिवार को अलग-अलग जॉब कार्ड दिया जाना चाहिए।

राज्य सरकार का जॉब कार्ड वितरण के प्रति ढुलमुल रवैया इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में स्पष्टीकरण नरेगा के प्रभावी होने (फरवरी 2006) के क़रीब डेढ़ वर्ष बाद जून 2007 में जारी किया गया। इस उदासीनता की क़ीमत बेचारे श्रमिकों को चुकानी पड़ती है जबकि नरेगा उनके लिये जीवन रेखा बन सकती है। उदाहरणार्थ लॉजीगढ़ विकास खंड (जिला कालाहांडी) के सीतापुर गांव की फूलमती बेहरा का मामला लें। सात बच्चों की मां, इस भूमिहीन विधवा के पास अंत्योदय वाला राशन कार्ड है। उसने कम से कम एक वर्ष पूर्व जॉब कार्ड के लिये आवेदन किया था, परंतु अभी तक उसे यह कार्ड जारी नहीं हो सकता है। उसी में रहने वाली सावित्री डोरा को जॉब कार्ड इसलिये जारी नहीं किया गया क्योंकि उसके पास राशन कार्ड नहीं था। बानगी के तौर पर चुने गए ग्राम पंचायतों से अलग हटकर अन्य गांवों के अपने एक भ्रमण के दौरान हमें क़रीब 50 कच्चे घरों वाला एक अति निर्धन गांव पुरवा मिला, जिसमें मुश्किल से पांच लोगों को जॉब कार्ड दिए गए थे।

नरेगा से अनुचित तौर पर वंचित परिवारों के अलावा जॉब कार्डों का अपूर्ण वितरण उन प्रमुख खामियों में से एक है जो भ्रष्ट गतिविधियों के लिये प्रयुक्त की जा रही है। नरेगा में जब रोज़गार दिया जाता है, काम मांगने आए जॉब कार्ड विहीन श्रमिकों को काम देने से इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु स्थानीय अधिकारियों को मालूम है कि जॉब कार्ड से वंचित श्रमिकों के नाम (यथा-अपंजीकृत श्रमिक) आंकड़ों की प्रविष्टि के चरण पर एमआईएस स्वीकार नहीं करेगा। इससे निपटने के लिये वे हाजिरी रजिस्टर पर इस तरह के अपंजीकृत श्रमिकों के नाम ही दर्ज़ नहीं करते। उसके स्थान पर इन श्रमिकों को हाजिरी रजिस्टर में जॉब कार्ड वाले श्रमिकों के नाम के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार हाजिरी रजिस्टर के अनुसार लक्ष्मी चरण बाग (गुड़वोलिपदार पंचायत, बौध जिला) ने 54 दिन कार्य किया और 4,860

रुपये कमाए। वस्तुतः उसकी बहन ने इस कार्यस्थल पर काम किया था (वह भी कुल 15 दिन जिसके लिये उसे केवल 1,200 रुपये का भुगतान किया गया था)।

ऐसे अनेक प्रकरण थे, जिनमें हाजिरी रजिस्टर में दर्ज़ व्यक्तियों ने नरेगा के कार्य स्थलों पर काम नहीं किया था और यह दावा किया गया कि उनके परिवार (या गांव) के किसी अन्य व्यक्ति ने काम किया था। अनेक प्रकरणों में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किसने किसके बदले काम किया था, और किसका समायोजन अपंजीकृत नाम के विरुद्ध किया गया था। इससे यह पता करना बड़ा कठिन हो गया कि हाजिरी रजिस्टर की गड़बड़ियां सरकारी कोष के दुरुपयोग से जुड़ी हैं कि नहीं। या फिर यह समायोजन वास्तव में केवल व्यावहारिक कारणों के लिये किया गया था। स्पष्ट है कि भले ही गबन न किया गया हो, इस तरह का समायोजन एक प्रकार से अभिलेखों में हेराफेरी ही माना जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

अभिकल्पना

एक अच्छे जॉब कार्ड की बुनियादी ज़रूरत है कि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। एक अच्छे तरीक़े से बने जॉब कार्ड के महत्व का पता हमें उस समय चला जब हमारी भेंट कुंती यादव (गिगिना पंचायत, कालाहांडी) से हुई। वह अपना जॉब कार्ड लेकर यह पूछने आई थी कि 100 दिनों की वार्षिक पात्रता में से कितने दिनों का रोज़गार उसे मिल चुका है। मैं उलझन में पड़ गई क्योंकि मैं इस सीधे सरल प्रश्न का उत्तर उड़िया दुभाषिये की सहायता के बावजूद भी नहीं दे सकी। (जॉब कार्ड की कुछ प्रविष्टियां उड़िया भाषा में की गई थीं।) पहले तो, हमें काफी समय यह पता लगाने में लगा कि दर्शाई गई प्रविष्टियां किस वित्त वर्ष से संबंधित हैं, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित वित्त वर्ष दर्शाने के लिये दिया गया स्थान खाली पड़ा था। अगली बाधा वे तारीखें समझने में सामने आईं जिनसे जॉब कार्ड की प्रविष्टियां संबंधित थीं। इस प्रकार 111 की प्रविष्टि (चार वर्णों में से तीन में दर्शाई गई) का अर्थ 1 नवंबर भी हो सकता था और 11 जनवरी भी। जॉब कार्ड संधारण के बारे में अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण हर अधिकारी/कर्मचारी ने प्रविष्टियां करने का अपना अलग ही तरीक़ा अपना रखा था।

एक अन्य गंभीर समस्या और है कि उड़ीसा के जॉब कार्डों में (जैसा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी है) श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली राशि दर्ज़ करने के लिये कोई कॉलम ही नहीं है। इस भूल से जॉब कार्ड का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। श्रमिक अपनी मज़दूरी के भुगतान पर नज़र रख सकें, जॉब कार्ड का उद्देश्य तो यही था।

हाजिरी रजिस्टरों से संबंधित आंकड़ों के सत्यापन के दौरान जॉब कार्ड की कुछ और त्रुटियां उभर कर सामने आईं। उदाहरणार्थ, किसी श्रमिक ने कितने दिन काम किया, इसका सत्यापन करना कठिन है, क्योंकि जॉब कार्ड में दिए गए रोज़गार दिखाने वाले पृष्ठ में श्रमिकों के नाम के स्थान पर केवल श्रमिकों और कार्यस्थल का कोड दर्ज़ किया जाता है। श्रमिक का कोड का अर्थ पता करने के लिये जॉब कार्ड के पहले पृष्ठ को देखना होता है जिसमें कोड के आगे पंजीकृत नामों की सूची दी गई होती है और जैसे कि यही खामियां काफी नहीं हो, कभी-कभी जॉब कार्ड के प्रथम पृष्ठ पर की गईं प्रविष्टियां कंप्यूटर प्रिंट आउट से लेकर अंग्रेज़ी में होती है। एक ग्रामीण श्रमिक, जो केवल उड़िया में ही पढ़ सकता है (यदि वह पढ़ा हुआ हो तो), के लिये अपने रोज़गार और भुगतान के बारे में जानकारी रखना असंभव-सा हो जाता है।

संधारण

जॉब कार्ड का संधारण अगला अवरोधक है। इसमें पहचान के प्रारंभिक विवरणों (जैसे- जॉब कार्ड संख्या, पंजीकृत वयस्कों के नाम) के साथ-साथ रोज़गार से संबंधित क्रमिक प्रविष्टियां भी शामिल हैं। ग़लत पहचान का एक ज्वलंत प्रकरण पूर्णचंद्र माझी (पोखरी बंधा पंचायत, लांजीगढ़) का है। जॉब कार्ड के साथ ही नमूना हाजिरी रजिस्टर के अनुसार, पूर्णचंद्र 18 वर्ष की एक महिला है। सत्यापन की कार्रवाई के दौरान जांचकर्ताओं को पता चला कि पूरन पांच वर्ष के लड़के का नाम है। अनेक जॉब कार्डों में जॉब कार्ड संख्याएं और पंजीकृत परिवारों के सदस्यों के नामों में कई गड़बड़ियां हैं। उदाहरणार्थ, दो परिवारों को एक ही संख्या वाले जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। नरेगा के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, यह ज़रूरी है कि मज़दूरी का भुगतान करने वाली प्रत्येक एजेंसी को बिना किसी गलती के जॉब कार्ड पर भुगतान की गई राशि और कितने दिनों की मज़दूरी दी गई है, इसका उल्लेख करना आवश्यक है। परंतु अनेक जॉब कार्डों में या तो कोई प्रविष्टि ही नहीं की गई थी और यदि की भी गई थी तो निहायत ही लापरवाही से। इसके अलावा जॉब कार्ड की प्रविष्टियां कभी भी मज़दूरी का भुगतान करते समय श्रमिकों के सामने नहीं की गईं, जैसाकि कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित है। सर्वेक्षण दलों को यह पता चला कि जॉब कार्ड में प्रविष्टियां करने के लिये पंचायत कर्मचारी से ले गए थे, परंतु महीनों तक उसे वापस नहीं किया। बानगी के तौर पर चुने गए 30 ग्राम पंचायतों में से 12 में जॉब कार्ड मज़दूरों को सर्वेक्षण दल के दौरे से ऐन पहले वापस किए गए थे और वह भी जल्दबाज़ी में की गई प्रविष्टियों के साथ। और जो जॉब कार्ड श्रमिकों के पास ही थे, उनका संधारण ठीक से नहीं किया गया था। अनेक बिल्कुल कोरे और खाली थे, जबकि कई में फ़र्ज़ी प्रविष्टियों के प्रमाण दिखाई दे रहे थे। बानगी के तौर पर 30 ग्राम पंचायतों में से 18 ऐसे थे जहां जॉब कार्ड बिल्कुल कोरे थे। 20 में फ़र्ज़ी जॉब कार्ड प्रविष्टियां पाई गईं और 12 में जॉब कार्ड की प्रविष्टियों में काट-छांट की गई थी। सर्वेक्षण दलों को अभिलेखों में आंतरिक विसंगतियां भी दिखाई दीं। उदाहरणार्थ, जॉब कार्ड में दर्ज़ कार्य दिवसों की संख्या कुछ और थी जबकि संबंधित हाजिरी रजिस्टरों में कुछ और। जॉब कार्ड के भीतर इस्तेमाल व्यक्तिगत कोड भी मुखपृष्ठ पर वर्णित कोड से मेल नहीं खाते थे।

सार यह है कि अपूर्ण वितरण के साथ ही उड़ीसा में जॉब कार्डों की त्रुटिपूर्ण डिज़ाइन और संधारण ने इन दस्तावेज़ों को श्रमिकों के दृष्टिकोण से पूर्णतः निरर्थक साबित कर दिया है। इस घालमेल ने नरेगा के कोष में गबन को आसान बना दिया है।

हाजिरी रजिस्टर

मस्टर रोल्स हाजिरी दर्ज़ करने वाले कागज़ के उन पन्नों की तरह होते हैं जिनमें सप्ताह विशेष के दौरान किसी कार्यस्थल पर काम में लगे श्रमिकों के नाम और उनको भुगतान की गई मज़दूरी का विवरण दर्ज़ होता है। मस्टर रोल के आंकड़ों के आधार पर ही ग्राम पंचायत के नरेगा खाते से मज़दूरी के भुगतान के लिये राशि निकाली जाती है। इस प्रकार, नरेगा के श्रम घटक में भ्रष्टाचार रोकने के लिये मस्टर

रोल का पारदर्शी होना अनिवार्य है। नरेगा के समग्र कोष का लगभग 60 प्रतिशत घटक श्रम का ही होता है। नरेगा और भारत सरकार के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार मस्टर रोल्स कार्यस्थल पर उपलब्ध होने चाहिए और ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर उनको प्रदर्शित किया जाना चाहिए। मज़दूरी के भुगतान के समय इनको सार्वजनिक रूप से पढ़ा भी जाना होता है।

मस्टर रोल्स की डिज़ाइन और उनके संधारण के संबंध में स्थिति कोई विशेष उत्साहवर्धक नहीं है। विशेष पहचान वाली संख्या वाला एक समान प्रारूप प्रभावी मस्टर रोल की डिज़ाइन की एक अनिवार्य विशेषता है। परंतु सर्वेक्षण दलों को बानगी वाले ग्राम पंचायतों में कम से कम तीन अलग-अलग प्रारूप देखने को मिले। इसमें एक पुराना पड़ चुका मस्टर रोल भी था जो काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस्तेमाल हुआ करता था और जिसमें जिसके रूप में भुगतान का प्रावधान भी था। यद्यपि एक मानकीकृत मस्टर रोल का प्रारूप अब तैयार कर लिया गया है, तथापि सर्वेक्षण के समय सभी जिलों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।

मस्टर रोल्स के संधारण पर निगाह डालने से हमें पता चला कि उसमें हेराफेरी करने का पारंपरिक तरीक़ा अभी भी उड़ीसा में हर जगह प्रचलित है। विशिष्ट रूप से दो तरह के समांतर अभिलेख (कभी-कभी इन्हें कच्चा और पक्का भी कहा जाता है) रखे जा रहे हैं। कच्चा बही खाता अभिलेख साधारण नोटबुक में रखा जाता है और इसका उपयोग श्रमिकों के भुगतान का हिसाब रखने के लिये किया जाता है। पक्का अभिलेख (बही खाता), सरकारी प्रारूप में तैयार किया जाता है और यह एक रूपांतरित संस्करण होता है (कुछ घालमेल वाली प्रविष्टियों के साथ) तथा इसका उपयोग नरेगा कोष से पैसा निकालने में होता है। दोहरे अभिलेख (हिसाब-किताब) रखने वाली यह आदत, उनके संधारकों को अंतर की रक़म हड़पने में मदद करती है।

बढ़ीगाम पंचायत में इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि कम से कम कुछ हाजिरी रजिस्टरों के मामले में कोरे हाजिरी रजिस्टरों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिये गए हैं (उपस्थिति और भुगतान का विवरण भरने से पूर्व ही)। उदाहरण के तौर पर, काम पर न आने की वजह से कुछ श्रमिकों का नाम रद्द कर दिया गया था, परंतु मस्टर रोल में उसी लाइन के अंत में हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान दिया हुआ था। इसी प्रकार कुछ पंक्तियां रिक्त थी, सिवाय इसके कि शुरू में श्रमिक का नाम और अंत में उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिया हुआ था। कुछ हाजिरी रजिस्टरों में रिक्त पंक्तियों के सामने अंगूठे के निशान बने हुए थे। इसके अलावा उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर के खानों में अंगूठे के निशान दिए हुए थे, जो अपने दस्तखत कर सकते थे। इससे धोखाधड़ी होने के संकेत दिखाई देते हैं और अंत में हमने एक ही श्रमिक का नाम उसी सप्ताह के मस्टर रोल में दो बार लिखा पाया।

मस्टर रोल में घालमेल करने के जो अन्य पारंपरिक तरीक़े अभी भी अपनाए जा रहे हैं, उनमें अस्तित्वविहीन व्यक्तियों के नाम और रोज़गार के दिनों और वेतन के भुगतान की राशियों को बढ़ा-चढ़ा कर लिखा जाना शामिल है। उदाहरण के तौर पर हमने पाया कि 30 बानगी वाले ग्राम पंचायतों में कुल कार्यदिवसों की जो संख्या मस्टर रोल में दर्ज़ की गई थी, उसके मुक़ाबले, श्रमिकों ने जो बताया उसके अनुसार कुल 60 प्रतिशत दिवसों का उन्होंने कार्य किया था। यह संख्या उन 592 श्रमिकों के प्रमाणपत्र पर आधारित है, जिनके बयान लिये जा सके। बानगी वाले 30 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में एक-एक कार्यस्थल के मस्टर रोल का सत्यापन किया गया था।

इन पुराने हथकंडों के अलावा कुछ नये हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा प्रचलित वह आज़ादी है जिसके कारण कार्य संबंधी विवरणों की प्रविष्टियों में समायोजन (जोड़-तोड़) बिठाया जाता है। कई मामलो में इसे धोखाधड़ी के आवरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर रोल पर समायोजन का सबसे आम तरीक़ा नग दर के आधार पर साथ काम करने वाले श्रमिकों के समूह के कार्यदिवसों और मज़दूरी को एक साथ मिलाकर दिखाना होता है। इस तरह के मामलों में प्राय: केवल एक व्यक्ति का ही नाम (यथा- दल के नेता का) मस्टर रोल पर मिलता है और समूचे समूह द्वारा अर्जित मज़दूरी को एक ही श्रमिक के नाम के आगे दर्ज़ किया जाता है। एक और आम समायोजन का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें बिना जॉब कार्ड वाले श्रमिक को मौका दिया जाता है और उसके भुगतान आदि के विवरण को मस्टर रोल पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम दिखाया जाता है।

ये और अन्य प्रकार के समायोजन मस्टर रोल की पारदर्शिता में पलीता लगा देते हैं और उनका सत्यापन करना असंभव-सा हो जाता है। जब भी किसी श्रमिक की गवाही मास्टर रोल के सत्यापन के दौरान उससे मेल नहीं खाती, यह बताना लगभग असंभव हो जाता है कि यह सरकारी कोष में हेराफेरी के इरादे से किया गया है या महज एक समायोजन भर है। कुछ मामलों में मस्टर रोल पर दिखाए गए नामों और मज़दूरी का वास्तविक भुगतानों के साथ बहुत कम समरूपता होती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा क्या वास्तव में श्रमिकों को दिया गया और दिया गया तो कितना उन तक पहुंचा, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ़ अंदाजभर लगाया जा सकता है। मस्टर रोल जिसे श्रमिकों के नाम और उपस्थिति का अभिलेख माना जाता है, कम से कम कुछ मामलों में तो जोड़-तोड़ कर बनाया हुआ एक दस्तावेज़ भर होता है जिसका एक मात्र उद्देश्य ग्राम पंचायत के खाते से पैसा निकालना सुनिश्चित करना और विकास खंड स्तर पर आंकड़ों को दर्ज़ कराना होता है।

निगरानी और सूचना प्रणाली

निगरानी और सूचना प्रणाली (एमआईएस) पारदर्शी अभिलेखन का जो प्रयोजन है उसकी अंतिम कड़ी है, जिसके द्वारा सभी अभिलेखों को कंप्यूटर में डालकर उसे स्वयं ही इंटरनेट पर प्रदर्शित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिये उड़ीसा में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा नरेगा के लिये खासतौर पर तैयार किए गए एमआईएस का उपयोग होता है। इस एमआईएस में आंकड़ों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए हैं। उदाहरण के लिये यह जॉब कार्ड रहित श्रमिकों के नाम स्वीकार नहीं करता, गलत जॉब कार्ड संख्याओं और दोहरी प्रविष्टियों को अस्वीकार कर देता है। एक व्यक्ति का नाम एक ही मस्टर रोल पर दो बार नहीं आ सकता। इसके अलावा एक जॉब कार्ड पर प्रतिवर्ष 100 दिन से अधिक के रोज़गार को दर्ज़ नहीं कर सकता। इस प्रकार एमआईएस दिशानिर्देशों की अवहेलना करने के इरादे से भरे गए आंकड़ों को अस्वीकार कर देता है और संभवत: उससे यह अपेक्षा उचित ही की जाती है कि वह आंतरिक विसंगतियों को स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार

यह दिशानिर्देशों के अनुसार ही नियमानुसार अभिलेखन को सुनिश्चित करने का काम करता है। परंतु इस कठोर नियम की क़ीमत भी चुकानी होती है। निश्चय ही एमआईएस के कठोर नियमों के कारण अनेक ऐसे समायोजनों का बहाना मिल जाता है, जिनका निवारण पहले किया जा चुका है। उदाहरण के लिये, जॉब कार्ड रहित श्रमिकों को काम का मौका देने को उचित ठहराने के लिये इनका आमतौर पर सहारा लिया जाता है। इन श्रमिकों को अन्य व्यक्तियों के नाम पर रखा जाता है।

और जब कागज़ों पर खानापूरी के बाद कंप्यूटर पर आंकड़ों को दर्ज़ कराने (डेटा एंट्री) के समय समस्याएं या विसंगतियां सामने आती हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर मस्टर सेल की कागज़ी प्रति पर अंतिम समय में कुछ परिवर्तन कर एक बार और खानापूरी करने की कोशिश करता है। यथा- हमें कुछ ऐसे परिवार मिले जिन्होंने कम से कम कागज़ों पर अधिकतम 100 दिन के कार्यदिवसों की हक़दारी से भी अधिक काम किया था। चूंकि इन परिवारों के सदस्यों के नामों को एमआईएस स्वीकार नहीं कर सकता था, ऐसे मामलों में लोगों के कार्यदिवसों को कंप्यूटर पर आंकड़ों की प्रविष्टि के समय किसी अन्य व्यक्ति के नाम के आगे चढ़ा दिया जाता है। बौध जिले में जहां कार्यदिवसों की संख्या 100 से अधिक हो गई थी, परिवारों का पुनर्निर्धारण कर परिवार के कुछ सदस्यों को नये जॉब कार्ड देने को कहा गया और इस तरह समायोजन के उपर्युक्त तरीक़े से बचने के निर्देश दिए गए। हालांकि यह दृष्टिकोण समस्या का केवल सतही समाधान है, फिर भी यह कवायद भी कम समस्या मूलक नहीं हैं, क्योंकि 100 दिनों के कार्यदिवसों की सीमा तय करने का जो प्रयोजन है उसकी यह अवहेलना करता है।

निष्कर्ष

यद्यपि उड़ीसा में आज नरेगा की छवि थोड़ी धुंधली दिखाई पड़ रही है, तथापि इस आलेख में वर्णित अनेक समस्याओं का ईमानदार उपायों से काफी हद तक निराकरण किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर वर्तमान जॉब कार्डों के स्थान पर सोच-विचार कर बनाए गए जॉब कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगले वित्त वर्ष से पहले इन्हें वितरित किया जा सकता है। इससे जॉब कार्ड वितरण का अपूर्ण कार्य पूरा करने का भी अवसर मिलेगा और इस प्रकार वर्तमान में समायोजन के जो बहाने बनाए जाते हैं उनका भी एक प्रमुख कारण समाप्त किया जा सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रोज़गार सेवक की नियुक्ति कर उसे जॉब कार्ड के नियमित संधारण के लिये उत्तरदायी बनाकर भी इस दिशा में कुछ किया जा सकता है। यह एक छोटा-सा कदम होगा लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार कार्यस्थल पर ही मास्टर रोल्स को रखा जाना सुनिश्चित करने से उसमें हेराफेरी करना लोगों के लिये इतना आसान नहीं रह जाएगा।

अधिनियम और दिशानिर्देश वस्तुतः पारदर्शी सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के स्पष्ट और व्यापक मार्ग चित्र प्रदान करते हैं और मुख्य समस्या इन सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना ही है। ऐसा करने में उड़ीसा सरकार की असफलता उन लोगों की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है जो (ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी और अन्य) मौजूदा स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। अतएव समय का तकाज़ा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में प्रभावी दबाव बनाया जाए। ❑

(ई-मेल: reetika.khera@gmail.com)

IAS 2008-2009

DIAS - No.1 Institude in India for science subjects in IAS exam. is proud in announcing its results

Supreet S. Gulati

IAS Rank - 2
IAS Exam. 2007
Physics/ Essay/Interview

Nikhil Gajraj
IAS Rank - 35
IAS Exam. 2007
Physics

Prashant K. Agrawal
Rank - 136
IAS Exam. 2007
Physics

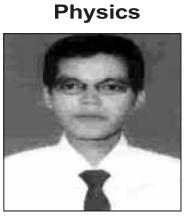

Shashank Mishra
IAS Rank - 5
IAS Exam. 2006
Physics

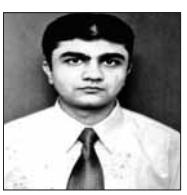

Abhishek Prakash
IAS Rank - 8
IAS Exam. 2005
Physics

Puru Gupta
IAS Rank - 18
IAS Exam. 2005
Physics/Maths

It needs something more than hard work & persistence for securing top ranks in a row

..... It is our cutting edge guidance which sets them apart

All batches start from 8th / 15th June. Admissions open

Subjects offered

- General Studies by DIAS Team
- Physics by D.P. Vajpeyi
- Maths by D. Ramakotaih
- Chemistry by R.K. Singh
- Zoology by Dr. Roshan Singh
- Philosophy by R.Ghuge
- History by Shekhar Srivastav
- Sociology by Mamta Shrama

We also offer class room Guidance for CSIR-NET/ GATE in Physical/ Chemical Sciences. Batches start from 10th July 08.

DIAS Delhi Institute for Administrative Services

28A/11, Jia Sarai, Near IIT, Hauz Khas, New Delhi-16.
PH.: 011-26537353/09350934622

visit us at www.diasindia.com

YH-8/08/11

Vedanta IAS Academy

इतिहास

- मुरारी पाण्डेय

''इतिहास का अध्ययन तथ्यात्मक व विश्लेषणात्मक रुप में और समग्र दृष्टिकोण के साथ''

सामान्य अध्ययन Vedanta's Team	भूगोल डॉ० एस० चन्द्रा
लोक प्रषासन मनोज	गणित एस० पी० वर्मा
मनोविज्ञान कवीन्द्र राज	हिन्दी साहित्य Mr. M. Pandey

अध्ययन कार्यक्रम

मुख्य परीक्षा – 2008 / फाउंडेशन कोर्स – 2009

प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा कार्यक्रम

कक्षा–कार्य योजना (प्रारंभिक परीक्षा) – 200 घंटे, (मुख्य परीक्षा) – 300 घंटे

SPECIAL FEATURES:

* Classes Through Idea Board (High Technology)
* 30th Class Rooms * 60 Faculties & Staffs.
* हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम (Seprate Batch)
* पत्राचार कोर्स व (Online Classes)
* Hostel & Paying Guest Facilities (For 200 Students).
* Library Room Facilities(For 100 Students.)

TECNIA BUILDING

Plot No.- 3A-3B, Madhuban Chowk Rohini, Sec - 14, Delhi - 85

Ph: 011-47035150, 9911103333, 9990123333, 9911753333

Visit Us: vedantaiasacademy.com

YH-8/08/14

सामाजिक लेखापरीक्षण के माध्यम से जवाबदेही

● सौम्या किदंबी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना कानून ने 2 फरवरी, 2008 को अपने दो साल पूरे किए। ये दो साल की यात्रा इसके लिये बहुत ही उतार-चढ़ाव वाली रही। जबकि कोई इसे पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता और यह कह सकता है कि यह पूरी तरह से धन की बर्बादी है या एक असफल कानून है। परंतु इसके बारे में हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसके अमल में बाधाएं नहीं आईं। जैसे सभी बड़ी योजनाओं में दिक्कतें आती हैं उसी तरह इसमें भी ऐसी कई बाधाएं आईं।

विभिन्न वर्गों के लोग नरेगा पर नज़र रखते हैं और विशेष रूप से वे लोग जो भारतीय बाज़ार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति और उससे होने वाले लाभ पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, वे ही इस कानून को सिरे से नकार रहे हैं।

नरेगा के समर्थन का मतलब यह नहीं कि इसकी हर चीज़ सही है। हालांकि योजना की अच्छाई या बुराई का यह मतलब नहीं कि योजना ही ग़लत है। बल्कि उसके चलाने व लागू करने के तंत्र पर इसकी सफलता निर्भर करती है जबकि कानून के पास इसकी सुरक्षा के पारदर्शी हथियार हैं। साथ ही एक खास अधिकार जिसमें इसके सूचना संबंधी अधिकार के उपयोग का भी प्रावधान है लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र में काफी कम काम किया है। दूसरी ओर एक समूह ऐसा है जो इस योजना को अपने राज्य में लाने और सामाजिक लेखापरीक्षण के माध्यम से इसे लागू करने के प्रयास में संघर्षरत है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में इन समूहों को छिद्रान्वेशी और नरेगा विरोधी करार दिया गया बजाय उसकी बातों को समझने के। कुछ अधिकारियों ने तो सामाजिक लेखापरीक्षण के कार्य करने के ढर्रे पर भी उंगली उठानी शुरू कर दी है चाहे वे उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी में से ही क्यों न हों। राज्य सरकार के ही एक उच्च पदाधिकारी ने हाल में ही एक टीवी चैनल को यह बयान दिया कि लेखापरीक्षण बस एक दिखावे के लिये है और यह इस योजना संबंधी कानून के लिये और दुश्मन ही पैदा कर रहा है जो इसके लिये रास्ता ढूंढ़ रहे हैं। इस योजना के कानून का सबसे दुखद व संकीर्ण विश्लेषण यह है कि यह बस उन्हीं राज्यों में सफल हो सका जहां शिक्षित समाज इस मुद्दे को लोकप्रिय बना रहा है और जहां मास्टर रोल्स (हाजिरी पंजी) एक छिपा हुआ दस्तावेज़ नहीं रह गया। पांच साल पहले आंध्र की सरकार ने और इसके राजनीतिक पदाधिकारी ने इसे अच्छी मॉनिटरिंग के साथ अपनाया है।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस सामाजिक लेखापरीक्षण को पूरे राज्य में कैसे लागू कर लिया, यह सोचकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। इस राज्य ने नरेगा की केवल नींव ही नहीं रखी बल्कि सामाजिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट के लिये एक अच्छी वेबसाइट भी तैयार की और इससे संबंधित कुछ नियम भी बनाए जो जल्दी ही पेश होने वाले हैं। यही एकमात्र राज्य है जिसने नरेगा से संबंधित प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे दिया है। जबकि दूसरे राज्यों के लिये आंध्र प्रदेश का उदाहरण कुछ मायने नहीं रखता है और राजनीतिक इच्छाशक्ति, जगह, आर्थिक मदद, सामाजिक ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था

आदि इस गतिविधि में महत्वपूर्ण कारक हैं। आंध्र में इस गतिविधि के सफल होने के पीछे केवल एक ही सच्चाई है कि वहां की राज्य सरकार ने इसमें सबसे बड़ा योगदान किया है। और इसी प्रशासनिक संकल्प की वजह से उस राज्य में इतना बदलाव आया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह साबित कर दिया कि यदि सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है।

नलगोंडा जिले में काम के लिये अनाज राष्ट्रीय योजना (एनएफएफडब्ल्यूपी) के अंतर्गत नौ वैधानिक कार्यक्रमों का सामाजिक लेखापरीक्षण शुरू हुआ। यह लेखापरीक्षण गतिविधि को समझने और प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिये हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण का इंतजाम ग्रामीण विकास विभाग/जीओएपी तथा मज़दूर किसान शक्ति संगठन नामक स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से किया गया। इसके साथ ही एक समीक्षा सत्र भी शुरू हुआ जिसमें एमकेएसएस के प्रशिक्षु सदस्य और कार्यपालक सदस्यों ने ग्रामीण विकास विभाग के साथ अपने विचार बांटे और यह निष्कर्ष निकाला कि आंध्र के नरेगा के लिये भी इस तरह के काम बने थे। नरेगा के सामाजिक लेखापरीक्षण के लिये आयोजित आमसभा में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव और विभाग के कमिश्नर भी शामिल हुए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए जिन्हें सूचना प्रबंधन व्यवस्था (एमआइएस) भी नहीं उठा सकी थी। शासन व्यवस्था के साथ मिलकर इन स्वतंत्र समूहों ने वर्तमान स्थिति का लेखापरीक्षण किया और इसका परिणाम यह हुआ कि अगले 6 महीनों के अंदर प्रारंभ में जिन तीन जिलों में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था वो पहले चरण में 13 जिलों में फैल गया और दूसरे चरण के जिलों में इस फरवरी से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। दूसरे चरण में 22 जिलों को रखा गया है।

जो भी रास्ते अपनाए गए वे आसान नहीं हैं, पर सीखने को इनमें बहुत कुछ है। एक महिला ने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई था जो समय पर उसके दुखों को सुनता था और उसे दूर करने की कोशिश भी करता था। फिर उसे अपनी रोज़ की कमाई लेने शाखा डाक प्रबंधक के पास रात को जाना पड़ता था। क्योंकि वह एक ऑटो चालक है और वह दिन में गांव में नहीं होता था इसलिये वह मज़दूरों को, खासकर ज्यादातर औरतों को या क्षेत्र सहायक को, जो अपनी साइकिल में पानी के कनस्तर बांध कर पौधों में पानी डालने का काम करते हैं, जबकि यह उनका काम नहीं था, उन्हें भी वह रात में पैसे लेने बुलाता था। ये सारे मुद्दे सामाजिक लेखापरीक्षण के दौरान सामने आए। इस बैठक के दौरान उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया जो इस योजना के सफल व असफल होने के मुख्य कारण थे और फिर उन चीज़ों पर भी गौर किया गया जिनमें बदलाव की ज़रूरत थी।

अंतिम 6 महीनों में अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले सामाजिक लेखापरीक्षण में 30 से ज्यादा विधायकों ने भाग लिया। जुक्कल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौदागर गंगाराम ने एक सामाजिक लेखापरीक्षण की बैठक के दौरान कहा - "हम चुनाव के समय जनता से वोट मांगने हर हालात में पहुंचते हैं चाहे हम बीमार हों, बरसात का मौसम हो या फिर कोई और कठिन परिस्थिति। इसलिये मुझे लगता है कि विधायक/संसद सदस्यों को अपने सरपंचों और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों की इस बैठक में सम्मिलित होना चाहिए। ग़रीबों की आर्थिक मदद के लिये यह काम हो रहा है, इसलिये हमें उन तक जाना ही चाहिए।"

अधिनियम और दिशानिर्देश सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के स्पष्ट और व्यापक मार्ग चित्र प्रदान करते हैं। मुख्य समस्या इन सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना है। समय का तकाज़ा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में प्रभावी दबाव बनाया जाए

13 जिलों के अंतर्गत 500 मंडलों में 30,000 ग्रामीण सामाजिक लेखापरीक्षकों को इस सामाजिक लेखापरीक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। इसके फलस्वरूप गड़बड़ी वाली एक करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की गई और 100 से ज्यादा कार्यकारी समितियों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई। कई बार इन समितियों को तब हटाने की बात भी हुई जब यह पता चला कि वे भी इस पैसे के हेरफेर में शामिल थीं। सामाजिक लेखापरीक्षण की गतिविधियों को बरकरार रखने के लिये प्रत्येक लेखापरीक्षण के 15 दिन बाद एक मूल्यांकन बैठक होती है जिसमें यह देखा जाता है कि आमसभा में उठाए गए मुद्दों पर अमल हो रहा है या नहीं। इन गतिविधियों में से प्रत्येक पर अच्छे से विचार किया जाता है। इस पर शासन और समाज में से चुने गए लोग एकजुट होकर काम करते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ़ यही होता है कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाए और इसकी प्रगति में बाधक बनने वाली अड़चनों को हटा दिया जाए।

इस योजना के अमल में अवरोधक बनने वाले काफी लोग हैं जिनमें कुछ अर्थशास्त्री, पत्रकार, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग और शोधकर्ता भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया उन शिक्षित ग्रामीण युवाओं की तरफ से आएगी जो ग्रीष्म ऋतु में इन निर्माण स्थलों पर काम करना चाहते हैं ताकि वे अपने कॉलेजों की पढ़ाई का कुछ खर्च निकाल सकें या फिर उन औरतों की तरफ से आएगी जो नरेगा से कमाए गए पैसों की बचत कर रही हैं जिससे अपनी बेटियों को शिक्षा उपलब्ध करा सकें और प्रसव के दौरान उचित अस्पताल की सुविधा भी पा सकें। ये लोग उन हज़ार लोगों में शामिल हैं जो सामाजिक लेखापरीक्षण के दौरान कानूनन अपनी पहचान बनाएंगे।

देश में ग़रीबों ने अपनी पहचान बनाने के लिये लंबी लड़ाई लड़ी और काफी मुश्किलों के बाद वे 100 दिनों के रोज़गार के हक़दार बने। अगर अब इस नियम में कोई अवरोधक बनेगा या इसे बंद करने की कोशिश करेगा तो वह एक प्रकार का अपराध होगा। न्यूनतम मज़दूरी जो 73 रुपये या 80 रुपये है, कमाने के लिये कड़कती गर्मी में मज़दूरों को काम करना होता है। इनकी कमाई के बीच में ठेकेदारों, बिचौलियों, मशीनरी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, जो इस योजना को असफल बनाने में जुटे रहते हैं और ग्रामीण ग़रीबी को कायम रखना चाहते हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस योजना को लागू और संचालित करने के उद्देश्य से काम करें। यदि किसी कारण से यह योजना विफल होती है तो इसका एक कारण प्रशासन की अनिच्छा को ही माना जाएगा। ❑

(लेखिका ग्रामीण विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से संबद्ध हैं ।

ई-मेल: sowmyakrishkidambi@gmail.com)

पारदर्शिता के लिये ज़रूरी सामाजिक अंकेक्षण

● गोपीनाथ घोष

अनंतपुर आंध्र प्रदेश का एक जिला है। 7 सितंबर, 2008 को मैं अपने कुछ साथियों के साथ अनंतपुर जिला के कारीदी गांव में था। हम सभी साथी जिनमें व्योमकेश, सी.आर. मंडल, भानूप्रिया, कृष्ण गोपाल, स्वाति एवं भांति शामिल थे, वहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कानून के तहत संपादित एवं कार्यरत योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। दोपहर के लगभग 12 बजे हमारी गाड़ी एमपी स्ट्रीट, कादीरी गांव के रामचंद्र बिल्डिंग के सामने रुकी। यहां रूरल एनवार्यनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (आरईडीएस) का मुख्य कार्यालय है जो 1992 से समुदाय के अधिकार के लिये कार्यरत है। वर्तमान में श्रीमती भानू इसकी निदेशक हैं। आरईडीएस 13 संस्थाओं के एक नेटवर्क में शामिल है जिसे एपीपीएस नाम दिया गया है। 1992 में सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधित एपीपीएस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है- खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका सुनिश्चित करना, समुदाय को अधिकार के प्रति जागरुक करना इत्यादि। यह नेटवर्क अनंतपुर जिला के 63 मंडल में से 39 मंडलों में सक्रिय है। जिले में कुल 1,005 गांव हैं जिसकी आबादी 36 लाख है, इनमें ग्रामीणों की जनसंख्या 27 लाख है। इस ग्रामीण जनता को संगठित करने के लिये विभिन्न समुदाय आधारित संगठन ग्राम से लेकर जिलास्तर तक गठित किए गए हैं तथा इन सामुदायिक संगठनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी एपीपीएस नेटवर्क के तहत अनंतपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कानून के क्रियान्वयन के संबंध में एक वृहद सामाजिक अंकेक्षण या लेखापरीक्षण किया गया।

देश में इस तरह का सबसे पहला सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में अप्रैल 2006 में हुआ था। अनंतपुर के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं आम ग्रामीणों ने उस सामाजिक अंकेक्षण को देखा था। लिहाज़ा यहां होने वाले सामाजिक अंकेक्षण में वह अनुभव बखूबी काम आ रहा था। अनंतपुर में सामाजिक अंकेक्षण 2-7 सितंबर, 2006 तक हुआ और इस दौरान विभिन्न समूहों ने गांव-गांव पदयात्रा कर कुल 39 मंडलों के 600 गांवों में अंकेक्षण के सामाजिक दायित्व को पूरा किया। इस प्रक्रिया में आंध्र प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एवं मंत्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभाग के आदेश से सभी मंडलों ने अंकेक्षण के लिये प्रतिनिधियों को तमाम ज़रूरी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराया। हमारा समूह सामाजिक अंकेक्षण के अंतिम दिन थानाकुला ग्राम पंचायत के पेडकाडा पल्लभरी पल्ली गांव में संचालित किए जा रहे सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल था।

अंकेक्षण का विवरण

हमलोगों के पहुंचने के पूर्व ही गांव में सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे गांव के विशिष्ट जन एवं कार्डधारी तथा पड़ोसी गांव गोलावरी पल्ली के दलित वाड़ा टोले के कार्डधारी अपने अनुभव एवं वास्तविक स्थिति का आदान-प्रदान कर रहे थे। इस गांव में सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन में जनजागृति संस्था की अग्रणी भूमिका थी। बलरामजी जो जन जागृति संस्था के अध्यक्ष हैं तथा संस्था की ही समन्वयक लक्ष्मी देवम स्वयं वहां मौजूद थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। यहां सीडब्ल्यूएस, हैदराबाद के दो साथी सुधा एवं वागेश भी उपस्थित थे।

सामाजिक अंकेक्षण जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये जवाबदेही तथा पारदर्शिता की प्रक्रिया को मज़बूती प्रदान करता है। यह जवाबदेही और पारदर्शिता ही तमाम अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है तथा मज़दूरों के हाथों में उनका वास्तविक अधिकार सौंपता है। सामाजिक अंकेक्षण को संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मंडल या प्रखंड स्तर के विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीणों को संयुक्त रूप से है। लेकिन जहां यह कानून लागू है उन तीन सौ तीस जिलों में अंकेक्षण की इस प्रक्रिया से लोग अनभिज्ञ हैं। राजस्थान के डूंगरपुर के बाद आंध्र प्रदेश का अनंतपुर ही ऐसा दूसरा जिला है जहां वृहद सामाजिक अंकेक्षण का काम पूरा किया गया। पर, डूंगरपुर की ही तरह यहां भी इसे संचालित करने में एक गैरसरकारी संगठन की ही अग्रणी भूमिका रही।

इस अंकेक्षण प्रक्रिया में जो तथ्य सामने आए और जिन वास्तविक स्थितियों का पता चला वे इस प्रकार हैं:

- कार्डधारियों से बातचीत द्वारा पता चला कि काम के लिये आवेदन की संख्या कम है। सभी कार्डधारियों को मार्च, अप्रैल एवं मई, 2008 तक कार्ड उपलब्ध हो चुका

था।

- इस गांव (पेडकाडा पल्लभरी पल्ली) के 113 एकल परिवारों में से 103 परिवार को जॉब कार्ड मिल चुका है। जिन 10 परिवारों को कार्ड नहीं मिला उसका कारण यह है कि वे परिवार काम के लिये दूसरे प्रांत पलायन कर गए थे। इस अंकेक्षण के दौरान उन परिवारों को भी इसके बारे में जानकारी मिली एवं उन 10 परिवारों ने जॉब कार्ड के लिये आवेदन जमा किया।
- 103 जॉब कार्डधारी परिवार में से मात्र 30 परिवार के कुल 50 सदस्य को प्रति कार्ड औसत 22 दिन का रोज़गार प्राप्त हुआ एवं इन सभी परिवारों को अपने क्षेत्र के डाकघर बचत खाता के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान प्राप्त हुआ।
- सभी मज़दूरों के लिये अलग-अलग पासबुक खोला गया। भले ही वे एक ही कार्ड के सदस्य क्यों न हों।
- इस ग्राम में जो भी काम हो रहा है उसका नियोजन मंडल, प्रखंड एवं जिला के कार्यालय में किया गया। योजना बनाने की प्रक्रिया में ग्रामसभा की भूमिका मज़बूत करने की ज़रूरत थी, जो देखने को मिला और ग्राम सभा को अपने अधिकार के बारे में और अधिक जानकारी की ज़रूरत है।
- इस प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया कि जहां भी काम चल रहा है, वहां ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समिति का गठन नहीं है, जिसके चलते भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है। मस्टर रोल एवं जॉब कार्ड में अलग-अलग विवरण पाया गया तथा उनकी मज़दूरी में भी अंतर पाया गया। अर्थात यहां अनियमितता हर पग में देखने को मिली। किसी भी मज़दूर को साप्ताहिक मज़दूरी का भुगतान नहीं किया गया और सभी को डाकघर के माध्यम से 21 दिन के बाद मज़दूरी का भुगतान किया गया। ऐसा सभी कार्डधारी के साथ तीन बार हो चुका है। अंतिम सप्ताह को हुए भुगतान का प्रतिवेदन तक नहीं किया गया।
- आरएसएसआर के हिसाब से काम की उचित मज़दूरी नहीं दी गई। इसमें विभाग के फील्ड असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट तथा ग्रामीणों के बीच यह जानकारी नहीं है।
- इस गांव में तीन तरह का काम चलाया जा रहा है:
  - फार्म पौंड
  - अरदन बंडिंग
  - बायो डीजल प्लांटेशन पिट
- एनआरईजीए एक कानूनी अधिकार है। इस अधिकार में काम के लिये आवेदन देने के बाद अगर काम समय पर नहीं दिया जाता है तो वे बेरोज़गारी भत्ते के दावेदार होते हैं, लेकिन इस गांव में इस तरह की जानकारी का अभाव पाया गया।
- इस सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में सूर्यनारायण रेड्डी, पी नागेंद्र, 2 फील्ड असिस्टेंट एवं जी. रामन जनानी आसु जो तकनीकी सहायक हैं, सक्रिय रूप से कार्यरत थे।
- इस गांव की कुल आबादी 386 है जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जातियां शामिल हैं।
- जो भी काम सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। वह पहले के सीएलडीपी एवं एनएफएफपी कार्यक्रम के तहत पूर्व निर्मित योजनाओं के अनुसार हो रहा है जिसे ग्राम सभाओं ने अनुमोदित नहीं किया था।
- जितने भी सिविल सोसाइटी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे इस कानून के बुनियादी एवं ज़रूरी पहलुओं को ग्रामीणों तक सही मायने में कम पहुंचा पाए हैं। आंशिक जानकारी के कारण तमाम त्रुटियों एवं भ्रष्टाचार का सिलसिला क्रमबद्ध रूप में बढ़ता चला गया है जिसका प्रमाण इस सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाया गया।
- जितनी भी मिट्टी कटाई का काम हो रहा है, चौका नापी एवं विभिन्न स्तर के मिट्टी कटाई के लिये जो न्यूनतम दर उसकी नापी के अनुसार तय किया हुआ है, उसके आधार पर कहीं भी मज़दूरों को भुगतान नहीं हो रहा है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के तहत 50 जॉब कार्डधारी मज़दूर के बीच एक मुंशी के होने का प्रावधान है, जिसके ऊपर मस्टर रॉल की जिम्मेदारी होती है, परंतु ग्रामीणों से पता करने पर जानकारी मिली कि मुंशी की नियुक्ति नहीं हुई है।
- छोटे-छोटे बच्चों की माताएं यदि मज़दूरी में भागीदारी लेती हैं तो उनके बच्चों की देखरेख हेतु 5 बच्चों पर एक व्यक्ति को रखने का कानूनी प्रावधान है। इस विषय पर पूछे जाने पर पता चला कि ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है।
- प्रत्येक कार्यस्थल पर एक समिति का होना कानूनी प्रावधान है, परंतु ऐसा कहीं भी होने की जानकारी नहीं मिली।
- 20 जॉब कार्डधारी के बीच मज़दूरी करने के समय पेयजल प्रबंध करने हेतु एक अलग मज़दूर का रहना कानूनी प्रावधान है, इस संबंध में भी ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के तहत प्रत्येक कार्यस्थल में मज़दूरों के बीमार अथवा चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु एक सरकारी स्वास्थ्यकर्मी द्वारा 8 घंटे तक दवा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। परंतु किसी भी कार्यस्थल में ऐसा प्रबंध होने की जानकारी नहीं मिली।
- पूछने पर पता चला कि कार्यस्थल में जॉब कार्डधारी मज़दूर कार्यकाल में आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं तो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के अतिरिक्त अस्पताल में इलाज, दुर्घटना मुआवज़ा तथा जितने दिन अस्पताल में रहेगा उतने दिनों का 50 प्रतिशत मज़दूरी प्राप्त करने का हक़ है। विकलांग अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में 25,000 रुपये मिलने का अधिकार भी इस कानून में है। इस विषय पर जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत दिखी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून के अनुसार, यहां विकलांगों को उनके क्षमता के आधार पर विशेष रोज़गार देने की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। जबकि वृद्ध एवं विकलांगों के लिये भी एनआरईजीए में प्रावधान है।
- समुदाय के उपेक्षित महिलाओं को जॉब कार्ड नहीं मिलने की बात भी सामने आई। जबकि विधवा/तलाकशुदा/उपेक्षित महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता देने का संकल्प किया गया है। जॉब कार्ड अधिकतर पुरुषों के नाम पर बनाए गए थे। इससे स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि वर्णित ग्रामों में एनआरईजीए संबंधी जानकारी एवं जागरुकता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

दूसरा दिन: 8 सितंबर, 2006

सुबह के लगभग 8 बजे थे, जब हमलोग

सोमेद पल्ली मंडल के लिये निकले। आज हमारे समूह में तीन नये सदस्य आ जुड़े थे- दिल्ली से सुब्रत डे, हैदराबाद से कोलप्पा एवं छत्तीसगढ़ से पारोमिता। सोमेद पल्ली मंडल मुख्यालय अनंतपुर से 70 किमी दूरी पर स्थित है।

यहां जन सुनवाई का कार्यक्रम मंडल कार्यालय एवं किड्स ने मिलकर किया था। किड्स एपीपीएस नेटवर्क का सदस्य है जो इस मंडल में सामाजिक विकास के लिये कार्यरत है। इस जन सुनवाई के पूर्व में की गई तैयारियां इस प्रकार हैं: सामाजिक अंकेक्षण हेतु 10 ग्राम पंचायत के 20 गांवों का चयन। चुने हुए गांवों के सामाजिक अंकेक्षण के लिये दो समूह का गठन। एक समूह का नेतृत्व श्री मल्लिकार्जुन और दूसरे का श्री नरसिंहा मूर्ति कर रहे थे। ये दोनों एपीपीएस के संगठक हैं। इस समूह में 14 सदस्य थे।

पहले समूह ने सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया जिन गांवों में चलाई उन गांवों के नाम हैं: मंडाली, मधुपाकुण्ठा, रूकाला पल्ली, जुलूकुंठा, एडेलावाल कुरम, ब्रह्मणा पल्ली, भाड़ांच पल्ली, पंडिपाथी। जबकि दूसरे समूह ने भगाचोरो, रंगापल्ली, मारकंडो पल्ली, वालाडाला काला, तुंगारो, कोलिनी पल्ली, कुकात मानी पल्ली, चिनवावे पल्ली, गुडी पल्ली, वालाकामालम पल्ली, चाट कुरो, कोनाताया पल्ली गांवों में सामाजिक अंकेक्षण को संचालित किया।

इस जन सुनवाई में सभी 10 गांव के कार्डधारी एवं अन्य ग्रामीण मंडल कार्यालय पहुंचे। कुल 550 लोगों ने इस जन सुनवाई में भागीदारी की। इनमें महिलाओं की संख्या मात्र 35 थी। इस जन सुनवाई में हैदराबाद से एपीआरईजीएस की निदेशक श्रीमती भांता कुमारी (आईएएस) एवं एपीआरडी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाग लिया। रजनीकांत प्रोजेक्ट एग्जिक्यूटीव (फाइनेंस) एसपीआईयूआरडी (सोशल ऑडिट) जो ग्रामीण विकास की इकाई हैं तथा मंडल स्तरीय पदाधिकारी भी इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त एमकेएसएस राजस्थान के सोमाया किडंवी एवं प्रियंका तथा झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि सहित चार प्रमुख समाचारपत्र-पत्रिकाओं के पत्रकारों ने भी प्रक्रिया में सहभागी भूमिका निभाई।

दिन के 12 बजे से शुरू हुई यह जन सुनवाई शाम के चार बजे तक चली। मंडल के सभी ग्राम पंचायतों के लोगों ने एक-एक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा योजना संबंधी समस्याओं को खुलकर रखा। जन सुनवाई में 5 पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं संग्रहित दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया और उसकी जन समीक्षा की गई। इस जन सुनवाई के दौरान निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- एक कार्ड में 71,000 रुपये की निकासी अवैध तरीके से की गई।
- एक दूसरे कार्ड में 59,000 रुपये की निकासी अवैध तरीके से की गई।
- एक ही प्रकार के कामों में अलग-अलग दर से मज़दूरी का भुगतान किया गया।
- पोस्टमास्टर पासबुक अपने पास ही रखते हैं। अवैध निकासी का भी प्रमाण मिला।
- लोगों के बीच मीटर और फीट के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण नापी में व्यापक गड़बड़ी मिली, जिसके परिणामस्वरूप मज़दूरों को उचित मज़दूरी से वंचित होना पड़ा।
- अधिकतर फार्म पौड का निर्माण बड़े किसानों की ज़मीन पर किया जा रहा है, जिसमें ग्रामसभा का अनुमोदन तथा निगरानी में ग्रामसभा की कोई भूमिका नहीं है।
- पोंगामिया वृक्ष के पौधारोपन का कार्य व्यापक रूप से सभी प्रकार की ज़मीन में किया जा रहा है। इसमें समुदाय का कम तथा किसी निजी कंपनी का मुनाफा ज्यादा दिख रहा है।

जनसुनवाई के दौरान उपस्थित जिला एवं राज्यस्तरीय पदाधिकारियों ने जनता की शिकायत एवं तथ्यों के आधार पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर मौके पर ही कार्रवाई की। कई रोज़गार सेवकों एवं अभियंताओं को निलंबित किया गया एवं कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिन योजनाओं में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं उन पर जांच दल गठित कर तत्काल जांच का आदेश दिया गया।

सामाजिक अंकेक्षण की इस प्रक्रिया ने हमारे समूह सहित उन तमाम लोगों के मन में, जो इस योजना से भारत की आम ग़रीब जनता के जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, एक नयी उम्मीद जगाई। इस उम्मीद को हम सभी साथियों ने अपने दो दिनों के अनुभव में अनंतपुर के आम ग्रामीणों के चेहरों पर स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया। आज़ादी के बाद संभवत: यह पहला अवसर था, जब अनंतपुर के ग्रामीणों और उनकी ग्राम सभा ने अपनी लोकतांत्रिक ताक़त को व्यवहार में लिया। आम आदमी कैसे विकासीय योजनाओं को कारगर बना सकता है तथा इसमें होनेवाली लूट, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश रख सकता है, सामाजिक अंकेक्षण इस सामाजिक पारदर्शिता और सामूहिक जिम्मेदारी के नागरिक बोध को सुनिश्चित करता है। जरूरत है इस कानून और प्रावधान को जन-जागरुकता से भारत के सभी गांवों में लागू करने की। ❑

(लेखक राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम पर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिये कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिये लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिये कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

SIHANTA IAS

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास

रजनीश राज

निःशुल्क कार्यशाला

17 अगस्त प्रातः 11 बजे

क्रैश कोर्स

प्रारम्भ

प्रारम्भिक परीक्षा के ठीक 5 दिन बाद

दोपहर 2 बजे से

निबंध की कक्षाएं प्रारंभ

18 अगस्त 2 बजे से

G S
रजनीश राज
उपेन्द्र अनमोल (A Person with innovative fettle) एवं टीम

दर्शन-शास्त्र
प्रभात राय

कक्षाएं प्रारंभ

टेस्ट सिरीज प्रारम्भ

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध

चयनित अभ्यर्थी (UPSC - 2007)

Ranjit Kr. Singh
Rank - 49

Girivar Dayal Singh
Rank - 51

Tafseer Iqbal
Rank - 181

Rupesh Kumar
Rank - 197

Neha
Rank - 237

Ranjan Kr. Singh
Rank - 257

Yagyesh
Rank - 278

Digvijai Chaudhary
Rank - 302

Ajeya Kr. Ojha
Rank - 310

Ajay Kumar
Rank - 339

Waseem Ur Rehman
Rank - 404

Pawan Kr. Khetan
Rank - 449

Suhani Mishra
Rank - 450

Bhanu Chandra Goswami
Rank - 645

Ravi Ranjan Kumar
Rank - 669

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building, Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi -9

011-42875012, 9873399588, 9891941827, 9212575646

YH-8/08/8

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर विश्व की नज़र

● हरेंद्र प्रताप

भारत की स्वाधीनता के साठ वर्ष, शहीद भगत सिंह के जन्मशती वर्ष और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमने यह शृंखला गत वर्ष मई में शुरू की थी। इसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न प्राय: अज्ञात अथवा अल्पज्ञात पहलुओं से अपने पाठकों को अवगत कराने की कोशिश की है। इस क्रम में अगस्त 2007 अंक समग्रत: इसी विषय पर केंद्रित विशेषांक था। प्रस्तुत आखिरी कड़ी के साथ यह शृंखला यहीं समाप्त हो रही है *– वरिष्ठ संपादक*

सन् 1857 में आरंभ हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों पर तत्कालीन विश्व के बुद्धिजीवियों की निगाहें टिकी हुई थीं। दुनियाभर के पत्रकार, लेखक, चिंतक, क्रांतिकारी भारत में जारी संघर्ष को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। चीन, रूस, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, अमरीका जैसे सजग देशों के समाज में भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस छिड़ी हुई थी। तब के समाचारपत्र और पर्चे इस तथ्य का समर्थन करते हैं। इन प्रकाशनों में जिन देशों, तथ्यों या बुद्धिजीवियों की चर्चा उपेक्षित रही है या जिन पक्षों पर टिप्पणी कम की गई है, उन पर यहां रोशनी डालने का प्रयास किया गया है।

सन् 1857 का विवाद आज डेढ़ सौ वर्षों के बाद भी यथावत है। विवाद यह है कि वह 'विद्रोह' था या 'स्वतंत्रता संग्राम'? तब पूरा विश्व इस प्रश्न में उलझा हुआ था। यह उलझन आज भी जारी है। प्रश्न यह भी उठा कि कौन-सा पक्ष सही है और कौन ग़लत या कौन कितना दोषी है? इन प्रश्नों में तब का ब्रिटिश समाज भी बंटा हुआ था, जो आज भी भिन्न-भिन्न मत रखता है। यहां तक कि डेढ़ सौ वर्ष मनाने के अवसर पर भी भारतीय बुद्धिजीवी कुछ हद तक और ब्रिटिश बुद्धिजीवी बहुत हद तक बंटे दिखाई दिए। लेकिन तब भी ब्रिटेन में अनेक ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासकों की भारत या भारतीय विरोधी नीति और संघर्ष को कुचलने की शैली का पुरजोर विरोध कर रहे थे। ब्रिटेन के बुद्धिजीवियों के साथ-साथ बल्गारिया जैसे देशों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सन् 1857 से जुड़ी राकोव्स्की की टिप्पणी ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।

ग्योर्गी स्तोइकोव राकोव्स्की बल्गारिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी, कवि, पत्रकार, इतिहासकार, कूटनीतिज्ञ, लोक-साहित्य विशेषज्ञ, भाषाविद और राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात रहे हैं। राकोव्स्की संभवत: स्लाव देशों में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन् 1857 में अपने समाचारपत्र *बल्गार्स्का दनेव्नित्सा* (बल्गारियाई डायरी) में पहली बार भारत और भारतीय सेनानियों का नाम प्रकाशित किया। उन्होंने अपने समाचारपत्र में स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत अनेक देशों को स्थान दिया।

बल्गारिया तब तुर्की के अधीन था। हिंदुस्तान की तरह वह भी अपनी राष्ट्रीय एकता की पुनर्स्थापना के लिये संघर्षरत था। यही कारण है कि वहां के शिक्षित लोगों की सहानुभूति भारतीय जनता के साथ थी। राकोव्स्की ने गंभीर संवेदनशीलता से भारत की प्रतिदिन की घटनाओं का विश्लेषण अपने लेखों में किया। उन्होंने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे। लेकिन इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है 'बल्गार्स्का दनेव्नित्सा'। इसमें 'एशियन' नामक स्तंभ में कई हफ़्ते तक राकोव्स्की ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा। इन लेखों में वे भारतीय पक्ष का समर्थन करते थे। एक लेख में वे बहुत उम्मीद से लिखते हैं – "अब हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस युद्ध में भाग लेने लगे हैं" और "अंग्रेज़ों को आगरा में हार खानी पड़ी है। उनके पांच सौ लोग मारे गए हैं। स्यालकोट और पंजाब में भी फौज़ियों ने बग़ावत कर दी है। वहां एक पादरी को मार दिया गया है। लेकिन वे हार गए

हैं। हैदराबाद में भी हलचल मची है। जब तक कानपुर पर कब्जा नहीं हो गया, वहां पर तीन सौ महिलाएं और बच्चे मौत के शिकार बने। वहां लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है राजा नैन सलीम, जो अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन है। कलकत्ता में खाने को कुछ नहीं है। बंबई का व्यापार ठप हो चुका है। मद्रास में भी वही हालात हैं। स्थानीय मुसलमान शासकों ने सिपाहियों को भड़काया है। अहमदाबाद में विद्रोह दबा दिया गया है। यदि ये प्रदेश खड़े हो गए तो अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा।"

ग़ौरतलब है कि राकोव्स्की और अंग्रेज़ों का धर्म एक था। राकोव्स्की स्वयं मुस्लिम शासक के खिलाफ़ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। राकोव्स्की की तरह हज़ारों बल्गारियाई नागरिक अपनी स्वतंत्रता के लिये तुर्की के ख़िलाफ़ संघर्षरत थे। वहीं भारत में हिंदू और मुसलमान तथा अन्य धर्मों के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्धरत थे। अत: कर्म और उद्देश्य एक होने की वजह से राकोव्स्की तथा अन्य बुद्धिजीवी भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के क़रीब थे। धर्म विचार के आड़े नहीं आया। धर्म से ऊपर राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और मनुष्यता को स्थान दिया गया। राकोव्स्की स्वतंत्रता और मनुष्यता के प्रबल पक्षधर थे। इसीलिये वे सन् 1857 के भारतीय संग्राम में इंग्लैंड के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। राकोव्स्की और उन जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा भारत के सन् 1857 के बहाने लगातार की गई वैश्विक पुकार अंतत: रंग लाई। सन् 1857 के 19 वर्षों के बाद बल्गारिया में भी एक व्यापक विद्रोह छिड़ा। तुर्की साम्राज्य ने 1876 ई. में हुए इस विद्रोह को बेशक कुचल दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद सन् 1877 में रूस ने तुर्की पर हमला कर दिया और बल्कान को आज़ाद करा लिया। इसी तरह इससे कुछ पहले यूनान, सर्बिया, रोमानिया जैसे देशों ने तुर्की से युद्ध कर अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया। अत: प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से भारत की 1857 की जनक्रांति ने यूरोप में वैचारिक जागृति का अलख जगाने में 'उत्प्रेरक' का काम किया। ब्रिटेन पर उसका सीधा असर पड़ा। उसने भारत को लेकर भविष्य की अपनी नीति और शासन की बनावट में आमूल परिवर्तन किया तथा भारत को सांस्कृतिक एवं वैचारिक रूप से लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने का गहरा षड्यंत्र रचा। अंग्रेज़ों ने सन् 1857 को एक सबक के रूप में आत्मसात किया।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकोव्स्की ने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत की घटनाओं के बारे में पढ़कर अंग्रेज़ों की कुटिल चाल को भांप लिया था। आज से 150 वर्ष पूर्व राकोव्स्की ने अपने कॉलम में लिखा "भारत को अवश्य ही स्वतंत्र होना चाहिए। भारत पर इंग्लैंड का नहीं, भारतीयों का राज होना चाहिए। आज नहीं तो कल यह होकर रहेगा।"

'बल्गारियाई डायरी' के दिनांक 3 जुलाई, 1857 के अंक में पहली बार भारत के मुक्ति-संग्राम का जिक्र हुआ था। फिर, दिनांक 10 जुलाई, 1857 को इस बारे में एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ। इसमें स्पष्ट किया गया था कि अंग्रेज़ भारत पर अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। 'डायरी' के इन दूसरे और तीसरे अंकों के बाद दिनांक 17 जुलाई, 1857 के चौथे अंक में प्रकाशित हुआ कि "अंग्रेज़ यथासंभव भारतीयों के विरुद्ध युद्ध में जुटे हैं। वे फारस और चीन से अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाकर अपनी सारी ताक़त भारत पर केंद्रित कर रहे हैं।" इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत की घटनाओं की सूचना टेलीग्राफ और पत्रों के माध्यम से लंदन पहुंच रही है।

लेख में अंग्रेज़ों के सामने पैदा हुई नयी चुनौतियों की विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है - "अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपने और स्थानीय भारतीय सिपाहियों की मदद के बिना भारत में एक घंटे तक भी शासन नहीं कर सकते हैं। भारतीय सिपाहियों के बिना सभी नागरिक सेवाएं ठप्प हो जाएंगी। राजस्व वसूली तथा कानून व व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। उनकी अपनी सैन्य शक्ति भारत पर काबू पाने में सक्षम नहीं है...।"

राकोव्स्की ने अपने लेख में कुछेक वैसे पत्रकारों पर भी टिप्पणी की है जो अन्याय होता देखकर भी या तो चुप थे अथवा सत्यनिष्ठा से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे थे या ग़लत उदाहरण देकर अपनी बातों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे थे। अपने लेख में राकोव्स्की ने अंग्रेज़ों की सिरदर्दी की पूरी तस्वीर खींची है, जो यथार्थ से रू-ब-रू कराती है।

राकोव्स्की ने स्पष्ट किया है - "इस सच्चाई के बावजूद कि भारतीय कमज़ोर हैं, अंग्रेज़ों को अपने हितों की रक्षा करना महंगा पड़ेगा। अपने हित साधने के लिये अंग्रेज़ों को अपने सिपाहियों की संख्या दोगुनी करनी पड़ेगी। यदि वे ऐसा करने में सक्षम हो भी जाते हैं, तब भी उनकी सफलता की आयु अल्प होगी। अंतत: भारत भारतीयों का हो जाएगा, न कि अंग्रेज़ों का, आज नहीं तो कल यही होना चाहिए।"

राकोव्स्की आगे लिखते हैं - "विश्व की कदाचित इसमें दिलचस्पी नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। यद्यपि वह यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि वर्तमान में क्या होने जा रहा है। इस समय अंग्रेज़ और भारतीय दोनों खूनी युद्ध में रत हैं, जिसमें अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ रहे हैं।" राकोव्स्की ने 'एशिया' और 'इंग्लैंड' शीर्षकों से युक्त अपने लेख में भारत के बारे में पैदा हो रही विभिन्न अफवाहों का भी जिक्र किया है। साथ ही, उन्होंने अनेक समाचारपत्रों, यथा *दि टाइम्स, दि हेराल्ड, दि मॉर्निंग पोस्ट* आदि का जिक्र किया है। 'बल्गारियाई डायरी' के पांचवें अंक यानी दिनांक 24 जुलाई, 1857 और छठे अंक यानी दिनांक 30 जुलाई, 1857 के पत्रों में भी राकोव्स्की ने भारत से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं का विश्लेषण किया है। इसमें द *मॉर्निंग पोस्ट* के हवाले से बताया गया है कि अवध के शासकों और अन्य भारतीयों को 'विद्रोह' के लिये रूस ने प्रेरित किया। इसमें श्रीलंका तक 'विद्रोह' के फैलने का संकेत दिया गया है।

दरअसल, जी.एस. राकोव्स्की ने भारत-इंग्लैंड युद्ध के 1857 के अध्याय की श्रृंखलाबद्ध चर्चा करते हुए शेष विश्व को साम्राज्यवादी सोच के ख़तरों के प्रति आगाह किया था। यही नहीं, बल्कि 1857 की घटनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष साम्राज्यवादियों को इससे सबक सीखने और ब्रिटेन की तरह हठ नहीं करने की सलाह अप्रत्यक्ष रूप से दी। इसके साथ ही साथ, उन्होंने सन् 1857 के बहाने अपने देश के बुद्धिजीवियों को प्रभावशाली संदेश दे डाला था। इस दृष्टि से सन् 1857 का राकोव्स्की का वह लेखन अति महत्वपूर्ण है। राकोव्स्की ने अपने वैचारिक लेखों में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा है और उनके विश्लेषण का अधिकांश प्राप्त तथ्यों पर ही आधारित है। लेखों में जहां उन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों के पक्षों को उचित महत्व दिया है, वहीं विभिन्न समाचारपत्रों के माध्यम से 1857 के बारे में वैश्विक चिंता को जग-जाहिर किया है।

इससे यह पता चलता है कि विश्व तब भारत के सन् 1857 के कालखंड के प्रति कितना गंभीर था। हालांकि यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि 'टेलीग्राफ' या 'तार' के आविष्कार तथा 'डाक' की संचार प्रणाली ने लगभग संपूर्ण विश्व को 'सन् 1857' से परिचित कराया था। आगे चल कर संचार और जनसंचार दोनों प्रणालियों ने मिलकर क्रांति की ज्वाला को जलाए रखा।

यह सिर्फ़ बाह्य रूप से या पाठ्य-पुस्तक रूप में प्रतीत होता है कि भारत में 'आज़ादी का ग़दर' सन् 1859 ई. के अंत होते-होते ठंडा पड़ गया। हक़ीक़त तो यह है कि अनेक शूरवीर भारतीयों के शहीद हो जाने और गुप्त स्थानों पर चले जाने के बाद भी आज़ादी की चाहत पनपती रही। जहां अंग्रेज़ों ने बौद्धिक स्तर पर नये सिरे से इस भारतीय 'इच्छा-शक्ति' को कुचलने का प्रयास किया, वहीं बाद के भारतीय नेताओं ने बौद्धिक स्तर से भी संघर्ष को तेज़ किया। अंग्रेज़ सन् 1859 के बाद भी भारत में मर्दन सिंह जैसे सेनानियों को 'ख़तरनाक' मानते रहे, और उन पर गहरी नज़र रखते रहे। वहीं, चीन में आंदोलनकारियों का संघर्ष भारत के 1857-1858-1859 के बाद एक बार पुन: तेज़ हो गया। अंग्रेज़ों ने जिन भारतीय सैनिकों को अपना साथ देने के लिये वहां भेजा था, वे चीनी-स्वतंत्रता के समर्थकों को साथ देने लगे। ऐसे दस्तावेज़ मिलते हैं, जिनमें इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, जब भारतीय सैनिकों ने एक एशियाई को दूसरे एशियाई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की योजना को विफल कर दिया।

सन् 1857 और उसके आस-पास के दस्तावेज़ों को नष्ट करने के पीछे दरअसल एशिया के तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्य को पूरी तरह से मिटाना था ताकि संपूर्ण एशिया अपनी पुरातन एकता की सत्यता को जान न सके और विभिन्न एशियाई देश एक-दूसरे को शक की दृष्टि से देखते रहें। लेकिन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सन् 1857 के भारतीय संग्राम में चीनियों के समर्थन और चीन के आंदोलन में भारत के योगदान को पूरी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ चीन में ही नहीं बल्कि अनेक समकालीन पड़ोसी देशों में भारत और भारतीय क्रांतिकारियों की छवि धूमिल करने की कोशिश की। बर्मा (म्यामां), स्याम (थाईलैंड), लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल आदि में भी भारत की स्थिति को लेकर भ्रम फैलाया गया। गौरतलब है कि इनमें से अधिकतर देश एक-एक कर उपनिवेशवाद की भेंट चढ़ गए।

थाईलैंड भाग्यशाली था। वह उपनिवेश नहीं बन सका। अंग्रेज़ों ने वहां के शासक चुलालंकार (रामपंचम्) को भारत में आमंत्रित किया था। सन् 1857 के बाद भारत की यात्रा करने वाले वे प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने सन् 1857 में अपने एक बड़े दल के साथ भारत की यात्रा की। तत्कालीन स्याम के इस दल ने सन् 1872 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक भारत के सात नगरों की यात्रा की। वे नगर थे - कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बंबई और बनारस। थाई नरेश की इस यात्रा का यहां महत्व और उल्लेख इसलिये है कि उन्हें सन् 1857 के 'युद्ध-स्थल' भी दिखाए गए थे। उन्हें अंग्रेज़ों के कुछेक सेना नायकों से भी मिलवाया गया था, जिन्होंने भारतीय विद्रोह को कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। इनमें एक प्रमुख नाम है - मेजर स्लाडेन। सन् 1857 का यह ब्रिटिश 'नायक' थाई दल की यात्रा में उनके साथ-साथ था।

बहरहाल, यह यात्रा इसलिये भी महत्वपूर्ण थी कि इससे ब्रिटिश जनमानस पर 15 वर्षों के बाद भी छाए सन् 1857 के खौफ़ का संकेत मिलता है। थाई दल को सन् 1857 के स्थलों को दिखाते समय अंग्रेज़ों ने अपनी सफलता की गाथाएं सुनाईं और अपने 'नायकों' से मिलवाया। लेकिन उस समय भी विभिन्न जेलों में बंद सन् 1857 के अनेक भारतीय नायकों (ब्रिटेन की दृष्टि में खलनायक) से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। भारतीय संग्राम के प्रमुख नेता मौलवी लियाकत अली भी उन दिनों क़ैद थे। उन पर मुक़दमा चल रहा था। उधर, वाजिद अली शाह मटियाबुर्ज में अंग्रेज़ों से मिल रही पेंशन पर आराम कर रहे थे। इन दोनों में से किसी से भी थाई दल को मिलने नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुराई से थाई नरेश को सन् 1857 की अपनी 'बहादुरी' के दर्शन कराए, और उन्हें यह एहसास दिलाया कि अंग्रेज़ों से लड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। जाहिर है कि इस विजय-बखान में अंग्रेज़ों का भय भी छिपा था, जिसे रामपंचम् भांप पाए या नहीं, यह तो पता नहीं चलता है, हां! इस यात्रा के बाद रामपंचम् पर एक अन्य प्रभाव सीधा पड़ा। दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद के विस्तार के समय थाईलैंड 'मूक दर्शक' बन गया, जिसका ख़ामियाज़ा बर्मा जैसे अन्य एशियाई देशों को उठाना पड़ा।

इस यात्रा में एक रोचक प्रसंग यह भी उभरा कि उस समय नाना साहब गुप्त वेश में घूम रहे थे। अंग्रेजों ने थाई दल के सामने एक नाटक का भी मंचन किया, जिसमें 'अंग्रेज़ी शौर्य' को दर्शाया गया था। इस यात्रा से यह तथ्य स्पष्टत: उभरता है कि सन् 1857 का प्रभाव अंग्रेज़ों के जनमानस पर तब भी बुरी तरह छाया हुआ था और कूटनीति में माहिर अंग्रेज़ अनेक वर्षों के बाद भी सन् 1857 के बहाने एशिया में अन्य देशों को 'भय' का दर्शन करा कर उन्हें भयभीत कर रहे थे।

थाई दल की तत्कालीन भारत-यात्रा के बाद सन् 1857 का एक अलग प्रभाव सन् 1872 में साफ़-साफ़ दिखा। इससे यह भी पता चलता है कि अंग्रेज़ सन् 1857 में अपनी भूमिका से जो खौफ़ सन् 1872 में अतिथियों के मन-मस्तिष्क में पैदा कर रहे थे, वे वास्तविक रूप में सन् 1857 में कितने खौफ़नाक और क्रूर रहे होंगे तथा तब उन्होंने तमाम तरह के भारतीयों को अपनी करतूत का कैसा मंजर दिखाया होगा।

भारत में प्रेस को लगातार डराना-दबाना और भारत से बाहर शेष एशिया पर अपने प्रभाव का सिक्का जमाना, सन् 1857 के बाद अंग्रेज़ों के अभियान का प्रमुख हिस्सा था। इसी में एक और कड़ी जुड़ी - बड़ी संख्या में भारतीयों को भारत से बाहर भेजना, जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत का स्वार्थ निहित था। मॉरीशस, सूरीनाम, वेस्टइंडीज आदि में बड़ी संख्या में गिरमिटिया मज़दूर सन् 1857 के बाद भारत से भेजे गए। लेकिन क्या वे सिर्फ़ मज़दूर थे? 'द इंडियन म्यूटिनिकम रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड त्रिनिडाड (वेस्ट इंडीज)' में स्पष्टत: बताया गया है कि अवध और भोजपुर के अनेक भारतीय सिपाही अंग्रेज़ों के खौफ़ से बचने के लिये नाम बदल कर त्रिनिडाड, गुयाना, जमैका और अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए थे। हालांकि विदेश में इन जगहों पर पहले से रह रहे गिरमिटिया (अनुबंधित) मज़दूरों ने इन्हें '1857 का भगोड़ा' माना। वेस्टइंडीज के कुछेक समाचारपत्रों और गुयाना से प्रकाशित *न्यू क्रॉनिकल* में इस बारे में समाचार प्रकाशित हुए थे। एक बागान मालिक ने स्थानीय लोगों को सचेत किया था कि भारत के विद्रोह के भगोड़े गुप्त रूप से त्रिनिडाड में घुस चुके हैं। बहरहाल, सन् 1860 के समय त्रिनिडाड में

गिरमिटिया मज़दूरों ने भी उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ़ ज़ोरदार मुहिम छेड़ी। उधर, हुकूमत को भारत में जब यह पता चला कि गिरिमिटिया मज़दूरों के संग भारतीय विद्रोही भी वेस्टइंडीज में प्रवेश कर रहे हैं तो उसे अपनी ग़लती का एहसास हुआ और उसने इमिग्रेशन कानून में इस तरह से बदलाव किया कि विदेश जाने वाले मज़दूरों को देश छोड़ने से पहले अपने गांव और जिले का नाम बताना अनिवार्य हो गया। इसके बावजूद अनेक 'विद्रोही' भारत से निकलने में सफल रहे। सासाराम, मेरठ, कानपुर, झांसी आदि से अनेक ऐसे लोग सन् 1857 में विद्रोह की आग फैलते ही गुयाना भागे, जिनके खिलाफ़ गिरफ्तारी के वारंट थे। ये कौन लोग थे, यह तो अज्ञात है, लेकिन इतना तो तय है कि गिरमिटिया मज़दूरों के नये देशों में क्रांति के बीज बोने में इन 'भगोड़ों' या 'सेनानियों' का थोड़ा-बहुत हाथ ज़रूर रहा होगा। सूरीनाम, फीजी और दक्षिण अफ्रीका में यदि भारतीय मज़दूरों ने आगे चल कर 'दासता' का विरोध किया था तो उसमें इस तथ्य ने अवश्य कोई न कोई भूमिका निभाई होगी कि उन मज़दूरों में से अनेक ने भारत में 1857 का विद्रोह अपनी आंखों से देखा था और उसके पक्ष-विपक्ष दोनों रूपों से वाकिफ़ थे। त्रिनिडाड में सन् 1884 में हुए नरसंहार को आज भी याद किया जाता है और इसकी तुलना बाद में भारत में हुए जलियांवाला बाग के नरसंहार से की जाती है। त्रिनिडाड में तब हुए नरसंहार में 22 भारतीय श्रमिक शहीद हुए थे।

बहरहाल, मॉरीशस में सन् 1834 से, गुयाना में सन् 1838 से, त्रिनिडाड और जमैका में सन् 1845 से और सूरीनाम तथा दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य जगहों में सन् 1873 से गिरमिटिया भारतीय मज़दूरों के प्रवेश का साक्ष्य मिलता है। लेकिन इन सब जगहों पर सन् 1857 में और उसके आस-पास के काल में भारतीय मज़दूरों की गतिविधियां तेज़ होने के संकेत मिलते हैं। सन् 1857 के युग में जिन भारतीयों ने मज़दूरों के वेष में इन देशों में प्रवेश किया वे राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और समझदार थे। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि आगे चलकर मॉरीशस में भी अनेक प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ़ सतत संघर्ष चला। मज़दूर शिक्षित होते चले गए। यह भी गौरतलब है कि जब सन् 1857 में मॉरीशस में 3,000 मज़दूरों की आवश्यकता महसूस की गई तो तत्कालीन सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भारत में पूर्ण उत्प्रवास निषेध हो गया है। ऐसा सिर्फ़ इसलिये किया गया ताकि मज़दूरों का वेष धारण कर भारतीय विद्रोही भारत से पलायन न कर सकें। तत्कालीन सरकार को यह भय था कि भारत की तरह अन्य उपनिवेश में भी कहीं सन् 1857 जैसी जागृति न आ जाए। वैसे, सरकार की मंशा निर्मूल साबित नहीं हुई। मारीशस जैसे कई क्षेत्रों में मज़दूरों ने अन्याय के सामने समर्पण की जगह संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जिसका लाभ उन्हें भारत की ही तरह आने वाले समय में मिला। इस तरह भारत के सन् 1857 के युग ने अप्रत्यक्ष रूप से गिरमिटियों के नये देश में भी प्रभाव डाला।

सन् 1857 भारतीय सिपाहियों द्वारा आरंभ किए गए अलग किस्म के प्रतिरोधी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इस संबंध में कार्ल मार्क्स, अनिस्ट जोंस, एंगेल्स, जस्टिन मैकार्थी और डिजरेली जैसे बुद्धिजीवियों के विचार इसकी व्यापकता को साबित करते हैं। कार्ल मार्क्स ने न्यूयार्क के *डेली ट्रिब्यून* में भारत के सन् 1857 को विश्व राजनीतिक घटनाचक्र के अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित किया।

डेली ट्रिब्यून में 15 जुलाई, 1857, 14 अगस्त, 1857 और 15 सितंबर, 1857 के अंक में प्रकाशित कार्ल मार्क्स के लेखों से पता चलता है कि इस समय विश्व का बुद्धिजीवी समुदाय भारत के सन् 1857 के बारे में क्या सोचता था।

मार्क्स ने लिखा, "इसके पहले भी भारतीय सेना में बगावतें हुई हैं, लेकिन वर्तमान विद्रोह लाक्षणिक और संघातिक विशेषताओं के कारण उनसे भिन्न है। यह पहली घटना है कि देसी फौजों ने अपने यूरोपीय अफसरों को जान से मार डाला तथा हिंदू और मुसलमान आपसी घृणा को त्याग कर अपने एक ही मालिक के ख़िलाफ़ एक हो गए हैं।" मार्क्स ने दरअसल हिंदू और मुस्लिम एकता को पूरे महत्व से रेखांकित किया। मार्क्स की पत्रकारीय दृष्टि ने इस समय की एक बड़ी घटना से उत्पन्न अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम के सूत्र को पकड़ने-बटोरने का प्रयास किया था। इससे ब्रिटिश भी शायद सचेत हुए थे। इसलिये उन्होंने आगे चलकर भारत में अपना सर्वाधिक समय हिंदू-मुस्लिम-सिक्ख एकता को तोड़ने में लगाया।

अर्नेस्ट जोंस ने सन् 1848-49 में रिवोल्ट ऑफ हिंदुस्तान' शीर्षक कविता लिखी थी। इस कविता में जोंस ने जहां एक ओर अंग्रेज़ी शासन के पाखंड को उजागर किया, वहीं दूसरी ओर भारत के आज़ाद होने का सपना देखा। ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज़ और सारे ईसाई ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश भारत के तत्कालीन अंग्रेज़ शासक की हर बात को सही ठहरा रहे थे। न सिर्फ़ अमरीका और पूरा यूरोप बल्कि स्वयं ब्रिटेन में अनेक ऐसे बुद्धिजीवी थे जो भारत को आज़ाद कर देने के पक्ष में थे और ब्रिटिश हुकूमत के मनमानेपन के विरोधी थे। अर्नेस्ट जोंस, रिचर्ड कांग्रेव आदि इसी पंक्ति में रखे जाने वाले महान बुद्धिजीवी थे। जोंस ने 5 सितंबर, 1857 को *पीपुल्स पेपर* में भारतीय संघर्ष पर लिखा। इसमें उन्होंने सलाह दी, "हिंदुस्तान के विद्रोह के बारे में सारे यूरोप में सिर्फ़ एक ही राय होनी चाहिए। यह सबसे अधिक न्यायपूर्ण और आवश्यक विद्रोह है। यह आश्चर्य नहीं कि आज इतने लोग खड़े हो चुके हैं, आश्चर्य तो यह है कि उन्होंने इस गुलामी को स्वीकार कैसे किया...।" जोंस ने विभिन्न अवसरों पर अपने भाषणों में अंग्रेज़ी शासकों को भारत के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की नसीहत दी।

जोंस की ही तरह मानवतावादी थे रिचर्ड कांग्रेव। मई 1859 में जब ब्रिटिश सरकार ने सन् 1857 की स्मृति में विजय दिवस मनाने की तैयारी की, तब उन्होंने इसका पुरज़ोर विरोध किया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ी सरकार ने विजय दिवस मनाया और धन्यवाद समारोह का आयोजन किया।

दरअसल, ब्रिटेन में भी दोनों मतों के लोग तब भी मौजूद थे और आज भी हैं। ब्रिटिश सरकार ने सन् 1872 में सन् 1857 के अपने विजय प्रतीकों का दर्शन तत्कालीन थाईलैंड के राजा को कराया था। सन् 1857 से सन् 1947 के बीच अंग्रेज़ों के कथित अन्य सफलताओं की स्मृति में भी अनेक विजय प्रतीक बनवाए। इनमें से कुछेक के सामने आज भी भारत में अनेक अंग्रेज़ पर्यटक या अधिकारी ही नहीं बल्कि सरकारी-गैरसरकारी स्तरों पर अनेक भारतीय भी श्रद्धा से अपने सिर झुकाते हैं। आज जबकि पूरा भारत सन् 1857 के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने के अवसर को अपने तरीक़े से अपने स्तर से याद कर रहा है, वहीं कुछेक

अंग्रेज़ भी इस अवसर को याद करने से नहीं चूक रहे हैं। इस मामले में भी आज भी दोनों प्रकार की अंग्रेज़ी सोच का दर्शन रहा है। पिछले वर्ष 2007 में मेरठ, लखनऊ और दिल्ली में ब्रिटेन से अचानक पहुंचे एक छोटे समूह द्वारा प्रतीक स्थलों पर सांकेतिक रूप से विजय दिवस मनाने की सूचना मिली थी, जो कहीं सफल कहीं असफल रही। इधर एक दूसरा रूप सामने आया है। दिनांक 6 जून, 2008 के *दैनिक भास्कर* के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित समाचार, ग़लतियों की माफ़ी मांगता फिर रहा है अंग्रेज़, में बताया गया है-, ''1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों का जो खून बहाया था, उस पर आज तक भले ही अंग्रेज़ों ने कई प्रकार से खेद जताया हो, अब इंग्लैंड के हैमशायर शहर में रहने वाले इतिहासवेत्ता ऑलीवर ब्रियारर्स ने भारतीयों से माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि माफ़ीनामा हिंदुस्तानी स्टाइल में हो रहा है। खेतों में काम कर रहे किसानों व मज़दूरों के काफिले में चल रहे अधिकारी व कर्मचारी बताते हैं कि पूर्वजों की ग़लती की माफ़ी मांगने आए हैं अंग्रेज़ बाबू। खास बात यह है कि अंग्रेज़ी इतिहासकार ने इंडीजीनियस हॉर्स सोसायटी ऑफ इंडिया (जयपुर, राजस्थान) से पांच घोड़े किराए पर लिए हैं। वही शानो शौकत तैयार की है, जिसे कभी अंग्रेज़ी हुकूमत में अंग्रेज़ दिखाया करते थे। बस बदलाव इतना है कि 151 साल बाद घमंड नहीं है, सिर उठा नहीं, झुका हुआ है और न ही हाथ में है चाबुक। जुबान पर हर बार एक ही शब्द आता है- सॉरी इंडियंस। हाथ जोड़कर हर राहगीर को यही कहता है- "हमारे बुजुर्गों ने जो ग़लती डेढ़ सौ बरस पहले की थी, उसकी माफ़ी मांगने आया हूं।"

इसी समाचार में 'इसके बाद दिल्ली फिर मेरठ' उपशीर्षक के अंतर्गत बताया गया है- ''काफिले का नेतृत्व कर रहे इंडीजीनियस हॉर्स सोसायटी ऑफ इंडिया के महासचिव राघवेंद्र सिंह (झुंझनू, राजस्थान के निवासी) का कहना है कि शिमला से घुड़सवारी शुरू हुई थी, जो हर रोज़ 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक जून से वे काफिले के साथ चले थे और दिल्ली जाकर वे शहीद रिज में लोगों से माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद काफिला मेरठ के लिये रवाना होगा, जहां शहीदों को सलाम किया जाएगा।''

आगे इसी समाचार के तीसरे और अंतिम खंड में 'ग़लतियों पर लिखी जाएगी क़िताब उपशीर्षक में बताया गया है- "बकौल इतिहासवेत्ता ऑलीवर ब्रियारर्स 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हुई अंग्रेज़ों की ग़लतियों पर क़िताब लिखेंगे। लिखेंगे कि कौन से कारण रहे जिनसे बहुत से भारतीय शहीद हो गए। किन ग़लतियों से अंग्रेज़ सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। उनके पूर्वज जॉन निकल्सन स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर के शासक हुआ करते थे। वे अब दोनों देशों के बीच सौहार्द बनाने का प्रयास करेंगे। चूंकि स्वतंत्रता संग्राम की बात है, इसलिये उन्होंने वही लाव-लश्कर तैयार किया है, जिसके साथ अंग्रेज़ शासक डेढ़ सौ बरस पहले चला करते थे।"

करनाल, हरियाणा से प्रकाशित इस समाचार के पात्रों की वास्तविकता तो आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इस समाचार पर ही यदि विश्वास करें तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि आज अनेक अंग्रेज़ अंग्रेजों की उस भूमिका पर पछता रहे हैं। अनेक बुद्धिजीवी अंग्रेज़ उन दिनों भी अपने हमवतन की कारगुजारियों पर अफसोस प्रकट कर रहे थे। बेशक समय आज अधिक तीव्रगति से बदल चुका है। भारत को जानने वाला 1857 का तब का विश्व आज पूरी तरह बदल चुका है। सन् 1857 के डेढ़ सौ वर्ष बाद नेपाल का राजतंत्र लोकतंत्र में परिणत हो गया है और अमरीका में भी ऐतिहासिक बदलाव की बयार बह रही है। अत: सन् 1857 के 150 वर्ष बाद पूरी दुनिया की मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। ❑

(लेखक क्रांतिकारी विषयों पर लेखन करते हैं।
ई-मेल: ha-pratap@yahoo.com)

रोज़गार गारंटी कानून एवं पर्यावरण सुरक्षा

(पृष्ठ 17 का शेषांश)

एक चौकोर गड्ढा खोद रही थी। कारण पूछने पर सुपरवाइजर ने बताया कि इसी तरह से खुदाई के निर्देश मिले हैं। इसके पीछे कारण है एक वैज्ञानिक अध्ययन, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में कितने क्यूबिक मीटर खोदता है इसका अंदाज हो जाता है। उन महिलाओं को चौकोर गड्ढे का लक्ष्य दे दिया जाता है और काम और मज़दूरी का हिसाब उसी के द्वारा लगाया जाता है। मौके पर मौजूद मज़दूर महिलाओं का कहना था कि इस कवायद का मकसद सिर्फ़ यह है कि हमें सप्ताह या पंद्रह दिनों की अपनी मज़दूरी का अंदाज न लग पाए क्योंकि कार्य का आकलन व्यक्ति के रूप में किया जाएगा।

मैंने महसूस किया कि दिल्ली में निपटने के चक्कर में हम व्यावहारिकता को भूल जाते हैं। किसी के पास इस सवाल की जवाब नहीं था कि इन चौकोर गड्ढों से क्या तालाब बन पाएगा? किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि तालाब तक पानी लाने वाली नहरों की गाद निकाली भी गई है या नहीं या कि इस सौ दिनी योजना में काम पूरा हो भी पाएगा या नहीं?

इसी दौरान मैंने सुंदरवन शेर अभ्यारण्य के नज़दीक स्थित एक गांव में देखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत खोदी जा रही एक नहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है। स्थानीय मछुआरों को अब मछली पकड़ने के लिये अवैध तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था इसकी वजह से अब कृषक भी एक अतिरिक्त फसल ले पा रहे थे। योजना की इस उपादेयत से उत्साहित होकर मैंने पूछा कि क्या इसकी रूपरेखा पंचायत ने बनाई है? जवाब नकारात्मक था। स्थानीय निवासियों का कहना था कि अगर पंचायत के द्वारा काम हो रहा होता तो हमें भुगतान मिलने में कठिनाई होती क्योंकि पंचायतों के लिये भुगतान को जिला अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है जिसके लिये अधिकारी कार्य पूर्ण होने का विस्तृत सबूत चाहते हैं। यह कार्यवाही इतनी जटिल है कि या तो भुगतान प्राप्त ही नहीं होता या होता भी है तो बहुत कम। इस कार्य को वन विभाग के माध्यम से संपन्न करवाया जा रहा है जिसके पास योजना बनाने और उसे संपन्न कराने के अधिकार हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना की मूल भावना में कोई कमी नहीं है लेकिन कार्य संपादन के स्तर पर इसमें कमी है। इसे अति शीघ्र ठीक किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण पुनर्चक्रीकरण के देवता भी यही चाहते हैं कि विस्तृत कार्ययोजना बने। ❑

(लेखिका सुपरिचित पर्यावरणविद हैं)

ध्येय IAS™

हमारा ध्येय आपकी क्षमता का विकास

DHYEYA The IAS™

.....Aim to Learn, Learn to Aim

AN ISO 9001:2000 COMPANY

सामान्य अध्ययन

मुख्य परीक्षा विशेष 08
(IInd Paper)

दिल्ली केंद्र

18

अगस्त

समय : 5:30 सायं

दर्शनशास्त्र

दीपक कुमार सिंह

40

दिवसीय
मुख्य परीक्षा विशेष 08
(प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के पश्चात्)

• मुख्य परीक्षा 2008 पर आधारित टेस्ट एवं परिचर्चा कार्यक्रम
.....अगस्त से सितम्बर

भूगोल

कुमार गौरव

सूचना

DHYEYA IAS दिल्ली एवं इलाहाबाद
के भूगोल के पूर्व के सभी सत्र के विद्यार्थियों के लिए
संरचित कार्यक्रम की योजना

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के पश्चात्

मुख्य परीक्षा 2008 पर आधारित टेस्ट एवं परिचर्चा कार्यक्रम
....अगस्त से सितम्बर....

GEO-PT 2009 पर केन्द्रित क्लासरूम टेस्ट व परिचर्चा कार्यक्रम
....अगस्त से मार्च....

पालि

for CIVIL SERVICES
(HINDI & ENGLISH)

40

दिवसीय
मुख्य परीक्षा विशेष 08
(प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के पश्चात्)
समय : 7:00–9:00 प्रातः एवं 5:30–7:30 सायंः

TEST SERIES राजनीति विज्ञान एवं इतिहास में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के पश्चात्

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.

DELHI : A-19, IIIrd Floor, Priyanka tower, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph. 27655121
ALLAHABAD : 573, Mumford Gunj, Near Nigam Chauraha, Allahabad, Ph. 0532-2642349, 09415217610
For enquiry, contact : Mr. PRASHANT (Course Director) 9899457549

YH-8/08/5

घाटी में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल

पिछले दिनों कश्मीर घाटी से गुज़रने वाले अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं ने घाटी में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखी। श्रद्धालु कश्मीर घाटी को भूमि विवाद के कारण हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के लिये नहीं बल्कि यहां के मुसलमानों की ओर से की जाने वाली गर्मजोशी भरी मेजबानी के कारण याद रखेंगे।

घाटी में जारी हिंसक प्रदर्शनों के कारण यहां के होटल और भोजनालय बंद थे। लेकिन श्रद्धालुओं को पेट भरने के लिये और सर पर छत का तनाव नहीं लेना पड़ा। प्रदर्शनों के बावजूद यहां मुसलमानों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई बंद नहीं हुई। उन्होंने श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम भी किया। पवित्र गुफा से ननवान और बालटाल आधार शिविर की ओर यात्रियों के लौटने पर भी पुलिस ने रोक लगा दी थी पर डलगेट और बोलवार्ड जैसे कई स्थानों पर लंगर का इंतजाम देख इस प्रतिबंध में ढील दे दी गई।

लोगों के इस सामाजिक सौहार्द के अलावा सैयद अली शाह गिलानी जैसे कट्टरपंथी अलगाववादी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि श्रद्धालुओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए क्योंकि यह इस्लामी शिक्षा के ख़िलाफ़ है। गरीबाल के एक स्वयंसेवक मोहम्मद सलीम ने बताया कि उन्होंने श्रद्धालुओं को यहां पर फंसा हुआ पाया और उनके लिये मुफ़्त भोजन व रुकने का इंतजाम करने का निश्चय किया। घाटी में अशांति फैलने के पांचवें दिन उन्होंने लंगर की शुरुआत की। इसमें रोज़ाना वह क़रीब दो हज़ार श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध करवाते रहे। उन्होंने बताया कि अभी तक हज़ारों हिंदू श्रद्धालुओं को भोजन करवाया गया है जिनमें से अधिकतर पवित्र गुफा से लौट रहे थे। गुजरात से अपने दो बेटों और पति के साथ आईं श्रद्धालु 75 साल की शांतिबाई याद करती हैं कि किस प्रकार स्थानीय लोगों ने उनकी दो बार सहायता की।

उन्होंने बताया कि एक युवा मुस्लिम ने पवित्र गुफा तक पहुंचने में उनकी सहायता की। गुफा से लौटते समय भी एक अन्य मुसलमान ने उन्हें भोजन दिया और उनके रहने का इंतजाम किया। दिल्ली के आनंद जैन ने कहा कि वह कश्मीरी मुसलमानों की आभारी हैं जिन्होंने उनके परिवार की रक्षा की और उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया। जैन ने बताया कि तीन दिनों में उन्हें पहली बार मुसलमानों के चलाए जा रहे एक लंगर में पर्याप्त भोजन मिला।

दिल्ली के ही एक अन्य यात्री का कहना था कि मुसलमान नहीं बल्कि उनके नेता समस्या पैदा करते हैं। एक स्वयंसेवक ओसमान ने बताया कि सामुदायिक रसोइयों से होटलों में रुके श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिये भी भोजन पहुंचाया जा रहा है। बालटाल व पहलगाम आधार शिविरों तक पहुंचने के मार्ग में और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में भी भोजन शिविर लगाए गए हैं। प्रदर्शनों के मुख्य केंद्रों वाले क्षेत्रों में भी स्वयंसेवक ताज़ी सब्ज़ियां, ब्रेड, दूध वितरित कर रहे हैं। ❑

उल झील में शिकारों की चहल पहल, और ऊपर गुलमर्ग स्थित शालीमार बाग का एक नज़ारा

लेह में एफएम रेनबो के तराने

दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर शुरू हुआ आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन

लेह अब एफएम के नेटवर्क में आ गया है। यहां आकाशवाणी के एफएम रेनबो के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। इसे अब उपग्रह से जोड़ दिया गया है।

आकाशवाणी के लेह रेडियो स्टेशन के वरिष्ठ इंजीनियर ने बताया, "अब तक हमारे कार्यक्रम छोटे दायरे में ही पहुंच पाते थे तथा नयोम, दिसकित और खलासे में कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों से लेह के कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण हो पाता था।

वे ज्यादातर राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया करते थे। सैटेलाइट लिकिंग सुविधा से हम इन स्टेशनों पर अपने सभी कार्यक्रम पहुंचा सकेंगे। अगर अन्य स्टेशन की इच्छा होगी, तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा।" पहले लेहवासी लोकप्रिय कार्यक्रमों को सुनने से महरूम हो जाते थे।

प्रसार भारती के सीईओ बी. एस. लाली की मौजूदगी में सैटेलाइट लिकिंग सुविधा का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने किया। अब यह समुद्र तल से 11,800 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला रेडियो स्टेशन बन गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य के सुदूर इलाकों में भी जल्द ही एफएम अपनी पैठ बना लेगा। इस समय आकाशवाणी लेह तीन सत्रों में 11 घंटे तक कार्यक्रम का प्रसारण करता है। इंजीनियर ने बताया, "हमारी समस्या यह थी कि इस स्टेशन के 80 कर्मचारी पूरी मेहनत से कार्यक्रम तैयार करते थे लेकिन कार्यक्रम काफी कम लोगों तक पहुंच पाते थे। अब स्थिति बदलेगी।" उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कार्यक्रम पहले से सुने जाते थे, वे अब स्थानीय एफएम के दायरे में आ जाएंगे। अब लेह कस्बे में दो सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री लाली ने घोषणा की कि इस साल के अंत तक लेह में स्थानीय दूरदर्शन स्टेशन के लिये आधुनिक स्टूडियो भी होगा जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। लेह में दूरदर्शन के प्रमुख शबीर मुजाहिद ने कहा, "इस समय हम सप्ताह में पांच दिन एक दिन में एक घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार होने के बाद हम स्थानीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने में अधिक योगदान कर सकेंगे। ❑

जम्मू-कश्मीर की छात्राओं को फुटबॉल का जुनून

जम्मू-कश्मीर के खेल विभाग ने 19 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिये चयन हेतु शिविर आयोजित किया।

घाटी में ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं दिखा जब 45 स्कूली छात्राओं का एक समूह यहां एक फुटबॉल के मैदान में गोल दागने के चक्कर में पसीना बहा रहा हो। समूह की कुछ लड़कियों ने बुर्का भी डाल रखा था। उन सबका एक ही सपना है। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करना।

यह प्रतियोगिता कठिन थी। विभिन्न स्कूलों की इन 45 लड़कियों में से केवल 18 खिलाड़ियों को जून में करगिल में आयोजित होने वाले अंतर जिला टूर्नामेंट में भाग लेने के लिये चुना जाना था। उसके बाद राज्य की टीम के चयन की बारी आती और अगले चरण में इसी वर्ष अंडर 19 के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप का दौर चलना है।

राज्य के युवा और खेल विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में मई की तेज़ धूप में छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता था।

अमीरा कदल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा हिना रुखसार, डेविड बेकहम, ब्राज़ील के गोलंदाज रोनाल्डो और रोनाल्डियानों को अपना आदर्श मानती हैं और बताती हैं कि मैं उन जैसा बनना चाहती हूं। उसके 35 वर्षीय प्रशिक्षक, मुश्ताक अहमद डार का कहना है कि यह आंतरिक बल का खेल है और खिलाड़ी को शारीरिक और दिमागी दोनों ही तरह से पुरुषों के आंतरिक बल के समान मज़बूत होना चाहिए। मुश्ताक के अनुसार, हिना दिमाग़ के साथ-साथ शारीरिक तौर पर भी मज़बूत है, इस कारण वह एक श्रेष्ठ गोलंदाज बनेगी।

मुश्ताक के अनुसार, उनका काम काफी आसान हो गया है क्योंकि सभी लड़कियां काफी उत्साहित हैं और अपने काम में वास्तविक रुचि रखती हैं। वे सीखने के लिये काफी इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि युवा और खेल विभाग द्वारा अब तक यहां आयोजित शिविरों में यह अपनी तरह का पहला शिविर है।

इससे पहले घाटी में लड़कियों को क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वालीबॉल, खो-खो और अन्य खेलों में भाग लेने का अवसर तो मिला था किंतु उन्हें फुटबॉल खेलना कभी नहीं सिखाया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फुटबॉल पुरुषों का खेल है। ❑

राष्ट्रपति को कश्मीर में शांति का भरोसा

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षित माहौल के लिये आतंकवाद और हिंसा को विफल करने के लिये देश प्रतिबद्ध है। उन्होंने भद्रवाह की यात्रा भी की।

श्रीनगर में इंस्टिट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, "मुझे भरोसा है कि हमारी एकता व विविधता देश के गौरव को और बढ़ाएगी। मुझे यह यकीन भी है कि कश्मीरियत की भावना फैलेगी और आपसी प्रेम व सद्भावना की खुशबू जम्मू-कश्मीर से बाहर तक पहुंचेगी।"

श्रीमती पाटिल ने कहा कि हिंसा और आतंकवाद के कारण राज्य की जनता ने जो परेशानियां झेली हैं, मैं उनसे अवगत हूं। यहां की जनता पर हमें गर्व है जो शांति और प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहती है। राष्ट्रपति पाटिल ने क्रांतिकारी कवि गुलाम मोहम्मद मेहजूर की एक कविता का भी जिक्र किया जिसमें समृद्ध और शांत राज्य के निर्माण के लिये मिलकर काम करने की बात कही गई है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर ने हमेशा कवियों और विद्वानों को आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की शुरुआत तो 1948 में ही हो गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1956 में हुई। उधर, राष्ट्रपति ने भद्रवाह में जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया। उनके आगमन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पिछले 60 साल में यह पहला मौका था जब देश के किसी राष्ट्रपति ने यहां का दौरा किया। मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। ❑

जागृति The Awakening

... The Making of A New Tradition

इतिहास

द्वारा **अजीत झा**

हमारे Toppers...

RAMAN KUMAR
523rd Rank IAS - 07-08

"मैंने इतिहास के लिए 'जागृति The Awakening' के अजीत झा सर की कक्षाएँ कीं। केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ 20 से भी अधिक सफल अभ्यर्थी अजीत सर की अध्यापन शैली से लाभान्वित हुये। दरअसल, उनकी उत्तर लेखन तकनीक एवं ज्ञान के सटीक उपयोग की भूमिका हमारी सफलता में केन्द्रीय रही।"

RAVI PATEL
567th Rank IAS - 07-08

"इतिहास को सहज बनाकर उसके सटीक विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण की तकनीक मैंने 'जागृति The Awakening' के श्री अजीत झा सर से प्राप्त किया है। अपनी इस सफलता के लिए मैं अजीत सर का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।"

Kumar Pranav
IAS 2006

Manu Tentiwal
(IAS-04) Rank 57

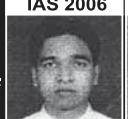

Amit P. Singh
IAS 2005

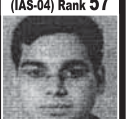

Manoj Sharma
(IAS-04) Rank 121

Kumari Ranjeeta
IAS 2005

Amit Kr. Singh
UPPCS-2004

मुख्य परीक्षा : कक्षा कार्यक्रम

- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की वैज्ञानिक ढंग से तैयारी
- तथ्यात्मक + अवधारणात्मक समझ का विकास
- उत्तर लेखन का प्रतिदिन अभ्यास
- सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री + कक्षा नोट्स
- समस्त उत्तरों का Synopsis निर्माण

प्रातःकालीन बैच
8 AM to 10.30 AM

सायंकालीन बैच
6 PM to 8.30 PM

मुख्य परीक्षा (Crash Course)

- 35 दिनों में इतिहास की संपूर्ण तैयारी
- सभी खण्डों में अबतक के पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों के उत्तरों की रूपरेखा (synopsis) का निर्माण
- प्रश्नोत्तर लेखन संबंधी रणनीतिक परिचर्चा- टिप्पणी एवं Long प्रश्नों के लिए।
- सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री एवं कक्षा नोट्स
- English एवं हिन्दी माध्यम के लिए उपयोगी

उत्तर लेखन (Test Series)

- तीन-तीन घंटे की कुल 8 परीक्षाएँ
- प्रत्येक टेस्ट के बाद पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा टेस्ट के बाद व्यक्तिगत मार्गदर्शन
- 350+ अंक प्राप्त होने की संभावना
- Eng. एवं हिन्दी दोनों माध्यमों के लिए

दोनों कार्यक्रम
- PT परिणाम के तुरन्त बाद
- Registration Open

पत्राचार कार्यक्रम - PT+Mains दोनों के लिए

ड्राफ्ट Ms. Rashmi Kumari के नाम भेजें

 # 09811144361

PVP पंकज विधि प्रवाह

The Spectrum of LAW

For Judicial & Civil Services ; CLAT & LL.B. Entrance

... 'विधि' की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध संस्थान, दिल्ली

विधि/LAW

हिन्दी माध्यम में भारत का सर्वश्रेष्ठ 'विधि संस्थान'

Now in English Medium also

Our Best Ever Experts :
- पंकज कुमार त्रिपाठी
- डॉ. जे.एन. पाण्डेय (Guest Lecturer)
- प्रो. टी.पी. त्रिपाठी
- संजय कुमार झा

ध्यान दें- हमारी टीम द्वारा **इलाहाबाद शाखा** में विधि की कक्षाएँ जारी हैं स्थान **अनन्या** एकेडमी आनन्द भवन एवं डी.जे. हॉस्टल के मध्य

मुख्य परीक्षा TEST SERIES प्रारंभ

(हिन्दी एवं Eng. Medium में) P.T. परिणाम के तुरंत बाद

SANDHYA'S IAS

(PVP Institute Group)

लोक प्रशासन

द्वारा **विवेक शर्मा**

नवीन बैच प्रारम्भ
11th Aug.
5 PM

सा. अध्ययन

अजीत झा (जागृति The Awakening)
आनन्द शुक्ल (अनन्या एकेडमी, इला.)
पंकज कुमार त्रिपाठी (पंकज विधि प्रवाह)
विवेक शर्मा (SANDHYA'S IAS)
आर.एन. द्विवेदी (SANDHYA'S IAS)

नवीन बैच प्रारम्भ
14th Aug.
5 PM

सा. अध्ययन के लिए संस्थाओं की बहुलता एवं गुणवत्ता के दावों के बीच आपके लिए सक्षम संस्थान का चयन चुनौतीपूर्ण है। अतः अन्य संस्थाओं से तुलना हेतु प्रथम 5 कक्षाएँ निःशुल्क हैं।

Ph. : 9999 79 6996, 011-47017167

201, 205, A-29/30, IInd Floor, Jaina House, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

YH-8/08/7

जड़ी-बूटी का रास्ता

● अपराजिता पांडा

धान की खेती के लिये मशहूर उड़ीसा में एक महिला ने जड़ी-बूटी की खेती कर उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल की

उड़ीसा में हीराकुंड के जितने इलाके में सिंचाई होती है वह धान की खेती के लिये सबसे उपजाऊ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में दूर-दूर तक लंबे क्षेत्र में धान के लहलहाते खेत देखे जा सकते हैं। वहां एकाध जगहें ही ऐसी हैं जहां किसान सब्ज़ियां उगाते हैं। यहां एक और अपवाद है और वह है फसल की तरह ही किसान भी कुछ असाधारण हैं। संतोषिनी 36 साल की है और गांव की साधारण महिला जैसी दिखाई देती है। वह संकोची और सीधी-सादी है। उसे देख कर लोग ग़लती से गृहणी समझ बैठते हैं जो वह बिल्कुल नहीं है। अब वह एक फार्म की मालकिन है जहां जड़ी-बूटियों की अनेक किस्में उगाईं जाती हैं। उसने अपने परिवार को धान की पारंपरिक खेती आगे सोचने के लिये मनाया और एक सफल उद्यमी बनने में कामयाब हुई।

निश्चित तौर पर संतोषिनी के लिये यह काम आसान नहीं था। हीराकुंड के लोगों के लिये धान की खेती करना आसान काम है। इसके अलावा कुछ और करने के लिये बड़े साहस की ज़रूरत है। संतोषिनी ने जिस तरह की खेती करने का जोख़िम उठाया उसके लिये और ज्यादा साहस की ज़रूरत थी क्योंकि उसमें पैसा डूबने का ख़तरा था। निम्न-मध्यम परिवार

की होने के नाते संतोषिनी न तो आर्थिक रूप से मज़बूत थी और न ही उसकी अपनी फ़सलों का बीमा कराने की हैसियत थी। संतोषिनी के पति फकीरा कर्ण की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने संतोषिनी के काम में उसे पूरा सहयोग दिया। कृषि विभाग में प्रसार कर्मचारी के रूप में काम करने वाले फकीरा के पास तीन एकड़ से भी कम कृषि योग्य पुश्तैनी ज़मीन थी। लेकिन वह संतोषिनी की प्रतिबद्धता और कठोर परिश्रम का कायल था और सोचता था कि अगर उसकी सही तरीक़े से मदद की जाए तो वह व्यापार कर सकती है। फकीरा का कहना है- "वह औरों से अलग है और इस बात को साबित करने के लिये मैं उसकी मदद करना चाहता था।"

संतोषिनी का कहना है- "धान की खेती में लगातार घाटा होने और जड़ी-बूटियों के पौधों के लिये बाज़ार होने के कारण मैंने कुछ करने की ठान ली थी।" फकीरा का कहना है "कई वर्षों से धान की कम क़ीमतों के कारण हमें भारी नुक़सान हो रहा था। कम क़ीमतों के कारण थोड़ी-बहुत आमदनी भी नहीं हो पा रही थी।" उसने बताया, "हम धान की खेती से हो रहे नुक़सान के कारण दूसरे रास्ते की तलाश में थे तभी यह आकर्षक प्रस्ताव हमारे सामने आया।" कभी संकोची स्वभाव की गृहणी रही संतोषिनी अब एक सफल उद्यमी है। वह ख़तरा मोल लेने के लिये तैयार है लेकिन ऐसी खेती करना चाहती है जिसमें मुनाफ़ा हो। पुराने दिनों को याद करते हुए संतोषिनी ने बताया, "न तो मुझे और न ही मेरे पति को जड़ी-बूटियों की खेती के बारे में कोई जानकारी थी।" उसने बताया, "मेरे पति को सरकार की एक प्रोत्साहन योजना का पता चला। मैंने उन्हें उसके बारे में कुछ लोगों से बातचीत करते सुना और मैंने

काम करने की इच्छा ज़ाहिर की।" उसने बताया, "शुरू में मेरे पति ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन मैंने विस्तृत सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने इस तरह की खेती करने वाली संस्थाओं के पते हासिल किए और उनसे संपर्क किया। उसका एक ऐसी संस्था से संपर्क हुआ जिसका मुख्यालय हैदराबाद में था।" संतोषिनी ने आगे बताया, "लेकिन वह संस्था जैव खेती में बहुत इच्छुक नहीं थी। मेरी जैव खेती करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। कई क़िताबें पढ़ने से पता चला कि जड़ी-बूटियों की खेती करते समय अगर रसायन और कीड़े मारने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाए तो इससे बनने वाली दवाएं किसी काम की नहीं रहती हैं।" बाद में उसका संपर्क सफेद मुसली (एलोवेरा) की खेती करने वाले छत्तीसगढ़ के धनतेश्वरी मेडिसाइनल फार्म से संपर्क हुआ। उसने भोपाल सहित कई इलाकों का दौरा किया और इस फसल के बारे में अब तक उपलब्ध अधिक से अधिक जानकारी हासिल की।

लेकिन कुछ करने की इच्छा और उस इच्छा को साकार करना वास्तव में दो अलग-अलग चीजें हैं। संतोषिनी ने जानकारी तो एकत्र कर ली और उसकी इसमें दिलचस्पी भी थी लेकिन उसकी जिस तरह की माली हालत थी उसमें उन सपनों को पूरा करना कठिन था। लेकिन अपनी इच्छाशक्ति के कारण उसे नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्ज़ मिल गया और उसने ढाई एकड़ भूमि पर सफेद मुसली और बाचा की खेती शुरू कर दी। संतोषिनी ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, "शुरू में गांव में सभी लोग इसे देखकर आश्चर्य करते थे क्योंकि कोई भी धान के अलावा किसी अन्य तरह ही खेती को देखने का आदी नहीं था।" फकीरा ने बताया, "गांव के इतिहास में धान के अलावा कुछ और नहीं उगाया गया था इसलिये लोगों को इस अत्यंत लाभकारी फसल को लेकर संदेह था।"

बैंक से कर्ज़ लेना फायदेमंद साबित हुआ। संतोषिनी के पास अब पैसा था इसलिये उसकी इच्छाशक्ति और प्रबल हो गई। आखिरकार वह एक कृषक उद्यमी बन गई। वह अपने सपनों को साकार करने के लिये योजनाओं पर अमल करने लगी। सिर्फ़ एक साल में सभी आशंकाएं ग़लत साबित हुईं। लाभकारी फसल संतोषिनी की सफलता की दास्तान कहने लगी। एक तरफ जहां वह अपनी सफलता पर खुश थी वहीं उसके आलोचकों ने चुप्पी साध ली। उसने क़रीब तीन लाख रुपये का निवेश किया। इस निवेश में स्थिर और स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश शामिल था। संतोषिनी को परंपरागत धान की फसल से कहीं ज्यादा लाभ हो रहा था। दूसरे साल उसने इसका और विस्तार किया। इस बार उसे बैंक अधिकारियों को 35 लाख रुपये का फसल ऋण देने के लिये राजी कराने में कोई परेशानी नहीं हुई। बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ संतोषिनी ने दस एकड़ भूमि पर खेती करने का निर्णय लिया क्योंकि उनके समकक्ष किसान अपनी ज़मीन आसानी से पट्टे पर देने को तैयार थे। संतोषिनी की जड़ी-बूटी की खेती का साम्राज्य फैल गया। संतोषिनी ने सफेद मुसली के अलावा वनीला, स्टेविया, बाचा, पिपली, दतूरा मेटल और कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा की भी खेती की। संतोषिनी को उम्मीद से ज्यादा मुनाफ़ा हुआ और वह 35 लाख रुपये के ऋण में से 20 लाख रुपये लौटाने की स्थिति में आ गई।

संतोषिनी की उपलब्धियां विशाल हैं और इन्हें बहुत कम समय में हासिल किया गया है। उसने साबित कर दिया है कि अगर जानकारी और मदद उपलब्ध कराई जाए तो दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता से कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। बतौर महिला उसने परंपरागत मान्यताओं से संघर्ष किया है

संतोषिनी ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसने अपनी एक कंपनी खोल ली है और उसका नाम 'उमा महेश्वरी हर्बल एंड स्पाइसेज लिमिटेड' रखा है। उसका व्यापार अब पूरी तरह से फैल चुका है क्योंकि संतोषिनी को इलाके में भरोसेमंद महिला उद्यमी और गुणवत्ता के प्रति सजग माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संतोषिनी ज़मीन की क़ीमत के बदले मुनाफ़े के चक्कर में नहीं पड़ी। उसका हमेशा से यह नज़रिया है कि खेत जैविक हैं। उसने बताया, "मैंने गाय का गोबर, मुर्गों के अपशिष्ट और नीम जैसे जैविक खादों और ट्राईकोडर्मा विरीड जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल करके इसे हासिल किया।" उसके फार्म में अब अड़ोस-पड़ोस और दूरदराज से समृद्ध और अनुभवी किसान आते हैं। वे उससे सलाह लेते और सहयोग मांगते हैं। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए उसने एक और बिजनेस मॉडल विकसित करने का प्रयास किया। वह इच्छुक किसानों को पौधारोपण के लिये अच्छे किस्म की सामग्री, बीज और सलाह देती है तथा उनकी फ़सल ख़रीदने के लिये अनुबंध करती है, जैसे छत्तीसगढ़ की फर्म ने शुरू में उसके साथ किया था। उसके पति ने गर्व से बताया, "वह सब कुछ जल्द सीख लेती है।"

इन अप्रत्याशित ऊंचाइयों को छूने के बाद संतोषिनी कुछ व्यावहारिक दिक्क़तों पर गौर कर रही है जिनका उसे भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। राज्य में जड़ी-बूटी व्यवसाय के लिये अभी बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाना बाकी है। उसने कहा, "हमें अक्सर बाहरी कंपनियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर समय वे ही क़ीमतें तय करती हैं। हमें क़ीमतों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है।" वह उड़ीसा जड़ी-बूटी उत्पादक संघ की सक्रिय सदस्य है और संघ के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर वह मुख्यमंत्री से मिली थी। संतोषिनी ने बताया, "मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ करने का आश्वासन दिया है।"

संतोषिनी की उपलब्धियां विशाल हैं और इन्हें उसने बहुत कम समय में हासिल किया है। उसने साबित कर दिया है कि अगर जानकारी और मदद उपलब्ध कराई जाए तो दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता से कोई भी इन ऊंचाइयों को छू सकता है। बतौर महिला उसने न केवल परंपरागत मान्यताओं से संघर्ष किया है बल्कि इस मिथक को भी तोड़ा है कि हीराकुंड के सिंचाई वाले इलाके में धान के अलावा किसी और चीज़ की खेती नहीं हो सकती। इसके साथ उसने यह साबित किया है कि खेती एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। उसे और अन्य महिलाओं को इससे और प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता है। ❑

(लेखिका संबलपुर जिले में बुरला स्थित एनएसी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान की प्राध्यापक हैं। वह महिलाओं से जुड़े विषयों के साथ-साथ राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर अनुसंधान कर रही हैं।

ई-मेल : ajita_panda@yahoo.co.in)

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका

● रीमा नानावटी

सेवा एक सदस्य आधारित संगठन है, जो अनौपचारिक क्षेत्र की स्वरोज़गार में लगी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इला भट्ट द्वारा 1972 में स्थापित सेवा (एसईडब्ल्यू) के अकेले गुजरात में ही 5,30,000 सदस्य हैं। पांच अन्य राज्यों में भी नये सदस्यों को जोड़ने के लिये पहल जारी है। एक ऐसे देश में जहां श्रम बल का 93 प्रतिशत भाग अनौपचारिक क्षेत्रों में है, ये महिलाएं मेहनत-मज़दूरी अथवा छोटा-मोटा कामकाज करके, बिना किसी ठोस कर्मचारी-नियोक्ता संबंध के अपनी रोजी-रोटी कमा रही हैं। कारखानों और दफ़्तरों में काम करने वाले नियमित कामगारों के विपरीत, इन्हें न तो वेतन मिलता है और न ही वे कल्याणकारी लाभ मिलते हैं जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्राप्य हैं। इन्हें केवल दैनिक मज़दूरी ही मिलती है। वे बाज़ारों, घरों, खेतों, नदियों के तटों और रेगिस्तान में काम करती हैं। हालांकि ये महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का 94 प्रतिशत हैं, परंतु इनके कामकाज की कहीं कोई गिनती नहीं होती और इसीलिये इनके प्रयास दिखाई नहीं देते। 'सेवा' इन महिलाओं को एकजुट करने में 30 वर्षों से भी अधिक समय से सक्रिय है ताकि उनकी हालत के बारे में जागृति लाकर उसमें कुछ सुधार या बेहतरी लाई जा सके।

'सेवा' का लक्ष्य अपने सदस्यों को पूर्ण रोज़गार सुनिश्चित करना और उनमें आत्मनिर्भरता लाना है। पूर्ण रोज़गार में काम और आय सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा की सुविधा भी शामिल है। सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय है, स्वास्थ्य की रक्षा, बच्चों की देखभाल, आवास, बीमा और खाद्य सुरक्षा। 'सेवा' में इसे सदस्यों के लिये समेकित नज़रिया अपना कर हासिल करने का प्रयास किया जाता है। 'सेवा' की सदस्याएं, कचरा बीनने से लेकर राजगीरी आदि जैसे अनेक कार्यों में लगी हुईं हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में मौजूद अलग प्रकार के ख़तरों को झेलती रहती हैं।

सेवा का समेकित दृष्टिकोण और नवोन्मेषी पद्धतियां उन धमकियों को मिटा देती हैं जिनका सामना आमतौर पर अनौपचारिक क्षेत्र की एक से अधिक रोज़गार में लगी महिलाओं को करना पड़ता है। चूंकि इन महिलाओं की चुनौतियों के निराकरण के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, सेवा ने कुछ वर्षों पहले समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज़ मेकेनिज्म) की स्थापना की है। हालांकि यह कार्यक्रम कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में एक मार्गदर्शी कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया था, परंतु इसकी सफलता से प्रेरित होकर इसका और आगे विस्तार किया जा रहा है। 'सेवा' अपनी सदस्याओं को सहायता देना जारी रखने की स्थिति में बना रहेगा।

अनौपचारिक क्षेत्र में जोख़िम और असुरक्षा

अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली कम आय और साधनों वाली ग़रीब महिला श्रमिक उन दुर्घटनाओं और दुखद आघात को सहने के लिये मानसिक रूप से तैयार नहीं होतीं जो सामान्य जीवन में अक्सर घटित होते रहते हैं। कोई जोख़िम हो तो उसका पहला झटका उन्हीं को लगता है। अपनी रक्षा के लिये उनके पास न तो कोई साधन होता है और न ही पूंजी। इन आघातों के फलस्वरूप पैसे कमाने के अवसरों और संभावनाओं में जो कमी आ जाती है उससे ग़रीबों की सुरक्षा के लिये ख़तरा काफी बढ़ जाता है। इसी के साथ-साथ इस जोख़िम की जो सच्चाई है उससे उनके व्यावहारिक पद्धतियों, तौर-तरीक़ों पर असर पड़ता है, जो आगे जाकर उनकी उत्पादक क्षमता को और भी बिगाड़ देता है क्योंकि जीवित रहने के लिये या तो वे प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन कर लेती हैं, या अपनी परिसंपत्तियों को औने-पौने बेचना शुरू कर देती हैं, अथवा कम उपज वाली परंतु सुरक्षित फसलों को अपना लेती हैं ताकि जोखिम कम से कम हो, या फिर सुरक्षा की तलाश में व्यापारियों और अन्य लोगों से सौदेबाज़ी की शक्ति ही नहीं बचती। 'सेवा' की अधिकांश सदस्याओं और भारत में अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के लिये यह एक सच्चाई है।

प्राकृतिक आपदा मिश्रित जोख़िमों का यथार्थ

रोज-रोज की भागदौड़ और मारामारी के बाद भी 'सेवा' की सदस्याओं के सामने अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाने का ख़तरा बना रहता है। इस तरह की आपदाओं के शिकार पहले ग़रीब लोग ही होते

हैं और उन्हें ही सबसे अधिक नुक़सान सहना पड़ता है। इन आपदाओं का प्रभाव इन ग़रीब महिलाओं के जीवन पर सबसे लंबे समय तक बना रहता है क्योंकि उनको अपने काम-काज को फिर से जमाने में और अपने आश्रय का पुनर्निर्माण करने में वर्षों लग जाते हैं। इसके अलावा इन आपदाओं के कारण सदस्यों की आय घट जाती है और उन्हें बाहरी स्रोतों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार, एक ओर तो उनकी आमदनी घट जाती है और दूसरी ओर उन पर कर्ज़ का बोझ बढ़ता जाता है। इससे वे ग़रीबी के दुष्चक्र में फंसते ही चले जाते हैं।

समेकित उपाय की आवश्यकता

अनौपचारिक क्षेत्र के ग़रीब कामगारों का जीवन उनके कार्य और परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है, परंतु उनका जीवन भी असुरक्षा से भरा रहता है। उनके समक्ष आय और रोज़गार की असुरक्षा बनी रहती है। उनकी नौकरियां या रोज़गार सुरक्षित नहीं होते और उनके काम-धंधों में अक्सर मंदी आ जाती है। एक तो उनके काम करने के उपकरण और औज़ार प्राय: बहुत पुराने और टूटे-फूटे होते हैं, दूसरे उनके पास पूंजी भी कम ही होती है। नतीज़तन, अनुभव और कौशल के बावजूद, उनकी उत्पादकता और आमदनी कम ही रहती है। दूसरे, एक महिला श्रमिक के जीवन और शरीर से उसके काम का आहार दिखाई पड़ता है। एक ऐसे वातावरण में, जहां बीमारी रोज़मर्रा की बात है और कुपोषण आम, एक महिला के शारीरिक स्वास्थ्य का उसके कार्य की मात्रा और गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और यह दिखता भी है। इसके अलावा, अपनी घर-गृहस्थी की कर्ताधर्ता होने के कारण वही परिवार के स्वास्थ्य के लिये भी जिम्मेदार होती हैं। अतएव, जब खाना कम पड़ जाता है तो वह बच्चों को खिलाने के लिये स्वयं भूखी रह जाती हैं। इस प्रकार, अपने अनुभव और कौशल के बावजूद और ऊपर वर्णित बाह्य कारणों के प्रत्यक्ष परिणामों के कारण भी उसकी उत्पादन क्षमता और आमदनी बहुत ही कम होती है।

अनौपचारिक क्षेत्र के निर्धन श्रमिकों की इन्हीं असुरक्षाओं के कारण उनकी आजीविका को सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। इन श्रमिकों की आजीविका को सुरक्षित बनाने के लिये एक ऐसे समेकित दृष्टिकोण की, उपायों की आवश्यकता है जो ग़रीब श्रमिक वहन कर सकें। इन उपायों की लागत ऐसी होनी चाहिए कि ग़रीब उनको आसानी से अपना सकें।

समेकित वित्तीय सेवाएं प्रणाली

'सेवा' का जो अनुभव है उसके अनुसार, आपदा संभावित क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र के ग़रीब श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण में उनकी आजीविका सुरक्षा के लिये किए जाने वाले बीमा और बैंकिंग सेवाओं के हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'सेवा' को इस बात का अहसास है कि अनौपचारिक क्षेत्र की इन महिलाओं को क्या-क्या परेशानियां उठानी पड़ती हैं और उन्हीं बातों को सामने रखकर कार्यक्रमों और सेवाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। इस तरह इन सेवाओं का भार वे वहन कर सकती हैं और सदस्याएं उनका लाभ भलीभांति उठा सकती हैं। जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में इन महिलाओं की सहायता, समूहों के मौजूदा ढांचे और सुविधाओं का लाभ उठाते हुए 'सेवा' ने इन कम लागत वाली सेवाओं को समेकित वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था से जोड़ दिया है।

सदस्याओं के लिये अपने स्वसहायता समूहों के माध्यम से इन बैंकिंग सेवाओं, बीमा और कार्य सुरक्षा सेवाओं की सुविधा प्राप्त करना सरल और सुगम हो गया है। इस प्रादर्श के जरिये सदस्याएं यह आकलन कर सकती हैं कि वे प्रतिमाह कितनी राशि का योगदान कर सकती हैं। इस नवाचारी दृष्टिकोण के जरिये महिलाओं के लिये बचत और साख सेवाएं सुलभ हो गई हैं। परिणामस्वरूप, पैसे जमा करके अथवा कर्ज़ लेकर वे अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सकती हैं। इसी तरह की लचीली योजना के जरिये बीमा की सुविधा उपलब्ध है। महिलाएं आसानी से किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकती हैं। उदाहरणार्थ, बीमा के मामले में महिलाओं के लिये एकमुश्त पूरा प्रीमियम देना मुश्किल है। असुरक्षित जीवन जीने वाली इन महिलाओं के लिये बीमा का जो महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता। इस एकीकृत योजना के तहत सदस्याएं मासिक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकती हैं। इससे अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये बीमा की सुविधा आसानी से उपलब्ध है।

एक और रचनात्मक कदम उठाकर महिलाएं अपने काम की सुरक्षा के प्रति अपनेआप को आश्वस्त कर सकती हैं। प्रतिमाह एक दिन की मज़दूरी का योगदान करके वे उन आपदाओं के लिये सुरक्षित निधि जमा कर सकती हैं, जिनसे उनकी आमदनी पर प्रभाव पड़ता है। इस कार्य सुरक्षा निधि से सदस्याओं को वैकल्पिक रोज़गार के लिये पैसा निकालने में मदद मिलती है। अतएव यदि एक मौसम में किसी महिला की फ़सलों पर कीटों का प्रकोप होता है तो वे कार्य सुरक्षा निधि से पैसे निकाल कर नुकसान भरपाई कर सकती हैं। गुजरात में सूखे और भूकंप के दौरान हुए राहत कार्यों से हमें यह सबक मिला है कि शिल्प, चारा बैंक और वाटरशेड विकास टिकाऊ चीज़ें हैं और इनसे आपदा प्रभावित परिवारों को दीर्घावधि सुरक्षा प्राप्त होती है। तदनुसार, इसी तरह के कार्यक्रम आपदा के दंश को कम करने और सूखे से सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था में बदल गए।

अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में समेकित वित्तीय सेवाओं के मॉडल पर आधारित बैंकिंग बीमा और कार्य सुरक्षा के हस्तक्षेप अधिक सफल प्रणाली साबित हुए हैं। किंतु वर्तमान में सेवा सदस्याओं को इस समेकित कार्यक्रम के एक ही अंश का लाभ उठाने में कामयाबी मिली है। इस तरह के हस्तक्षेपों का विस्तार अति आवश्यक है। वर्तमान में समेकित वित्तीय सेवाएं प्रणाली सभी 9 जिलों में लागू हैं। इन सभी 9 जिलों में कुल 983 मंडल हैं जिसमें 15,450 सदस्य हैं।

समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली के दीर्घावधि उद्देश्य

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को रोज़गार और आमदनी की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। निर्धन अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को इन असुरक्षाओं को देखते हुए उनकी आजीविका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे समेकित प्रयास की आवश्यकता है जिसे ग़रीब भी आसानी से वहन कर सकें। समेकित वित्तीय सेवाओं का मुख्य उद्देश्य, ग़रीबों के लायक विभिन्न वित्तीय सेवाएं मुहैया करा कर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका को सुनिश्चित करना है। संक्षेप में ये निम्नानुसार हैं :

- आपदा संभावित जिलों में परिवारों को स्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान करना।
- संतुलन की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते

हुए आपदा को विकास के लिये एक अवसर में तब्दील करना।

- भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जोखि़म और असुरक्षा की संभावनाओं को क्षीण करना।
- उष्ण क्षेत्र से अतिरिक्त पानी वाले क्षेत्रों में विवशतापूर्ण पलायन में कमी लाने में मदद करना।
- कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भरता कम करने का अवसर प्रदान करना। प्राथमिक कृषि क्षेत्र से द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों की ओर पीड़ितों को अंतरित करने में महिलाओं की मदद करना।
- पीड़ित महिलाओं के लिये आर्थिक और पर्यावरण के पुनरुद्धार से संबंधित गतिविधियों के जरिये क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।

पद्धति

समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली के अंतर्गत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के पहले हमें अग्रलिखित प्रयासों पर ध्यान देना होगा:

- सदस्यों का क्षमता विकास
- कार्यक्रम का मूल्यांकन और विकास
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार अभियान, और
- सहभागी संगठनों की मौजूदा भागीदारी को बनाए रखते हुए नये सहभागी बनाना।

परिचालन संबंधी कार्यों से क्षमता विकास होगा और वर्तमान अधोसंरचना को भी सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। इन कार्यों में मानव संसाधन प्रशिक्षण (सदस्य स्तर पर व्यापार परिषद स्तर और संगठन स्तर पर) माड्यूल तैयार करना और 'सैट कॉम' (उपग्रह संचार) सत्र शामिल हैं। विश्लेषणात्मक आकलन से कार्यक्रम के व्यापक विस्तार को जारी रखना सुनिश्चित किया जा सकेगा और इसमें विशेषज्ञों से परामर्श करना, व्यावहारिक संभावना का अध्ययन और ऐतिहासिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होंगी।

आजीविका सुरक्षा प्रदान करने वाली वित्तीय सेवा प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये सरकार और अन्य संगठनों के साथ भागीदारी शुरू की गई है। आपदाओं से जुड़े जोखि़मों का प्रभाव कम करने वाली आवश्यक प्रणाली के तौर पर आजीविका सुरक्षा को मान्यता दिलाने के लिये सरकार के साथ ठोस संबंध होना आवश्यक है। 'सेवा' ने नियमित पोषणीय आजीविका कार्यक्रम के विकास की आवश्यकता के लिये दबाव बनाने के वास्ते सरकार के समक्ष अपने सकारात्मक अनुभव रखे। यह पेशकश सूखा प्रभावित वास्तविक मैदानी कार्यकर्ताओं ने रखी थी। प्रत्येक ने अधिक आय अर्जित करने के लिये काम की मांग की और यह बताया कि किस प्रकार शिल्प एक वैकल्पिक राहत गतिविधि के रूप में उन्हें घरेलू तौर पर आजीविका की सुरक्षा दे सकता है।

तभी से 'सेवा' ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों के दो सम्मेलन आयोजित कर आजीविका सुरक्षा के महत्व को रेखांकित कर चुका है। हमारे इन प्रयासों के फलस्वरूप, सरकार अब आजीविका सुरक्षा को आपदा से मुक़ाबले की रणनीति का अभिन्न अंग मानने लगी है।

सेवा का अनुभव

हमारे इस समेकित प्रयास के फलस्वरूप समेकित संगठन उभर कर सामने आए हैं। ये समूह बचत और साख समूहों से इस मामले में भिन्न हैं कि ये आजीविका में मदद करने के अलावा सदस्यों के जोखि़म को

IAS PCS

CENTRE FOR AMBITION

मिशन हमारा—जुनून आपका

संस्था की विशेषताएँ

– आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण कार्य
– सप्ताह के सातों दिन नियमित कक्षाएँ
– समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तैयारी
– हॉस्टल व मैस की सुविधा
– 24 घण्टे आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा
– लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों द्वारा समय समय पर विशेष मागदर्शन

उपलब्ध विषय

– इतिहास–द्वारा :– अजय वर्मा (इला.) नगेन्द्र प्रताप सिंह (लेखक किरण कम्पटीशन, इला.)
– भूगोल–द्वारा :– डॉ. राघव दुबे (इला.)
– अर्थशास्त्र–द्वारा :– के. बशर (दिल्ली)
– लोकप्रशासन–द्वारा:– अजीत सिंह एवं अमित गुप्ता (इला.)

G.S - By Eminent Team

Fully Air Conditioned (A.C.) Class Room

समाज शास्त्र
(Sociology)
by
अजीत सिंह एवं चेतना सिंह
(लेखक — उपकार प्रकाशन)

–: फाउन्डेशन कोर्स :–
इण्टर पास विद्यार्थियों हेतु तीन वर्षीय विशेष कोर्स

संस्था के सभी विद्यार्थियों को दिल्ली व इलाहाबाद की प्रमुख संस्थाओं के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन ।

S.C., S.T., OBC, WOMEN तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों हेतु फीस में विशेष छूट।

OUR SELECTIONS

CENTRE FOR AMBITION

Head Office : 29, Kailash Vihar, Gailana Road, Agra
City Office : B-3, Akhilesh Tower, Hari Parwat, Agra
Ph.: 0562- 2602674, (M) 9411207960, 9219631474

YH-8/08/9

भी कम करने में आगे आ रहे हैं। ये समूह बीमा, कार्य/आय सुरक्षा कोष के साथ-साथ बचत और ऋण जमा अथवा मुहैया कराने में लगे हैं। कार्य सुरक्षा कोष के अंतर्गत सदस्याएं पूर्व निर्धारित राशि इस कोष में जमा कराती हैं। आपदा अथवा बेरोज़गारी की स्थिति में सदस्याएं इस राशि का उपयोग कर सकती हैं। इस कोष के कारण बाहरी समर्थन पर वे अब ज्यादा निर्भर नहीं रहतीं। वे विपरीत परिस्थितियों का सामना अब विश्वास और आत्मसम्मान के साथ करती हैं। इस कोष का प्रासंगिक प्रभाव गुजरात के खेड़ा और बड़ोदरा जिलों में गत वर्ष अगस्त माह में दिखाई दिया जब इन जिलों के अनेक हिस्से बाढ़ से प्रभावित थे।

खेड़ा जिले की सदस्याओं ने कार्य सुरक्षा कोष में 2003 से योगदान करना शुरू किया और एक वर्ष के भीतर उनके पास 46,100 रुपये का कोष बन गया। 2004 के मानसून में जिले में भयंकर बाढ़ आई। राहत ज्यादा उपलब्ध नहीं थी। ग्रामीण ग़रीब महिलाएं और उनके घर-बार बुरी तरह प्रभावित हुए। सदस्याओं के घर गिर गए थे और उनकी घर-गृहस्थी भी चौपट हो गई थी। कई दिनों के लिये उनके पास कोई आजीविका नहीं थी। पानी जमा होने से क्षेत्र में बीमारियां भी खूब फैल रही थीं।

तुरंत ही जिला संघ और इसकी कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और इन लोगों ने तय किया कि कार्य सुरक्षा कोष को संकट की इस घड़ी में इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़रूरतमंदों को काम अथवा जो सहायता दरकार हो, प्रदान की जा सके। जिला संघ के बोर्ड ने हानि के आकलन का आधार तय किया कि जो लोग कार्य सुरक्षा कोष में नियमित रूप से योगदान करते रहे हैं उन्हें 450 रुपये तक की राशन सामग्री दी जाए। प्रत्येक किट में 10 किग्रा. चावल, 2 किग्रा दाल, 2 किग्रा मूंगफली तेल, 1 किग्रा मूंगदाल, 1 किग्रा मूंग, 2 किग्रा चीनी, 250 ग्राम चायपत्ती और 1 किग्रा चना दिया गया था। सदस्याओं को इसे 18 महीने के समय में वापस भुगतान करना था। 1,033 सदस्याओं को ये किट दिए गए। इसी कारण इन सदस्याओं को राहत या सहायता की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। बाढ़ के कारण इन सदस्याओं के पास न तो कोई रोज़गार बचा था और न ही घर में खाने के लिये कुछ था। इन किटों की वजह से कम से कम उन्हें दो जून का खाना तो मिल रहा था। जब सदस्याओं ने आजीविका संबंधित कामकाज शुरू किया तो उन्होंने जो पैसा अनाज आदि पर ख़र्च किया था, उसे मासिक किस्तों में चुका दिया। इससे कोष को भी सुरक्षित बचाए रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली के होने से सदस्याओं को बीमा धन भी प्राप्त हुआ साथ ही समेकित समूहों का हिस्सा होने के कारण वे अपने घरों की मरम्मत के लिये कर्ज़ भी ले सकती थीं। सदस्याओं को उनकी मासिक किस्त के तीन गुणा कर्ज़ मिल सकता था। खेड़ा जिले में क़रीब 200 सदस्याओं ने 2004 की बाढ़ में बर्बाद हुए मकानों की मरम्मत के लिये 25,000 रुपये तक का कर्ज़ लिया।

इस सबको देखने के बाद अन्य अनेक लोग भी समेकित समूहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रेरित हुए। समेकित समूहों की सदस्य संख्या जो 2004 में क़रीब 1,000 थी, 2007 में बढ़कर 6,000 तक पहुंच गई। आज की तारीख़ में कुल 7,079 सदस्याओं ने 12,01,944 रुपये का योगदान कार्य सुरक्षा कोष में दे रखा है। जिला संघ समूहों को गतिविधियां चलाने में मदद करता है। साथ-ही-साथ कोष के उपयोग और उसको चालू रखने में भी सहायता करता रहता है।

लक्ष्य
The Target
(An Institute for Civil Services)

IAS 2007-08
फाउंडेशन कोर्स (मुख्य तथा प्रारंभिक), मुख्य परीक्षा
पूर्णतः परिमार्जित अध्ययन सामग्री के साथ
हिन्दी एव Eng. Medium

सा० अध्ययन
द्वारा
विजय कुमार, रंजय कुमार, डॉ० अर्पणा एवं अन्य

विजय कुमार के नेतृत्व में संस्थान ने सामान्य अध्ययन के अध्यापन की अत्यधिक सरल एवं ग्राहय तकनीक विकसित की है।

पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन तथा इतिहास के अधिकांश प्रश्न कक्षा नोट्स तथा संस्थान की अध्ययन सामग्री से आए है।

इतिहास by विजय कुमार

टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा : इतिहास एवं सामान्य अध्ययन

विशेषताएँ

- पूर्णतः संशोधित एवं परिष्कृत अध्ययन सामग्री।
- साप्ताहिक क्लास रूप टेस्ट; कठिन उत्तरों की कारणों सहित सम्पूर्ण व्याख्या।
- मानचित्र पर आधारित प्रश्नों पर विशेष बल।
- सिलेबस के अत्याधिक कठिन खंडों पर विशेष बल।
- प्रत्येक खण्ड की समाप्ति पर doubt clearance कक्षा।
- अपेक्षाकृत कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान।
- मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व ली गई टेस्ट शृंखला (व्याख्या सहित) का विशेष पैकेज। (बिल्कुल मुफ्त)

पत्राचार पाठ्यक्रम

संस्थान में कक्षा पाठ्यक्रम के अलावा सामान्य अध्ययन तथा इतिहास के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। जो उन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो आर्थिक या अन्य कारणों से दिल्ली आकर तैयारी करने में सक्षम नहीं है। पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री अपेक्षित शुल्क के बैंक ड्रॉफ्ट जो Vijay Kumar (Director लक्ष्य IAS) के नाम दिल्ली में देय हो, भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।

Fee : Main - 3100, P.T. 2600/-
Basement : B-9, A-31-34, Jaina Extension, Comm. Complex
Dr. Mukherjee Ngr, Delhi-9, Ph. : 65182199, 9891123699

YH-8/08/12

सुखी महिला सेवा मंडल

1990 में सेवा ने बड़ोदरा जिले के सुखी बांध से प्रभावित गांवों में तीन वर्ष की पुनर्वास परियोजना हाथ में ली। तीन वर्षों बाद 'सेवा' को लगा कि इन कार्यों का विस्तार और विकास आदिवासियों के लिये भी किया जाना चाहिए। अत: सेवा ने 'सुखी महिला सेवा मंडल' के नाम से एक संघ का गठन किया। 1995 में इसका पंजीकरण किया गया। यह संघ बड़ोदरा जिले के सुखी बांध से प्रभावित ग़रीब महिलाओं के लिये है। वर्तमान में यह संघ पावी जेतपुर, सनखेड़ा और छोटा उदयपुर के विकास खंडों में सक्रिय है। सुखी महिला सेवा मंडल की 27,000 सदस्याएं हैं। इनमें से 6,250 का बीमा हुआ है और 685 महिलाएं समेकित समूहों की सदस्य हैं। समेकित समूह की सदस्य होने के नाते ये महिलाएं बचत, बीमा, कार्य सुरक्षा कोष और संघ के सदस्यता शुल्क के रूप में नियमित योगदान करती हैं।

इन समेकित समूहों के फलस्वरूप, सदस्याओं को अपनी बीमा प्रीमियम किस्तों में भुगतान करने की सुविधा है। बीमा प्रीमियम में उनकी तथा उनके पतियों का बीमा भी कवर होता है। इस तरीक़े से सदस्य अपनी प्रीमियम राशि समय पर जमा करने में समर्थ होते हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि महिलाओं के पास एकमुश्त प्रीमियम राशि जमा करने के पैसे नहीं हों। इसी के साथ-साथ इससे संघ के कार्यालय के ख़र्च में भी कमी आती है क्योंकि उनको पैसा जमा करने के लिये बार-बार नहीं जाना पड़ता। बीमा के नवीकरण की दर 2004 में 53 प्रतिशत थी, जोकि 2005 में बढ़कर 72 प्रतिशत और 2006 में 68 प्रतिशत हो गई। समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली के परिणामस्वरूप हम बीमा मामलों में वृद्धि के साथ-साथ उसके नवीकरण दर को भी बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। इससे जिला संघ को अपना खर्च़ कम करने में भी मदद मिली है। इस योजना के फलस्वरूप संगठन कर्ताओं को प्रीमियम, बचत राशि, सदस्यता शुल्क आदि के संग्रहण के लिये बार-बार उसी गांव में जाना नहीं पड़ता। सुखी सेवा महिला मंडल ने इन खर्चों में क़रीब 71 प्रतिशत की कमी की है।

धीरे-धीरे और अधिक लोग समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली के लाभों से परिचित होते जा रहे हैं। इसका परिचय समेकित समूहों की संख्या में वृद्धि से मिलता है:

वर्ष	समूह संख्या
2004	83
2005	145
2006	175
2007	204

'अगस्त तक'

निष्कर्ष

सेवा के समेकित प्रयासों के विभिन्न तत्व सदस्याओं के पास विभिन्न तरीक़ों से विभिन्न समय पर और उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पहुंचते हैं। समेकित वित्तीय सेवा प्रणाली सेवा के उस मिशन को साकार रूप देती है जो महिलाओं को निर्धनता के दुष्चक्र से बचाने हेतु व्यापक मदद पहुंचाने के लिये तैयार किया गया है। यहां चुनौती केवल यह है कि उस वित्तीय पैकेज़ को किस प्रकार बनाया जाए कि उससे दीर्घावधि सुरक्षा भी प्राप्त हो और जिसका पेशेवराना प्रबंधन भी हो। इसी के साथ-साथ वह कम ख़र्चीली और ग़रीबों की जेब के लायक भी हो। ❑

(लेखिका अहमदाबाद स्थित स्वनियोजित महिला संघ (सेवा) की निदेशक हैं)

योजना

सितंबर 2008

अंक

वन अधिकार अधिनियम पर केंद्रित

- **सरकार ने लंबे समय से लंबित वन अधिकार कानून अधिसूचित कर दिया है। यह अधिनियम आदिवासियों को वन भूमि पर वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। अनेक राज्यों में इस पर कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका है।**
- **योजना का सितंबर 2008 अंक वन अधिकार अधिनियम के विश्लेषण पर केंद्रित है। इस अंक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर, बाघ परियोजना के पूर्व निदेशक पी.के. सेन और प्रसिद्ध पर्यावरण कानून विशेषज्ञ संजय उपाध्याय के साथ-साथ अन्य विशेषज्ञों के लेख सम्मिलित हैं।**

भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि से उत्थान

● संजय कुमार

देश की आज़ादी के 60 साल बाद भी लगभग 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके कम से कम एक सदस्य को साल में कम से कम एक दिन भूखा रहना पड़ता है। आज हमारी आबादी एक अरब से भी ऊपर जा चुकी है। लेकिन बढ़ती आबादी, बेरोज़गारी और घटती खाद्यान्न की पैदावार ने लोगों को दो जून की रोटी के लिये तरसा रखा है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 184 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाले भारत में प्रतिवर्ष 90 करोड़ टन दूध (विश्व में सबसे ज्यादा), 150 करोड़ टन फल व सब्ज़ी (विश्व में दूसरा स्थान), 485 करोड़ पशुधन (संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक), 204 करोड़ टन खाद्य अनाज (विश्व में तीसरा स्थान), 63 करोड़ टन मछली (विश्व में तीसरा स्थान) का उत्पादन होने के बावजूद यहां के लोगों को भूखा सोना पड़ता है।

दूसरी ओर, सरकारी और गैरसरकारी प्रयास हर स्तर पर किए जाते हैं ताकि कोई भी भूखा न रहे, सभी को कम से कम दो जून की रोटी नसीब हो। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आधुनिकता व भूमंडलीकरण के बावजूद स्थिति में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हो पा रहा है। ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले रोज़ाना भूखे पेट नहीं सोएं इसके लिये वे संघर्ष करते दिखते हैं। इन दिनों स्थिति और बदतर हो गई है। भारत सहित पूरा विश्व अनाज के संकट से जूझ रहा है। पूरे विश्व में पिछले नौ महीनों में अनाज के भाव 45 प्रतिशत तक बढ़े हैं। अनाज की बढ़ती क़ीमतों ने भारत सहित विश्व के कई देशों में महंगाई की दर बेतहासा बढ़ा दी है।

जहां तक भूखा रहने का सवाल है तो वर्ष 2004-05 में किए गए सर्वे के मद्देनज़र राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट संख्या 512 के अनुसार, एक हज़ार परिवार में से 21 परिवार ऐसे हैं जिनके कम से कम एक सदस्य को महीने में एक दिन खाना नहीं नसीब हुआ। अरुणाचल प्रदेश में एक हज़ार परिवार में से 122, पश्चिम बंगाल में 91 और उड़ीसा में 75 परिवार ऐसे रहे जिनके एक सदस्य को दो जून का खाना नहीं नसीब हुआ और उन्हें भूखे ही रहना पड़ा। संपन्न सात राज्यों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, चंड़ीगढ़, दादर व नगर हवेली और दमन व दिव में किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ा। सभी को दो जून का खाना नसीब होता है। वहीं देश के कई अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को भूखा रहना पड़ा।

देश में बढ़ती आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है जिससे कई राज्यों में भीषण अल्पपोषण और कुपोषण आम बात है, खासकर बच्चों में। जहां एक ओर लोग भूखे रह रहे हैं वहीं, ग़रीबी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। योजना आयोग के अनुसार, वर्ष 2004-05 में देशभर में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगभग 30 करोड़ 17 लाख थी जो कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगभग 22 करोड़ 9 लाख था, जो कुल जनसंख्या का 28.3 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या आठ करोड़ सात लाख ही थी, जो कुल जनसंख्या का 25.7 प्रतिशत है। ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहां क़रीब 5 करोड़ 90 लाख लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं। दूसरा नंबर बिहार का आता है, जहां क़रीब 3 करोड़ 69 लाख लोग ग़रीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में क़रीब 3 करोड़ 17 लाख और मध्य प्रदेश में क़रीब 2 करोड़ 49 लाख लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं।

हालांकि आकड़े बताते हैं कि देश में ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों के प्रतिशत में कमी आई है। 1977-78 में यह प्रतिशत 51.3 था। 1993-94 में घटकर 36 प्रतिशत हो गया और 2004-05 में यह आंकड़ा घटकर 27.5 प्रतिशत हो गया। देश में सबसे कम ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले राज्यों में लक्षद्वीप (11 हज़ार), दमन व दिव (21 हज़ार), चंड़ीगढ़ (74 हज़ार) अंडमान द्वीप (12) हज़ार शामिल हैं वहीं सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में क़रीब एक से दो लाख लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं।

कृषि हमारे देश की रीढ़ है। छोटे व सीमांत किसानों की संख्या यहां क़रीब 84 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो देश के लगभग 57 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 73 प्रतिशत लोगों को रोज़गार देता है। सबको भोजन मिल सके इसके लिये कृषि क्षेत्र को नज़रअंदाज न करते हुए अधिक अहमियत देने की ज़रूरत है। किसानों की ज़रूरतों के मद्देनज़र राष्ट्रीय किसान आयोग बना, जिसने एक एकीकृत रणनीति रखते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य, सिंचाई पर लगातार ध्यान रखने और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग पर ज़ोर देने के साथ ही किसानों के कर्ज़ व बीमा व्यवस्था में सुधार, खेती की नयी तकनीक और बाज़ार की सुविधा जैसे अहम पहलुओं पर सरकार को ध्यान देने का प्रस्ताव रखा। इस दिशा में सरकारी प्रयास देखे भी जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आम बजट 2008-09 में किसानों की कर्ज़ माफ़ी जैसे कदम उठाकर जताया कि वह किसानों के हितों के प्रति कितना सचेत है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि किसानों के हितों के साथ ही देश की जनता का हित जुड़ा है। देश में हर किसी को भोजन मिल सके, इस पर हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन मानते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग के सुझाव के मद्देनज़र देश में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रभुसत्ता परिषद स्थापित की जानी चाहिए और हमें पूरी जानकारी के साथ प्रोएक्टिव फैसले करने तथा इन पर तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता एवं आदत विकसित करनी होगी, तभी हम ज़रूरी खाद्यान्न भंडार को बना पाएंगे साथ ही सार्वजनिक वितरण

प्रणाली को सभी तक पहुंचा पाएंगे।

ज़मीन सीमित हैं और आबादी हर दिन बढ़ती जा रही हैं सभी को भोजन मिले इसके लिये ज़मीन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कई कारणों से ज़मीन बेकार पड़ी रहती है साथ ही भारी मात्रा में कृषि उपज की बरबादी भी होती है। ऐसे में सलाहकार संस्थाओं की भूमिका कारगर हो सकती है जो समय-समय पर किसानों को उचित सलाह दे सकें। हालांकि लोग भूखे पेट नहीं सोएं इसके लिये सरकारी प्रयास के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई और क़रीब 3,000 करोड़ की राशि वाला यह अभियान मात्र चार फ़सलों - चावल, गेहूं, दाल एवं तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने में लगा। 11वीं योजना के अंत तक चावल का उत्पादन एक करोड़ टन बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया जबकि गेहूं का उत्पादन 80 लाख टन और दालों का मात्र 20 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि मंत्रालय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर पाने में असफल रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं आयातक बन चुका है। वर्ष 2006 में भारत ने 55 लाख टन गेहूं का आयात किया था।

हाल ही में कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब तुर्की में गेहूं की कम पैदावार से पूरी दुनिया पर खाद्यान्न संकट के बादल गहराने लगे हैं। इससे गेहूं के मूल्य 90 प्रतिशत तक बढ़ गए है। दुनिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में सूखा व अन्य कारणों से आपूर्ति प्रभावित हुई है। बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को जबर्दस्त नुक़सान पहुंचाया है, जिससे घरेलू पैदावार में कमी के आसार हैं। हालात को देखते हुए इधर कृषि मंत्रालय ने अधिकाधिक गेहूं की सरकारी ख़रीद और बड़ी मात्रा में भंडारण को वरीयता दी है। गेहूं की इस रबी वर्ष में उत्साहवर्धक उपज ने इस अभियान को सफल बनाया है।

देश में खाद्यान्न पैदावार की स्थिति वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 में मामूली बढ़ोतरी हुई है जबकि वर्ष 2002-03 में भारी गिरावट देखी गई थी। कृषि मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में वर्ष 2005-06 में 2,08,601.6 हज़ार टन खाद्यान्न की पैदावार हुई। पिछले पांच वर्ष के आंकड़ों पर नज़र डालें तो साफ होता है कि देशभर में वर्ष 2003-04 में सबसे ज्यादा खाद्यान की पैदावार 2,13,189.4 हज़ार टन हुई। वहीं सूखा व प्राकृतिक आपदा की वजह से सबसे कम पैदावार वर्ष 2002-03 में मात्र 1,74,771.4 हज़ार टन ही हो पाई थी। अगले वर्ष देशभर में अच्छी पैदावार हुई लेकिन उसके बाद गिरावट दर्ज़ की गई। वर्ष 2004-05 में 1,98,362.8 और वर्ष 2005-06 में 2,08,601.6 हज़ार टन ही खाद्यान्न की पैदावार हुई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वार्षिक रिपोर्ट और मई 2007 कृषि पर गठित नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की सब कमिटी द्वारा योजना आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के हालिया पैदावार क्षमता को चालीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये ज़रूरी है कि पर्याप्त सुविधा और प्रोत्साहन दिए जाएं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों में गेहूं की पैदावार 3.5 से 4.5 टन प्रति हेक्टेयर हुई जो चीन के 4.25 टन के बराबर है। वहीं अमरीका के 2.9 टन और ऑस्ट्रेलिया के 1.6 टन के मुक़ाबले काफी बेहतर है।

केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जनवरी में देश में गेहूं और चावल का भंडार न्यूनतम स्तर से नीचे जा पहुंचा दी। आंकड़ों के अनुसार, सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का भंडार न्यूनतम स्तर दो करोड़ टन से कम हो गया था। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अनाज का सुरक्षित भंडार न्यूनतम 20 करोड़ टन होना चाहिए। लेकिन जनवरी माह में यह केवल 19.2 करोड़ टन ही था। जबकि जनवरी 2004 में यह स्टॉक 24.4 करोड़ टन था। लेकिन बंपर रबी सीजन के बाद अब भारतीय खाद्य निगम के अनुसार, देश में अनाज की कमी नहीं है।

सीमित ज़मीन और बढ़ती आबादी के मद्देनज़र खाद्यान्न की कमी से लोगों को दो जून के भोजन के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर सरकार ने ग़रीबी दूर करने, लोगों को दो जून का खाना मिले, इसके लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं चला रखी है। कोई भूख से न मरे इसके लिये हर परिवार को अनाज मुहैया कराए जाने का प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना को एक अप्रैल, 2008 से पूरे देश में लागू कर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। इसके तहत लोगों को रोज़गार मिलेगा। ज़ाहिर है जिस ग्रामीण को रोज़गार मिलेगा उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। हालांकि यह योजना पहले से ही देश के कुछेक क्षेत्रों में लागू थी। देश में ग़रीबी दूर करने के लिये सरकारी स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम को नये रूप में अंजाम देने का प्रयास किया गया है जो अप्रैल 2007 से लागू हुआ। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण निर्धनता, अच्छी फसलें, सिंचाई के पानी का सदुपयोग, गांवों के लिये ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, वर्षा पर निर्भर खेती की व्यूह रचना, भूमि सुधार, जनसंख्या पर रोक, ग्रामीण श्रम के लिये कार्यक्रम, वानिकी की नयी समूह रचना, स्वच्छ जल, मलिन बस्तियों का सुधार, उपभोक्ता का समुत्थान, शिक्षा पर ज़ोर, युवाओं के लिये नये अवसर, महिलाओं के लिये समानता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये न्याय, सबके लिये स्वास्थ्य, जिम्मेदार प्रशासन और आवास की सुविधा शामिल है।

भूख और ग़रीबी से लड़ने के लिये ज़रूरी है किसानों की दशा को ठीक करना। किसानों के लिये अधिक आय कैसे सुनिश्चित हो इस पर विशेष ज़ोर देने की ज़रूरत है। साथ ही ज़रूरत है किसानों को दिए जाने वाले समर्थन मूल्य में वृद्धि की। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को ऐसा मौलिक तंत्र बनाया जाना चाहिए जो किसान केंद्रित हो। किसानों की आय में इज़ाफ़ा, फसल बीमा को और कारगर बनाने और कृषि क्षेत्र से जुड़े हर पहलू में गुणात्मक वृद्धि करने के लिये एक रोड मैप होना विकास के लिये कारगर होगा। सबसे ज़रूरी है खाद्यान्न संकट से निपटने के लिये खाद्यान्न सुरक्षा नीति की दिशा में सकारात्मक सोच को विकसित करना। इसके लिये खेती और किसानों के हितों और ज़रूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आमतौर पर भारतीय किसान असुरक्षित महसूस करते हैं। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के 60 प्रतिशत हिस्से को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है। इसके लिये मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। सीधी-सी बात है लोगों को भूख से बचाने के लिये खाद्यान्न पैदावार को बढ़ाना होगा और इसके लिये कृषि क्षेत्र को मज़बूत बनाना होगा। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि का वास्तव में उत्थान होगा तो यक़ीनन कोई भूखा सोने पर मज़बूर नहीं होगा और ग़रीबी में भी कमी आएगी। ❑

(लेखक आकाशवाणी पटना में समाचार संपादक हैं।
ई-मेल: leesanjudigi@yhoo.co.in

मातहतों को सम्मान दिलाने में आगे थे मानेकशा

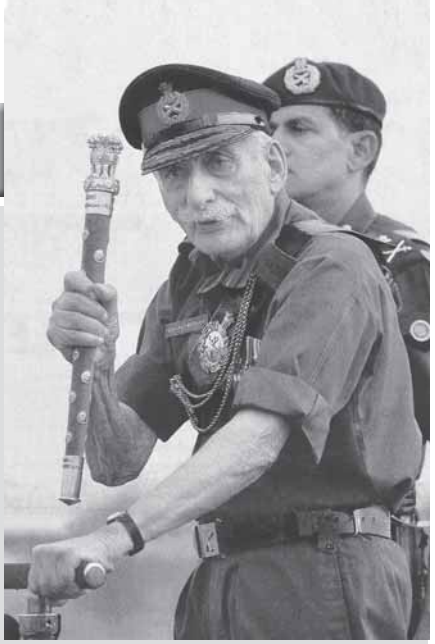

फील्ड मार्शल सैम होरमुसजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशा भारतीय सेना के उन विरले सेना नायकों में थे जो न सिर्फ़ निर्भय और बेबाकी से अपनी बात करते थे बल्कि अपने मातहतों को वाजिब सम्मान दिलाने के लिये तत्पर रहते थे।

मानेकशा की यह खूबी 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान सामने आई जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण का साक्षी बनने जाने के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर कहा कि यह सम्मान उनके पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को मिलना चाहिए।

मानेकशा ने कहा कि वह सिर्फ़ उस स्थिति में जा सकते हैं जब पूरी पाकिस्तानी सेना समर्पण कर रही हो।

प्यार से 'सैम बहादुर' के नाम से पुकारे जाने वाले मानेकशा का पिछले दिनों तमिलनाडु के वेलिंगटन में 94 साल की अवस्था में निधन हो गया।

फील्ड मार्शन की पदवी से नवाज़े जाने वाले मानेकशा सिर्फ़ दूसरे भारतीय हैं। उनके अलावा यह सम्मान जनरल के. एम. करियप्पा को मिला था।

रुतबेदार व्यक्तित्व और रोबीली मूछों के स्वामी मानेकशा ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को न सिर्फ़ ऐतिहासिक जीत दिलाई बल्कि भारत की इस विजय से दुनिया में एक नये राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।

उन्हें कुछ अन्य दुर्लभ सम्मान भी हासिल थे जिसमें उनकी बहादुरी के लिये मिलिट्री क्रॉस से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मोर्चे पर ही सम्मानित किया जाना शामिल है।

वह पहले भारतीय अधिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद गोरखों की कमान संभाली और इन्हीं गोरखों ने उन्हें 'सैम बहादुर' के नाम से सबसे पहले पुकारना शुरू किया।

मानेकशा का जन्म 3 अप्रैल, 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार गुजरात के छोटे से शहर वलसाड से पंजाब आ गया था। वह 1969 में भारतीय सेना के आठवें सेनाध्यक्ष बने।

मानेकशा ने दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा अभियान के दौरान सितांग नदी के पास 4.12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कैप्टन के तौर पर कमान संभाली थी। इसी युद्ध के दौरान उन्हें नया जीवन भी मिला। वह बर्मा में आक्रमण कर रही जापानी सेना के ख़िलाफ़ मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। अभियान के दौरान एलएमजी बुलेट फटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके पेट में चोट आई थी।

कई सैनिक जीतों के शिल्पी और कुशल रणनीतिकार मानेकशा ने बांग्लादेश युद्ध के समय काफी सावधानी से पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारतीय हमले की योजनाएं तैयार की थी। इसी का नतीज़ा था कि पाकिस्तानी फौज ने 14 दिन में ही घुटने टेक दिए और बांग्लादेश का उदय हुआ। भारतीय सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में भीतर तक प्रवेश कर लिया और लाहौर तक पहुंच गई।

मानेकशा का सैन्य जीवन ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था। उन्होंने पांच युद्ध लड़े जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल है।

अमृतसर और शेरवुड कॉलेज (नैनीताल) में अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद मानेकशा एक अक्तूबर, 1932 को देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले बैच में शामिल 40 कैडटों में थे। दिसंबर 1934 को वह आईएमए से उत्तीर्ण हुए और भारतीय सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट बने। उन्हें पहले रॉयल स्कॉट के साथ रखा गया और बाद में वह 4-12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात हुए।

बर्मा में लगे जानलेवा जख्मों के भर जाने के बाद मानेकशा क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में एक पाठ्यक्रम के लिये गए और बाद में वहां इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी सेवा की। उसके बाद उन्हें जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) स्लिम की 14 वीं आर्मी के अधीन 12 फ्रंटियर फोर्स राइफल्स में भेजा गया।

दूसरे विश्व युद्ध के अंत के वक्त मानेकशा को जनरल डेजी के स्टाफ अफसर के तौर पर भारत से चीन में भेजा गया जहां जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने दस हज़ार से अधिक युद्धबंदियों के पुनर्वास में मदद की।

उन्होंने पूर्वी कमान के जीओसी इन कमांड के तौर पर नगालैंड में उग्रवाद के जटिल समस्या का मुक़ाबला किया। देश ने 1968 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।

भारत के राष्ट्रपति ने देश के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिये उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से नवाज़ा।

राष्ट्रपति ने 1 जनवरी, 1973 को उन्हें प्रतिष्ठित मानद पदवी 'फील्ड मार्शल' प्रदान किया। उसके एक पखवाड़े बाद वह 15 जनवरी, 1973 को भारतीय सेना से रिटायर हो गए।

मानेकशा की बात तब सही साबित हुई जब भारतीय सेना को पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी में शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा जो अब अरुणाचल प्रदेश है। चीनियों के हाथों पराजय के बाद मेनन को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीछे लौट रही भारतीय फ़ौज की कमान संभालने के लिये मानेकशा को एनईएफए भेजा। इसका हतोत्साहित अधिकारियों पर विद्युतीय असर हुआ।

मानेकशा ने सैनिकों को अपने पहले आदेश में कहा कि लिखित आदेश के बिना कोई वापसी नहीं होगी और ये आदेश कभी जारी नहीं किए जाएंगे। सैनिकों ने अपने नये कमांडर में विश्वास दिखाया और चीनियों की बढ़त को रोक लिया।

अवकाश ग्रहण करने के बाद मानेकशा तमिलनाडु में नीलगिरि के कुनूर में बस गए। ❑

विश्व धरोहर बना शिमला-कालका रेल लाइन

शिमला-कालका रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्ज़ा दे दिया है। एक अनपढ़ मज़दूर भलखू ने 135 साल पहले शिमला की पहाड़ियों में इस रेल लाइन के सर्वे में अंग्रेज इंजीनियरों की मदद की थी। अब एक सौ पांच साल बाद इस रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है।

इतने साल बाद भी इस रेल लाइन में संचार का वही बरसों पुराना तंत्र काम कर रहा है। 96 किलोमीटर लंबी शिमला-कालका रेल लाइन पर गाड़ी को रोकने व रवाना करने के लिये अब भी लालटेन का इस्तेमाल किया जाता है। सोलन के पास बड़ोग स्टेशन में अभी भी हाथ से पेंट की गई क्राकरी और फर्नीचर रखे हुए हैं। यह सारा सामान ब्रिटेन में बना हुआ है।

तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने 1903 में इस रेल लाइन का उद्घाटन किया था। देवदार, ओक व अल्पाईन के घने जंगलों से होकर गुजरने वाली शिमला-कालका ट्रेन से यात्रा अपनेआप में यादगार है। छोटी रेल लाइन पर शिमला-कालका अपना सफ़र एक सौ दो सुरंगों से गुज़रकर पूरा करती है। इनकी ऊंचाई भी समुद्र तल से बहुत ज्यादा है। कोठी की सुरंग समुद्र तल से 2,276 फुट की ऊंचाई पर है। इस ट्रेन को विश्व धरोहर का दर्ज़ा देने की प्रक्रिया काफी दिन से चल रही थी। इस सिलसिले में पिछले साल यूनेस्को की टीम ने यहां का दौरा किया था।

इस रेलमार्ग पर अभी भी नील्ज रोकन इंस्ट्रूमेंट नाम का पुराना संचार तंत्र इस्तेमाल किया जाता है। दो स्टेशनों के बीच संपर्क के लिये बाबा आदम के ज़माने के ब्लॉक फोन का इस्तेमाल होता है। इस ट्रेन को रोकने व रवाना करने के लिये लाल और हरी बत्ती की लालटेन इस्तेमाल की जाती है। यह ट्रेन अभी भी (अब संग्रहालयों की सज्जा बन चुके) भाप इंजन से चलती है। सन् 1903 में शुरू हुई इस रेल लाइन के निर्माण पर सोलह मिलियन रुपये की लागत आई थी। इस रेल लाइन के निर्माण के मुख्य इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन थे। शुरू में इस ट्रेन में सिर्फ़ यूरोपीय लोगों को ही सफ़र करने की इज़ाजत थी। दुनिया की सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव वाला रेलमार्ग होने के नाते इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज़ है।

हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "इस रेल लाइन को विश्व धरोहर का दर्जा मिलना हिमाचल प्रदेश के लिये गौरव की बात है।" ❑

यूनेस्को की
विश्व विरासत सूची में भारत

28 स्मारक

आगरा किला
अजंता गुफाएं
एलोरा गुफाएं
ताजमहल
महाबलीपुरम के स्मारक
कोणार्क का सूर्य मंदिर
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
मानस अभयारण्य
गोवा के चर्च
फतेहपुर सीकरी
हम्पी के अवशेष
खजुराहो मंदिर
एलीफैंटा गुफाएं
चोल मंदिर
पट्टाइकल के स्मारक
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान
नंदादेवी और फूलों की घाटी
सांची का स्तूप
हुमायूं का मक़बरा
कुतुब मीनार
मान्टेन रेलवे
बोधगया का महाबोधि मंदिर
भीमबेटका की गुफाएं
चंपानेर पावागढ़ पार्क
मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
दिल्ली का लाल किला
शिमला-कालका रेल लाइन

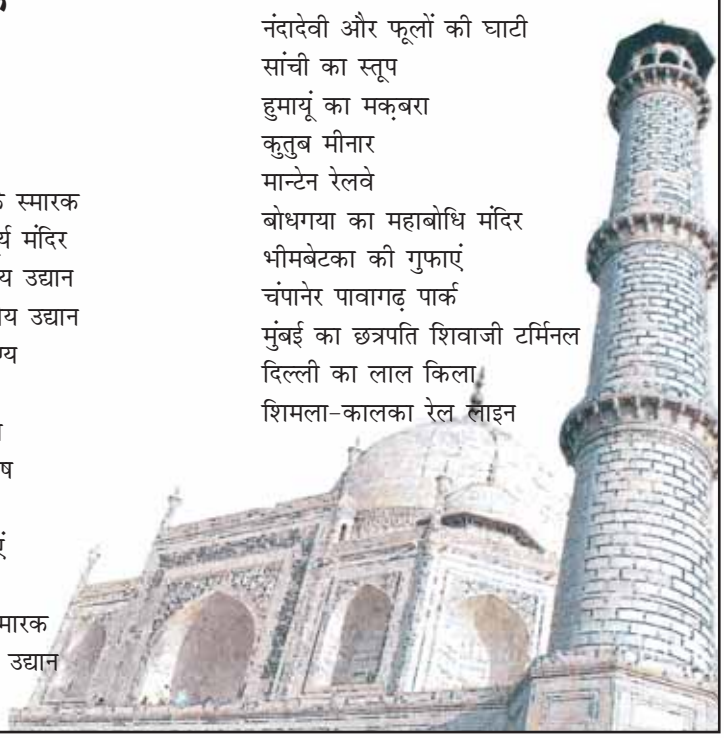

ख़बरों में

● **मक्का निर्यात पर पाबंदी**

महंगाई की बढ़ती दर पर काबू पाने के उपाय के क्रम में सरकार ने 15 अक्तूबर तक के लिये मक्का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि घरेलू बाज़ार में उपलब्धता बढ़ाई जा सके और मुर्गी के चारे व अन्य उत्पादों की क़ीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के जरिये इस प्रतिबंध की घोषणा की गई।

वित्त वर्ष 2007-08 की बंपर पैदावार के बावजूद जुलाई में मक्के की क़ीमत 40 फीसदी बढ़कर 970 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरकार ने गेहूं, गैर बासमती चावल, खाद्य तेल और दालों के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत मक्का का विश्व में छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत द्वारा मक्के के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार पर असर पड़ेगा। भारत के वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 25 लाख टन मक्के का निर्यात हुआ था जबकि इसके पिछले साल 10 लाख टन मक्के का निर्यात किया गया था।

अमरीका के मुकाबले भारत में मक्का लगभग आधी क़ीमत पर मिलता है। मुर्गी पालक और कलफ विनिर्माता निर्यात पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे थे ताकि घरेलू क़ीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

● **सीआरआर और रेपो रेट में इज़ाफ़ा**

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति की रफ़्तार पर काबू पाने के लिये रेपो रेट और सीआरआर (नकद सुरक्षित अनुपात) में 50 बेसिक पाइंट की वृद्धि कर दी है। रिज़र्व बैंक के इस कदम का सीधा असर यह होगा कि अब बैंकों से गृह ऋण और व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के लिये अधिक ब्याज देना होगा। रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट को आठ से बढ़ाकर साढ़े आठ प्रतिशत कर दिया है।

रेपो रेट की नयी दरें तुरंत लागू मानी जाएंगी। रेपो रेट में पिछली 11 जून को ही 0.25 फीसदी का इज़ाफ़ा किया गया था। जहां तक सीआरआर की बात है तो इसे 8.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

रेपो रेट वह होता है जिस दर पर रिज़र्व बैंक से अन्य बैंक ऋण लेते हैं। उधर सीआरआर की दर को बढ़ाने का अर्थ यह होगा कि अब बैंकों को अपने पास अधिक धन रखना होगा। इस बीच, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष पी.के. जैन ने कहा कि रेपो रेट और तथा सीआरआर में बढ़ोतरी के बाद बैंक अपने विभिन्न ऋण महंगे कर देंगे।

● **आतंकवाद के खिलाफ़ दारुल उलूम का फतवा**

आतंकवाद के खिलाफ़ गत महीने एक सम्मेलन में अग्रणी इस्लामी संस्था दारुल उलूम ने आतंकवाद के खिलाफ़ फतवा जारी करते हुए इसे सर्वाधिक अमानवीय अपराध करार दिया। फतवा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के दौरान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्लाम की नज़रों में दुनिया में कहीं भी दंगा, शांति भंग करना, खून-ख़राबा करना, मासूम लोगों की हत्याएं करना सर्वाधिक अमानवीय अपराध है। जमियत-उलेमा-ए-हिंद के सम्मेलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धार्मिक नेताओं के अलावा देशभर से क़रीब 70 हज़ार लोग शामिल हुए। फतवे में कहा गया है कि इस्लाम शांति पसंद है। इस्लाम सभी प्रकार की हिंसा को अस्वीकार करता है, किसी रूप में इसकी इज़ाजत नहीं देता। सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई जिसमें अधिकतर देश मुस्लिमों के प्रति सही नज़रिया नहीं रखते।

● **विकास दर प्रभावित हुए बिना महंगाई दर काबू होगी**

सरकार ने विश्वास जताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर और सीआरआर में बढ़ोतरी से आर्थिक विकास दर को प्रभावित किए बिना मुदास्फीति पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि आरबीआई का उद्देश्य औसत मांग को नरम बनाना है। इस उद्देश्य को हासिल करने का इरादा तो है साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सकल आर्थिक विकास की संभावनाएं सकारात्मक बनी रहें। बयान में कहा गया कि मुद्रास्फीति की बढ़ती दर पर काबू पाने के लिये यह कदम उठाना ज़रूरी था। मुद्रास्फीति की दर 11 फीसदी के पार हो गई है।

बयान में कहा गया कि न्यूयार्क मर्केटाइल एक्सचेंज में कच्चे तेल की क़ीमत 20 जून को चढ़कर 136.80 डॉलर प्रतिबैरल हो गई। केंद्रीय बैंक के फैसले का स्वागत करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा आरबीआई के नीतिगत रुख से घरेलू और विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ना चाहिए। देश में खाद्यान्न भंडार की अच्छी स्थिति का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन सुधरा है। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर भी ठीक है।

इसी बीच मुंबई से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिज़र्व बैंक ने कहा है कि मौद्रिक और मैक्रोइकोनॉमिक गतिविधियों पर सतत नज़र रखते हुए ज़रूरी हुआ तो उचित उपाय किए जाएंगे।

बैंक ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा देश में कुछ ऐसे मुद्रास्फीतीय कारक हैं जो महंगाई पर दबाव बना रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा कि सार्वजनिक नीति का महत्वपूर्ण तत्व औसत मांग को नरम बनाना होना चाहिए ताकि मूल्य पर और दबाव न बने।

आरबीआई ने कहा कि छह जून को औसत जमा राशि वार्षिक आधार पर 23.2 फीसदी बढ़ गई जो 2008-09 के अनुमानित आंकड़े 17 फीसदी से ज्यादा है। ❑

वर्षा ऋतु की बीमारियां और उनसे बचाव

● राकेश सिंह

वर्षा ऋतु हमारे लिये हज़ार नेमते लेकर आती है, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। इस मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज़्म कम जाता है जो हमारी पाचन क्षमता को प्रभावित करता है। गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां भी कम नहीं होतीं। मच्छरों और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और वे बीमारियों का दूसरा बड़ा जरिया बनते हैं। वरिष्ठ चिकित्सक ने प्रस्तुत लेख में ऐसी ही कुछ बीमारियों के कारण और निदान की चर्चा की है

हैज़ा एक संक्रामक रोग है, जो विविरियो कोल्री नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ये जीवाणु साधारण दूषित जल के माध्यम से रोगी से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं। कई बार सीधे रोगी के संपर्क में आने से स्वस्थ मनुष्य को हैज़े का संक्रमण हो सकता है। हैज़ा को कॉलरा भी कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मुंह के माध्यम से पहुंच कर विवरियो-कोल्री जीवाणु छोटी आंत का संक्रमण करते हैं। यह संक्रमण इन जीवाणुओं द्वारा स्रावित एक जहरीले पदार्थ के कारण होता है जिसे 'इंटीरोटॉक्सिन' कहा जाता है। यह केवल मानव शरीर में स्थित छोटी आंत की दीवारों पर ही अपना दुष्प्रभाव डालता है जिसके फलस्वरूप रोगी को दस्त की शिकायत हो जाती है। आमतौर पर लगभग नब्बे प्रतिशत रोगियों में यह सामान्य अतिसार की तरह उत्पन्न होती है परंतु कुछ लोगों में यह जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। यह रोग सभी आयु वर्गों में पाया जाता है, परंतु छोटे बच्चे इसके कुप्रभाव से ज्यादा ग्रसित होते हैं।

हैज़ा का उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है तथा *सुश्रुत संहिता* में भी इसका वर्णन किया गया है। गंदे कुओं, नहरों, पोखरों, तालाबों तथा दूषित नदियों का पानी इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कई बार रोगी के मल व उसकी उल्टी के संपर्क में आने से भी यह रोग हो जाता है। मेलों तथा पर्वों के दौरान जब बहुत से लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तब इस रोग के फैलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यह रोग उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, जिनमें साफ़-सफ़ाई का अभाव होता है तथा बहुत से लोग एक छोटी जगह पर निवास करते हैं। मक्खियां कुछ सीमा तक इस बीमारी को फैलाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। जब वे रोगी के मल अथवा उल्टी पर बैठती हैं तो हैज़े के जीवाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं। यही मक्खियां जब अन्य खाद्य पदार्थों पर जाकर बैठती है तो उस खाद्य पदार्थ में हैज़ा के जीवाणु पहुंच जाते हैं तथा उसमें पनपने लगते हैं। इस खाद्य पदार्थ को अगर कोई स्वस्थ मनुष्य खा ले तो उससे हैजा हो जाने की संभावना होती है।

हैज़ा के लक्षणों में दस्त सर्वप्रमुख है। रोगी को दस्त ज्यादा मात्रा में, बिना पेट में दर्द हुए और पतले चावल के पानी की तरह आता है। दस्तों की संख्या 40-50 प्रतिदिन तक हो सकती है। दस्तों के साथ ही उल्टी शुरू हो जाती है। कई बार उल्टी की शिकायत रोगी दस्त लगने से पहले ही करते हैं। इस प्रकार दस्त और उल्टी के कारण रोगी के शरीर में पानी और लवणों की कमी हो जाती है। शरीर में हो रही पानी की कमी का पता आम आदमी इस प्रकार लगा सकता है कि रोगी की आंखें अंदर धंस जाती हैं, गाल पिचक जाते हैं, त्वचा की चमक समाप्त हो जाती है, पेट अंदर धंस जाता है, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, नब्ज पतली हो जाती है और कई बार रिकार्ड ही नहीं की जा सकती। पैरों तथा पेट की मांसपेशियों में खिंचाव तथा दर्द का अनुभव होता है, पेशाब कम आता है और जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है, इससे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं।

रोग की इस अवस्था को 'अक्यूट रीनल फेल्योर' कहा जाता है। रोगी को बहुत बेचैनी होती है और उसे बार-बार प्यास की अनुभूति होती है। अगर इस अवस्था में भी उपचार न हो पाए तो रोगी मूर्छित हो जाता है। यह अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि रोगी के शरीर से तरल पदार्थ की समाप्ति कितनी जल्दी और कितने समय में हुई है। पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन, शरीर में तेज़ाबी मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण, एसिडॉसिस तथा लवण पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाने के कारण, डिस्इलैक्ट्रोलाइटीमिया से रोगी की मृत्यु हो जाती है।

बचाव

कुछ मामूली-सी सावधानियां बरत कर हम सभी हैज़ा जैसे भयंकर रोग से बचाव कर सकते हैं। कभी भी गंदे कुओं, तालाब, पोखरों, नहरों तथा दूषित नदियों के पानी को न पिएं। जो हैंड पंप इन तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे स्थित हैं तथा कम गहराई के हैं, उनका पानी भी ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है। खाना खाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। बाज़ार में बिक रहे कटे फल कभी न खाएं। हो सके तो पानी को उबाल कर फिर उसे ठंडा करके पिएं। साफ़ व ताज़े बने भोजन का सेवन करें। छोटे बच्चों को कभी भी बोतल से दूध न पिलाएं। हैज़ा के रोगी के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को तुरंत साबुन-पानी से धोएं। ऐसे रोगी का मल तथा उल्टी कभी भी खुले स्थान पर अथवा नदियों, नहरों आदि में न फेंके।

इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी अगर किसी अनजानी ग़लती की वजह से दस्त लग जाते हैं तो तुरंत जीवनरक्षक घोल का सेवन शुरू कर देना चाहिए। इस घोल का मुख्य उद्देश्य शरीर में हो रहे पानी व लवणों की कमी को पूरा करना है और इससे हैज़ा के रोगियों में हो रही मृत्युदर को कम किया जा सकता है।

अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में हैज़े से बचाव के टीके भी लगाए जाते हैं। यह टीकाकरण दो टीकों के रूप में होता है, जो 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर लगाए जाते हैं और 6 महीने के पश्चात बूस्टर टीका लगाया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह टीका एक साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जा सकता। यह टीका बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा क्योंकि इससे प्राप्त प्रतिरोधकता की अवधि कम होती है।

हैज़ा रोग को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिये जरूरी है कि हम इससे बचाव पर पूर्ण रूप से ध्यान दें।

अतिसार रोग

अतिसार उन बीमारियों का एक समूह है जिसका मुख्य लक्षण दस्त होता है। यह बीमारी हमारे शरीर में स्थित अंतड़ियों के संक्रमण के कारण होती है। ये संक्रमण विभिन्न जीवाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोवा द्वारा हो सकता है।

अतिसार रोग हमारे देश की स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ी समस्या है। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत में प्रतिवर्ष कई लाख बच्चे इस रोग से मरते हैं।

कुछ मामूली सावधानियां बरत कर हम हैज़ा, दस्त, अतिसार, पीलिया अथवा हेपेटाइटिस-ए सरीखे रोगों से बचाव कर सकते हैं। ये सभी रोग पूरी तरह से नियंत्रित किए जा सकते हैं। जरूरत केवल इस बात की है कि हम छोटी-छोटी सी सावधानियां बरतें, साफ़-सफ़ाई बनाए रखें, जरूरत पड़ने पर चिकित्सक की सलाह लें और इस तरह बचाव के उपायों पर पूरा-पूरा ध्यान दें

अतिसार एक संक्रामक रोग है। यह रोग बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस रोग का संक्रमण किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति में हो सकता है परंतु बच्चों में, खासतौर पर 6 माह से 2 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों में यह सबसे अधिक कुप्रभाव डालता है। जिन बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है उनमें अतिसार रोग होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बोतल साधारणत: ठीक ढंग से साफ़ नहीं हो पाती, जिसके कारण अतिसार उत्पन्न करने वाले जीवाणु उसमें पनपते रहते हैं और दूध के माध्यम से बच्चे के शरीर में पहुंच जाते हैं। कमज़ोर लोग अतिशीघ्र इस रोग के शिकार हो जाते हैं। ग़रीबी, स्वच्छता की कमी, एक स्थान पर ज्यादा लोगों का निवास करना, रोग के फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

रोगी के मल द्वारा अतिसार रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु तथा प्रोटोजोवा शरीर से बाहर आते हैं। इस मल द्वारा जल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के दूषित हो जाने से स्वस्थ मनुष्य में यह रोग फैलता है। कई बार जानवरों के माध्यम से भी यह रोग स्वस्थ मनुष्य तक पहुंचता है और कई बार सीधे रोगी के संपर्क में आने से यह उसके द्वारा उपयोग में लाई गई संक्रमित वस्तुओं का उपयोग करने से भी यह रोग फैल सकता है। ऐसी वस्तुओं में रोगी का बिस्तर, तौलिया, बर्तन आदि प्रमुख होते हैं। गंदे कुओं, नहरों, तालाबों तथा दूषित नदियों के पानी के सेवन से भी इस रोग की उत्पत्ति हो सकती है। मेलों, शादियों तथा पर्वों के दौरान जब बहुत से लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तब इस रोग के फैलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। मक्खियां भी इस बीमारी को फैलाने में अपनी भूमिका निभाती हैं।

पतले दस्त आना अतिसार रोग का मुख्य लक्षण है। ये दस्त शरीर की अंतड़ियों के संक्रमण के फलस्वरूप होता है। ये दस्त पानी की तरह पतले होते हैं और बार-बार आते हैं। इस अवस्था को 'डायरिया' कहा जाता है। कई बार इन दस्तों में खून भी पाया जाता है, इस अवस्था को 'खूनी पेचिस' या 'डाइसैंटरी' कहा जाता है। दस्तों के साथ-साथ रोगी को बुखार आना, उल्टी होना, सिर दर्द, भूख न लगता और कमज़ोरी की शिकायत भी हो सकती है। बहुत से रोगी पेटदर्द और मांसपेशियों में खिंचाव तथा दर्द की शिकायत भी करते हैं। साधारणत: ऐसी अवस्था 3 से 7 दिन के लिये होती है। अगर ठीक ढंग से उपचार न किया जाए तो दस्तों तथा उल्टियों के कारण रोगी के शरीर में पानी और लवणों की कमी हो जाती है। इस अवस्था में रोगी का रक्तचाप (ब्लड-प्रेशर) भी रिकार्ड नहीं हो पाता। पेशाब कम आता है और जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है। गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। इस अवस्था को 'अक्यूट रीनल फेल्योर' कहा जाता है। इससे रोगी को बहुत बेचैनी होती है और उसे बार-बार प्यास की अनुभूति होती है। अगर इस अवस्था में भी उपचार न हो पाए तो

रोगी मूर्छित हो जाता है और बाद में रोगी की मृत्यु हो सकती है।

बचाव

अतिसार के संक्रमण से कुछ मामूली-सी सावधानियां बरत कर हम इस रोग से बचाव कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी बोतल से दूध न पिलाएं। जहां तक संभव हो कटोरी-चम्मच से ही बच्चों को दूध पिलाएं। मां का दूध बच्चे को हमेशा देना चाहिए। यह देखा गया है कि जो बच्चे मां का दूध पीते हैं, उनमें अतिसार होने की संभावना अन्य बच्चों के मुक़ाबले बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि मां के दूध में रोग रक्षक तत्व होता है। दस्त के दौरान भी मां का दूध बच्चे को देते रहना चाहिए। जो बच्चे भोजन खा सकते हैं, उन्हें दस्त के दौरान भोजन का सेवन करते रहना चाहिए। इससे बचाव के लिये हम सभी को उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो हैजा से बचाव के लिये ज़रूरी हैं।

इन सभी बातों का ध्यान रखने के बाद भी, अगर किसी अनजानी ग़लती की वजह से किसी को दस्त होते हैं तो तुरंत जीवनरक्षक घोल का सेवन शुरू कर देना चाहिए। यह घोल अतिसार रोग के उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, जीवनरक्षक घोल, अतिसार रोग में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के कारण हो रही लगभग 10 लाख मृत्यु को प्रतिवर्ष बचा पाने में सफल रहा है। यह तथ्य जीवनरक्षक घोल की एक महान उपलब्धि है। इस घोल का मुख्य उद्देश्य शरीर में हो रही पानी व लवणों की कमी को पूरा करना है।

अतिसार रोग को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है अगर हम इससे बचाव पर पूर्ण रूप से ध्यान दें।

पीलिया (हैपेटाइटिस-ए)

जिगर (लिवर) के संक्रमण से उत्पन्न रोग को साधारण भाषा में पीलिया कहा जाता है। आमतौर पर गर्मियों तथा बरसात की ऋतु में और दूषित जल और भोजन के सेवन से उत्पन्न पीलिया को चिकित्सकीय भाषा में हैपेटाइटिस-ए कहा जाता है। इस रोग का मूल कारण हैपेटाइटिस-ए नामक विषाणु होता है। हैपेटाइटिस-ए के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के विषाणु हैं जो पीलिया रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें प्रमुख हैपेटाइटिस-बी, हैपेटाइटिस-सी, हैपेटाइटिस-डी, हैपेटाइटिस-ई, नॉन ए हैपेटाइटिस, नॉन ए नॉन बी हैपेटाइटिस आदि हैं। इनमें से हैपेटाइटिस-बी वायरस खून और खून के विभिन्न भागों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में जाता है। इंजेक्शन की दूषित सूइयों के माध्यम से भी यह वायरस एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। जबकि हैपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी का एक हिस्सा हैपेटाइटिस-बी की भांति रक्त व इसके विभिन्न हिस्सों से एक व्यक्ति से दूसरे में जाता है, तो दूसरी ओर इसका दूसरा भाग हैपेटाइटिस-ए की तरह रोगी के मल द्वारा खाद्य पदार्थों के दूषित हो जाने से एक रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण करता है। यहां हम केवल हैपेटाइटिस-ए व अन्य उन वायरसों पर ही चर्चा करेंगे जो खाद्य पदार्थों के इन वायरसों द्वारा दूषित हो जाने के कारण होता है।

हैपेटाइटिस-ए एक संक्रामक रोग है जो विषाणुओं द्वारा जिगर की कोशिकाओं के संक्रमण से उत्पन्न होता है। यह रोग संपूर्ण भारत में पाया जाता है। उन्नत देशों में यह रोग न के बराबर रह गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह रोग संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा पानी और भोजन के दूषित होने के कारण होता है। संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा विषाणु शरीर से बाहर आते हैं और जल तथा अन्य खाद्य पदार्थों के इस

IAS PCS
संवाद
हिन्दी साहित्य
कुमार "अजेय"
(B.P.S.C. Topper)
'सफलता का मानक एक सफल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सम्भव है।'
सामान्य अध्ययन
संवाद टीम
Bihar PCS : मुख्य परीक्षा (स्वतंत्र बैच)
हिन्दी साहित्य | इतिहास
दर्शनशास्त्र | L.S.W.
समाजशास्त्र | भूगोल
टेस्ट सिरीज | निबंध/साक्षात्कार
क्रैश कोर्स | For Working Students Classes on SAT&SUN
नोट : पटना में संवाद के Branch Office में भी नोट्स + कक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं
पत्राचार कोर्स उपलब्ध
203,Bhandari House (Behind Post Office)
Mukherjee Nagar, Delhi-9
27652040, 9213162103, 9891360366
YH-8/08/1

मल द्वारा दूषित हो जाने के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यह रोग पहुंचता है।

इससे जिगर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और इसके फलस्वरूप संक्रमित व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है। भारत में शुद्ध पेयजल वितरण व्यवस्था की कमी और साफ़-सफाई व मल व्ययन का समुचित प्रबंधन न होने के कारण यह रोग बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके विपरीत पश्चिमी देशों में वहां की अच्छी जल वितरण व्यवस्था और सही मल-निष्कासन माध्यम होने के कारण यह रोग लगभग खत्म हो गया है।

हैपेटाइटिस-ए के विषाणु काफी समय तक गर्मी और रासायनिक पदार्थों के प्रकोप को झेल सकते हैं। यह भी देखा गया है कि ये विषाणु पानी में भी काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। जल को वितरण हेतु साफ़ करने के लिये आमतौर पर क्लोरीन की जो मात्रा उपयोग में लाई जाती है। उससे भी ये विषाणु नहीं मरते हैं। हां, अगर पानी को 10-15 मिनट तक उबाला जाए तो ये विषाणु मर जाते हैं।

हैपेटाइटिस-ए में रोगी को बुखार आता है जो आमतौर पर बहुत तेज़ नहीं होता। उसे ठंड लगती है। सिरदर्द, थकान और निरंतर बढ़ती हुई कमज़ोरी का अनुभव होता है। रोगी की भूख धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। जी मचलाता है। उल्टी आती है। पेशाब का रंग गाढ़ा पीला हो जाता है तथा आंखें व त्वचा पर पीलापन आ जाता है। रोगी को खारिश भी हो सकती है। इस रोग में लिवर की कार्य प्रणाली फेल हो जाने के कारण होने वाली मृत्यु केवल 0.1 प्रतिशत रोगियों में देखी गई है और वह भी ज्यादा आयु वर्ग के रोगियों में अधिक पाई गई है।

इस रोग के रोगी को पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। साफ-सुथरे तरीक़े से बनी हुई मीटी वस्तुओं का सेवन लाभदायक होता है। घी, चिकने पदार्थ तथा तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए।

बचाव

हैपेटाइटिस-ए एक पूर्ण रूप से बचाई जा सकने वाली बीमारी है। अगर दिन-प्रतिदिन की कार्यशैली में थोड़ी-सी सावधानियां बरती जाएं तो इस रोग से पूरी तरह से बचाव संभव है।

हाईरिस्क समूह के लोगों को (वे लोग जो उस स्थान पर जा रहे हैं जहां हैपेटाइटिस-ए (पीलिया) फैला हो या रोगी के साथ रह रहे व्यक्तियों को) बचाव के लिये 'हियुमन इम्युनोग्लोबुलिनए' के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये इंजेक्शन ऐसे व्यक्तियों के शरीर में हैपेटाइटिस-ए के विषाणुओं के ख़िलाफ़ लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं जिसे 'पैसिव इम्युनिटी' कहा जाता है। इन इंजेक्शन का उपयोग केवल चिकित्सक की सलाह के उपरांत ही करना चाहिए।

हैपेटाइटिस-ए से बचाव के लिये रोग रक्षक टीके अब विकसित हो गए हैं, जिनका उपयोग चिकित्सक की सलाह उपरांत किया जा सकता है। ❑

(लेखक एस्कॉर्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, फरीदाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) हैं। ई-मेल: drrakeshsingh@yahoo.com)

SAROJ KUMAR'S
IAS ERA
IAS/PCS - 2008-09
हिन्दी & English Medium
IAS MAINS SPECIAL COURSE - 2 Months
Geog. (Mains)
G.S. (Mains)
History (Mains)
Essay
ADMISSION OPEN
TEST SERIES FOR MAINS
Geog. , G.S., History, Sociology & Essay
FOUNDATION COURSE
FOR 2008 - 09
4 - 5 months
POSTAL COURSE ALSO AVAILABLE
P.C.S. Special classes
Special batch for Day Scholars (working)- weekend & holidays
Contact:-
DR. VEENA SHARMA
SAROJ KUMAR'S IAS ERA
1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Road, Near Shakti Nagar Red Light, Above P.N.B. Near Delhi University North Campus Delhi-110007
Ph.: 011-64154427 Mob. : 9910360051, 9910415305
YH-8/08/3

निर्णय क्षमता दिलाए सफलता

● अखिलेश आर्येन्दु

जीवन में सफलता तभी अर्जित की जा सकती है जब हममें दूरदृष्टि, पक्का इरादा और निर्णय लेने की क्षमता हो। जिनमें ये काबिलियत होती हैं वे तमाम संघर्षों और विसंगतियों के बावजूद अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। विचारकों के मुताबिक दूरदृष्टि की ज़रूरत हर उस इंसान को पड़ती है जो हर स्थिति में अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है। जिनके पास दूरदृष्टि नहीं होती है, वे असफल हो जाने पर असफलता की वजह न ढूंढकर ईश्वर को कोसने लगते हैं। ईश्वर को कोसना यह बताता है कि आप के पास कोई दृष्टि नहीं है और न ही वह सूझबूझ है जो सफलता के लिये आवश्यक है। संकल्प और विचारशक्ति की कमज़ोरी का भी इससे पता चलता है। संघर्ष करने की प्रवृत्ति और हार न मानने की संकल्प का न होना यह बताता है कि जीवन-लक्ष्य के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं। इसलिये विचारकों ने प्रेरणा दी है कि यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्म और साधन पर विचार करो। बिना कठोर कर्म के कुछ भी विशेष हासिल नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन अपने लक्ष्य के प्रति किए गए प्रयासों की समीक्षा करना और जहां कमज़ोरी दृष्टिगत हो उसे दूर करने के लिये कटिबद्ध हो जाना आवश्यक माना जाता है। संकल्प जो भी करें वह विश्वास और आशा से परिपूर्ण हो। भावुकता से कोई निर्णय न लेकर बुद्धिमत्ता से ही निर्णय लेना चाहिए। संकल्प जो भी करें वह विश्वास और आशा से परिपूर्ण हो। निज पर भरोसा तो हो ही, परम सत्ता पर भी भरोसा रखें। लेकिन अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और भाग्य के भरोसे कोई सफलता नहीं मिलती है। यह उक्ति ध्यान रखने वाली है कि परमात्मा उसी की सहायता करता है, जो खुद अपनी सहायता करता है। अपने आदर्श ऐसे बनाएं जो विश्व मानवता का प्रेरक हो। आदर्श, प्रतिज्ञा और लक्ष्य जितनी ऊंचे होंगे उतना ही आगे बढ़ने में सुविधा होती है।

पूर्वजों ने सात मर्यादाएं बनाईं थीं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये सात मर्यादाएं हैं - चोरी न करना, व्याभिचार से दूर रहना, अहिंसा का पालन, भ्रूणहत्या से बचना, सुरापान से दूर रहना, दुष्कर्मों से घृणा और दुष्कर्म छिपाने का प्रयास न करना। कहा गया है, *भद्रं कर्णेभि: शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:* कानों से हितकारी बातों को सुनना और आंखों से भद्र चीज़ों को देखना आंखों की मर्यादा होती है। गांधीजी ने जीवन में कम से कम तीन मर्यादाओं का पालन करने की सलाह दी है - बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो।

मर्यादा पालन से लक्ष्य पाने में जहां निश्चिंतता आती है वहीं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का भी ठीक उपयोग हो जाता है। *गीता* में भगवान कृष्ण ने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से सबल बनने की प्रेरणा दी है। क्योंकि सफलता पाने के लिये यह अत्यंत आवश्यक है।

स्वामी विवेकानंद के मुताबिक कर्मवीर इंसान हर ऐसे बेहद संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में आगे बढ़ता चला जाता है जहां साधारण व्यक्ति थोड़े में ही घबरा जाता है। मतलब निरंतर आगे बढ़ते जाने का एक ही रास्ता है - निडर होकर मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते रहें। यह न सोचें कि आगे का रास्ता बीहड़ होगा, तो क्या होगा! जाहिर है यह विचार आते ही आगे बढ़ने की गति मंद पड़ जाती है।

दूसरी बात जो दूरदर्शिता में विशेष महत्वपूर्ण है, वह है अपने मकसद की ठीक जानकारी और दृढ़ इच्छाशक्ति ज्यादातर मामलों में इच्छाशक्ति कमज़ोर होने से लोगों में असफल होने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। मतलब असमंजस से दूर रहें और चल पड़ें उस ओर जहां जाना है। वहीं साथ में यह भी समझना ज़रूरी होता है कि अपने मकसद को पाने में जिस तरह का विचार कर रहे होते हैं, वह हमारी क्षमता, शक्ति और वातावरण से बाहर का तो नहीं है। मतलब हर तरफ निगाह दौड़ाकर तब आगे बढ़ें, नहीं तो समय तो बर्बाद होता ही है और भी बहुत-सी चीज़ों का नुकसान होता है। साथ में निराशा का भी अंकुरण हो जाता है। और जब निराशा पांव पसार लेती है तो छोटे और सहज लगने वाले कार्य भी पहाड़ लगने लगते हैं। जीवन में टूटन और घुटन का समावेश भी यहीं से होता है। इसलिये हर कदम सावधानी से उठाएं और विचार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। साथ में यह भी देखते रहें कि जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कहीं वह तो गलत नहीं है।

विचारकों के मुताबिक आप अपने मक़सद में तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप में इच्छाशक्ति के साथ ही साथ उत्साह और समझ भी स्तरीय हो। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं सभी में एक बात समान रही है। सभी में जबरदस्त जुनून और शक्ति रही है, जिसका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। आमतौर पर हमारे अंदर जितनी शक्ति होती है, हम उसका महज दो प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। जो दो प्रतिशत से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल संतुलित ढंग से करते हैं वे दुनिया के इतिहास में अपना नाम अमर करा जाते हैं। यदि हम एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, समय, नज़रिये और विचारशक्ति का संतुलित और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अमूमन हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिये इस पर सतत अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से असंभव दिखाई पड़ने वाला लक्ष्य भी संभव दिखाई पड़ने लगता है।

आमतौर पर हम अपनी जीवनी शक्ति के बारे में न जानते हैं और न ही आमशक्ति के बारे में। जबकि ये दोनों हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवनी शक्ति का मतलब जिससे हमारी गति को स्पंदन हासिल होता है और

आमशक्ति वह है जिससे हममें संघर्ष करने का माद्दा पैदा होता है। कहने का मतलब यह है सफलता के लिये वह सभी कुछ चाहिए जो हमें हर तरह से संतुलित करे। योग साधना इनमें बहुत मददगार होती है। ऋषि-मुनियों ने दुनिया को नयी दृष्टि दी, नये विचार और मंत्र दिए - आगे बढ़ो, संघर्ष करो और विचारवान बनो। यही बात आज भी सफलता के सूत्र के रूप में कही जा रही है। इसलिये यह कहा जाता है यदि दुनिया और समाज को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हो तो उनको पढ़ो जो सफल होकर विश्व के लिये प्रेरक बने। क्योंकि सफल व्यक्तियों का जीवन ही हमारे लिये 'पाथेय' बन सकता है।

सफलता का जो अति महत्वपूर्ण पक्ष है वह है निर्णय लेने की दृढ़ता। सफलता अनेक बार इसलिये बाधित हो जाती है कि हम उचित वक्त पर उचित निर्णय नहीं ले पाते। यह अंतर्द्वंद्व की स्थिति बड़े-बड़े कार्यों और उद्देश्यों को प्रभावित कर जाती है। उचित लक्ष्य, उचित दृष्टि, उचित समय और उचित भाव के साथ लिये गए निर्णय से असंभव दिखने वाले कार्य और लक्ष्य भी संभव हो जाते हैं। उचित समय पर उचित निर्णय न लेने से छोटे और सहज कार्य भी अत्यंत कठिन बन जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कठिन समय में देशवासियों को एक दिन का उपवास करने का निर्णय लेने के लिये प्रेरित कर देश को एक बड़े संकट से उबार लिया था।

एक गलत निर्णय आप के जीवन को बर्बाद कर आप की ज़िंदगी को अंधेरे में डुबो सकता है और एक सही निर्णय अंधेरे से निकाल कर आलोक के उस पावन पथ का पथिक बना सकता है जिस पर चलकर आप असंभव को भी संभव करने के साथ-साथ विश्व समाज का भी कल्याण कर सकते हैं।

छात्र जीवन में एक-दो नहीं अनेक बार ऐसा समय आता है जब निर्णय की घड़ी आती है। क्या बनना है? हमारी किसमें रुचि है? हमें क्या करना चाहिए? हमारी सामर्थ्य कितनी है? ऐसी अनेक बातें हैं जो जीवन की दिशा तय करती हैं।

निर्णय लेते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि जिस मंजिल को फतह करना है, उसमें आपकी और उसकी (मंजिल जिसे पाना है) स्थिति क्या है। हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से क्या उसके लिये तैयार हैं। जहां जिस चीज़ की कमी है उसे नज़रअंदाज न कर पूरा करें। कुछ खामियां हमारे लक्ष्य के लिये अवरोधक बन जाती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को ही नहीं, समाज के लिये भी प्रेरक बन सकते हैं।

निर्णय लेते समय उत्साह और धैर्य रखना बहुत आवश्यक माना जाता है। सत्साहस मनुष्य को कई विसंगतियों और अपराधों से बचाता है। सत्साहसी व्यक्ति कभी ग़लत कार्य के लिये संकल्प नहीं करता। उसका लक्ष्य हमेशा सत्यम, शिवम और सुंदरम का ही होता है। ऐसे लोग जो महान उद्देश्यों के लिये आगे बढ़ते हैं, वे साध्य के साथ ही साथ साधन की पवित्रता को भी बनाए रखने में विश्वास करते हैं। साधन की पवित्रता को बनाए रखने के लिये धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। इसलिये धैर्य रखने की साधना भी हमें सतत करते रहना चाहिए। शास्त्रों में यह तप करने के समान माना गया है। अतः मज़बूत इरादा और निर्णय लेने की क्षमता के साथ ही साथ धैर्य रखने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो पाना चाहते हैं। ❑

I.A.S. सरस्वती P.C.S.

राजनीति विज्ञान

द्वारा राजेश मिश्रा

हमारी शक्ति ☞ अभ्यर्थियों का संस्था में विश्वास।
हमारी पहचान ☞ गुणवत्तापरक, परीक्षा केन्द्रित, सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्यापन।
हमारा दायित्व ☞ अभ्यर्थियों के सफलता के प्रति प्रतिबद्धता।
हमारा प्रयत्न ☞ सफलता की परम्परा को कायम रखना।

20 जुलाई - मुख्य परीक्षा का नया बैच (प्रथम प्रश्न पत्र से)

Hindi/Eng. Medium

सफलता का सफर (IAS-2007)

Rank- 55
SHILPA

प्रयास - प्रथम
विषय - राजनीति विज्ञान
आयु - 23 वर्ष

Rank- 537
BHUPENDRA KR. SINGH

Rank- 570
NEHA RATNAKAR

Rank-632
RAHUL KAUSHIK

मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज प्रारंभ
क्रैश कोर्स - प्रारम्भिक परीक्षाफल के बाद प्रारम्भ

पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

H. O. - 206, विराट भवन (MTNL Building)
कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, डॉ॰ मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009.

Ph : 09899156495, 09810702119

YH-8/08/13

'पाठ' और 'कुपाठ' के बीच वंदेमातरम्

● विमल कुमार

पुस्तक का नाम : वंदेमातरम्; **लेखक :** सव्यसाची भट्टाचार्य; **प्रकाशक :** राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 1 बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-2; **प्रथम संस्करण:** 2008; पृ.सं. 136; **मूल्य :** 150 रुपये

बांग्ला के महान लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी की रचना 'वंदेमातरम्' हमारे साहित्य की संभवत: पहली ऐसी रचना है जिसे जितनी लोकप्रियता मिली उतना ही विवाद का भी सामना करना पड़ा। 1881 में *आनंदमठ* में प्रकाशित (वैसे यह रचना 1875 के आसपास लिखी गई थी) होने से लेकर क़रीब 127 वर्ष बाद भी यह रचना सांप्रदायिक राजनीति के जाल में फंसी है और इसको लेकर जब-तब विवाद होते रहे हैं। पिछले दिनों एक वरिष्ठ नेता ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मेलन में 'वंदेमातरम्' को गवाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि भारत का मुसलमान वर्ग इस रचना को सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखता। अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इस रचना के द्वारा कोई राजनीतिक हित नहीं सिद्ध किया जाना चाहिए। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में स्कूलों में 'वंदेमातरम्' को गाने को लेकर विवाद छिड़ा था और अंतत: राज्य सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा था।

जाने-माने इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य ने 'वंदेमातरम्' पर उठे अब तक तमाम तरह के विवादों के इतिहास को प्रस्तुत कर एक सराहनीय कार्य किया है। हर भारतीय नागरिक और छात्र को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि कैसे कोई रचना या कृति अपने समय में सांप्रदायिक अर्थ ग्रहण कर लेती है। बंकिमचंद्र चटर्जी ने जब यह रचना लिखी थी, तब वह नहीं जानते थे कि उसको लेकर एक दिन देश में एक वाद-विवाद खड़ा हो जाएगा और महात्मा गांधी, पं. नेहरू, टैगोर, सुभाषचंद्र बोस, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, रामानंद चटर्जी, अरविंदो घोष, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण कृपलानी, चक्रवर्ती, सावरकर, गोलवलकर, राजगोपालचारी, जिन्ना, इकबाल से लेकर सरदार जाफरी तक लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और सब इस पर अपने-अपने नज़रिये से अपनी सहमतियां-असहमतियां प्रकट करेंगे। आखिर इसके क्या कारण हैं।

सव्यसाची भट्टाचार्य ने इन कारणों को व्यक्तियों में नहीं बल्कि इतिहास में ढूंढने की कोशिश की है। उनका निष्कर्ष है कि देश की सांप्रदायिक राजनीति ने ही इस रचना में सांप्रदायिक रंग भरने की कोशिश की। कहा जाता है कि अश्लीलता देखने वाले की आंख में होती है। अश्लीलता इस बात से तय होती है कि कृतिकार का अभिप्राय क्या है। उसी तरह 'वंदेमातरम्' के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्या बंकिमचंद्र चटर्जी का अभिप्राय 'वंदेमातरम्' के जरिये मुसलमानों की भावनाओं को आहत करना था? शायद नहीं, क्योंकि फांसी के फंदे पर झूलने वाले शहीद भी 'वंदेमातरम्' का उद्घोष कर अपने प्राण न्यौछावर करते थे। आखिर क्या कारण है कि उस जमाने के मुस्लिम वर्ग के हिस्से इस रचना पर आपत्ति दर्ज़ की।

पुस्तक के लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि 1930 से 1940 के बीच के दशक में कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की आपसी राजनीतिक टकराहट ने इस गीत को भी सांप्रदायिक विवादों में घसीट लिया। सवाल यह है कि क्या अगर '30 और '40 के दशक के बीच भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घुला नहीं होता तब भी क्या इस गीत को लेकर इतना ही विवाद होता। *आनंदमठ* 1881 में छपा, लेकिन उसके छपने के दो-तीन दशकों के भीतर इस गीत को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ। 1907 के बाद ही इस गीत को लेकर आपत्तियां उठने लगीं। यानी जिस तरह देश में सांप्रदायिक राजनीति का रंग गाढ़ा होता गया इस गीत को लेकर विवाद भी बढ़ता गया।

यह विचारणीय प्रश्न है कि जिस गीत को महात्मा गांधी विशुद्ध राजनीति की पुकार मानते हैं, उसे मो. जिन्ना नहीं पचा पाते और वह पं. नेहरू को पत्र लिखकर विरोध करते हैं। पं. नेहरू भी इस गीत के कुछ अंतरे को धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक नहीं मानते। सव्यसाची भट्टाचार्य ने ठीक ही लिखा है, "वंदेमातरम् का जो अर्थ आखिर की पीढ़ी ने ग्रहण किया वही अर्थ जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना या वी.डी. सावरकर की पीढ़ी ने नहीं किया।"

इससे स्पष्ट होता है कि अरविंदो, महात्मा

'वंदेमातरम्' से जुड़े प्रसंग

- यह गीत कोई धार्मिक पुकार नहीं है। यह विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न है। कभी भी इसका गायन मुसलमानों को अपमानित करने या चोट पहुंचाने के लिये नहीं किया जाना चाहिए।

  –महात्मा गांधी, 1945
- 1896 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में टैगोर ने पहली बार यह गीत गाया। इसका संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया।
- 1905 में तमिल के महान कवि सुब्रमण्यम भारती ने इसका अनुवाद किया।
- 1907 में मराठी में और 1909 में मलयालम में अनुवाद हुआ।
- गांधीजी ने कहा कि इस गीत को पहली बार सुनकर मेरा दिल भर आया। उस समय मैं बस युवा ही था।
- 1931 तथा 1934 में पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण का अंत 'वंदेमातरम्' से किया जबकि 1929 और 1936 के अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने इस गीत को नहीं दोहराया।
- 1906 में ग्रियर्सन ने लंदन से प्रकाशित *टाइम्स* में 'वंदेमातरम्' पर लेख लिखा लेकिन यह लेख ब्रिटिश अधिकारियों के दृष्टिकोण से लिखा गया। यह कहा गया कि इस गीत में भारत माता और कोई नहीं बल्कि मृत्यु और विध्वंस की देवी काली है।

गांधी, जिन्ना और नेहरू तथा सावरकर के अलग-अलग दृष्टिकोण होने के कारण इन चारों ने इस रचना में अपने लिये अलग-अलग अर्थ ढूंढे यानी रचना के 'पाठ' में ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेकर इतना विवाद खड़ा होता। यह कुपाठ उस दौर की राजनीति ने लिखा और आज भी यह पुस्तक अपने दौर की राजनीति ही कर रही है।

'वंदेमातरम्' एकमात्र ऐसी रचना नहीं है जो अपने समय में हादसे का शिकार होती है। हुसैन की सरस्वती पेटिंग भी इसी तरह अपने समय के हादसे का शिकार हुई है। सव्यसाची भट्टाचार्य ने 'वंदेमातरम्' गीत से जुड़े सभी प्रसंगों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह रखा है कि पाठक खुद-ब-खुद समझ जाता है कि रचना का धर्म क्या था और वह क्यों विवादों में पड़ी।

सव्यसाची भट्टाचार्य ने एक ईमानदार और तटस्थ इतिहासकार की तरह अपनी बातों को रखा है। उन्होंने अपनी बात थोपने की कोई कोशिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों को सामने रखा है। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे भी निष्कर्ष की तरह नहीं लगते, बल्कि उन्होंने वस्तुपरक ढंग से अपनी बात कही है।

आज देश में सक्रिय कट्टरपंथी ताक़तों को यह क़िताब अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि वे इस बात को उसके विभिन्न आयामों के साथ समझ सकें। वंदेमातरम् को लेकर इतिहास के बंद अध्याय को आज फिर दोबारा खोले जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल, किसी भी कृति का 'कुपाठ' किया जाएगा तो यही हश्र होगा। यह पुस्तक हमें यही बताती है। आखिर ए. आर. रहमान ने जब 'वंदेमातरम्' को नया धुन दिया तो उनके मन में इस रचना को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। उसी तरह गांधी या जिन्ना ने उस रचना को एक ही दृष्टि से नहीं देखा। यही कारण है कि दोनों की राय अलग-अलग है। सव्यसाची भट्टाचार्य ने *वंदेमातरम्* पुस्तक के जरिये 'पाठ' और 'कुपाठ' के फ़र्क को ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर पेश किया है और यह उसकी सफलता है।

❑

(समीक्षक यूनीवार्ता **के विशेष संवाददाता और युवा कवि हैं)**

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिये

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (100 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (180 रुपये)

❑ त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिये कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर *'निदेशक, प्रकाशन विभाग'* के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

क्या आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/ रेलवे भर्ती बोर्ड/सशत्र सेनाओं/बैंकों में रोज़गार तलाश रहें हैं ?

रोज़गार समाचार आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। यह विगत तीस वर्षों से नौकरियों के लिए सबसे अधिक बिकने वाला साप्ताहिक है। आप भी इसके सहभागी बनें।

आपका हमारी वेबसाइट :

employmentnews.gov.in

पर स्वागत है, जो कि

- नवीनतम प्रौद्योगिकी से विकसित है।
- उन्नत किस्म के सर्च इंजिन से युक्त है।
- आपके प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र समाधान करती है।

रोज़गार समाचार/एम्प्लाएमेंट न्यूज की प्रति के लिए निकटतम वितरक से संपर्क करें।

व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें :

रोज़गार समाचार, पूर्वी खण्ड 4, तल 5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।

फोन : 26182079, 26107405, ई-मेल : enabm sa@yahoo.com

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

Cir./EN-SP-3/08

प्रकाशक व मुद्रक वीना जैन, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिये ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-8 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi R.N.951/57

कोड नं. 862 मूल्य : 165/-

प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

प्रतियोगिता दर्पण के अर्थशास्त्र और पॉलिटी के अतिरिक्तांक मैंने पढ़े हैं और इनसे मुझे काफी सहायता मिली. ये प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा दोनों में महत्वपूर्ण हैं. प्रतियोगिता दर्पण की वार्षिकी का काफी महत्व है. इससे हमें नवीनतम जानकारियाँ संकलित रूप में मिल जाती हैं, फलतः रिवीजन में और समय प्रबन्धन में काफी मदद मिलती है.

—नीलिमा
सिविल सेवा परीक्षा, 2007 में हिन्दी माध्यम से महिलाओं में सर्वोच्च स्थान

प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक भटकाव से बचाते हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति विज्ञान के अतिरिक्तांक अत्यंत उपयोगी हैं. इनसे सुव्यवस्थित, प्रासंगिक, प्रामाणिक जानकारी एकत्रित रूप में मिल जाती है. 'प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी' प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोणों से उपयोगी है.

—सरोज कुमार
सिविल सेवा परीक्षा, 2007 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान

....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था (अंग्रेजी) का अध्ययन किया है. यह अतिरिक्तांक बहुत अच्छा और उपयोगी है.

—आशिमा जैन
सिविल सेवा परीक्षा, 2007 (7वाँ स्थान)

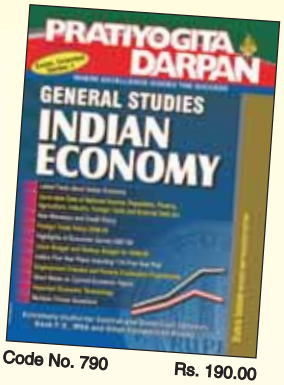

Code No. 790 Rs. 190.00

....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ा है. इसको कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग आदि शीर्षकों की दृष्टि से व्यापक रूप से संकलित किया गया है.

—ए. एण्टो अल्फोन्से
सिविल सेवा परीक्षा, 2007 (42वाँ स्थान)

....प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक बहुउपयोगी हैं विशेषकर 'भारतीय अर्थव्यवस्था' तो संग्रहणीय है. इसकी वार्षिकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है.

—प्रियंका पालीवाल
म.प्र. पी.एस.सी. परीक्षा, 2005 में सर्वोच्च स्थान

कोड नं. 791 मूल्य : 185.00 रुपए

मुख्य आकर्षण

• भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं • महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली • राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार एवं विदेशी ऋण आदि के अद्यतन आँकड़े • मौद्रिक एवं साख नीति : 2008-09 • विदेशी व्यापार नीति : 2008-09 • आर्थिक समीक्षा : 2007-08 • 2008-09 का केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट • ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना सहित भारत की समस्त पंचवर्षीय योजनाएं • भारत में संचालित रोजगारपरक एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम • भारत-2008 तथा प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के नवीनतम प्रतिवेदनों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री • सामयिक आर्थिक विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ • महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न.

आपके नजदीकी बुक स्टालों पर उपलब्ध

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 **फोन :** 2530966, 2531101, 3208693/94
Fax : (0562) 4031570 **E-mail :** publisher@pdgroup.in
To purchase online log on to www.pratiyogitadarpan.org

YH-8/08/2